



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  
का  
झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  
पर प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार  
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1  
(आईटी लेखापरीक्षा-सिविल)



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  
पर प्रतिवेदन**

**झारखण्ड सरकार  
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 1  
(आईटी लेखापरीक्षा-सिविल)**



## विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	1-5
<b>अध्याय 1</b>		
<b>परिचय</b>		
1.1	आईएफएमएस की शुरुआत	8
1.2	झारखण्ड में आईएफएमएस की आवश्यकता	8
1.3	झारखण्ड में आईएफएमएस	9
1.4	आईएफएमएस के उद्देश्य	11
1.5	आईएफएमएस के मुख्य हितधारक	11
1.6	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	14
1.7	लेखापरीक्षा मानदंड	14
1.8	लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	14
<b>अध्याय 2</b>		
<b>परियोजना प्रबंधन</b>		
2.1	प्रबंधन/संगठनात्मक संरचना	17
2.2	वित्त विभाग के अंतर्गत परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) की स्थापना	18
2.3	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा कार्य योजना तैयार करने में विलंब	18
2.4	परियोजना कार्यान्वयन	20
2.5	आईएफएमएस मॉड्यूलों का गैर-कार्यान्वयन एवं विलंब	21
2.6	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	24
2.7	अधिग्रहण नियंत्रण	25
<b>अध्याय 3</b>		
<b>आईटी नियंत्रण</b>		
3.1	सामान्य नियंत्रण	27
3.1.1	सॉफ्टवेयर विकास में अपर्याप्त प्रलेखन	27
3.1.2	व्यवसाय निरंतरता योजना का अभाव	27
3.1.3	परिवर्तन प्रबंधन योजना की गैर-तैयारी	28
3.1.4	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ गैर-एकीकरण	29
3.1.5	अप्रभावी सहायता-डेस्क प्रबंधन	30
3.2	आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियंत्रण	32

कंडिका		पृष्ठ संख्या
3.2.1	कोषागार (भुगतान) मॉड्यूल और पेंशन मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण का अभाव	32
3.2.2	आईएफएमएस में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ राशि के राजस्व की कम वसूली	46
3.2.3	आवंटन के बिना किया गया व्यय	50
3.2.4	आईएफएमएस डेटाबेस में वास्तविक समय के आधार पर संशोधित अनुमानों के आंकड़ों का गैर-अद्यतनीकरण	55
3.2.5	डीसी विपत्रों को प्रस्तुत किए बिना एसी विपत्रों का आहरण	57
3.2.6	आईएफएमएस के माध्यम से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत/अनुश्रवण करने का गैर-प्रावधान	58
3.2.7	आईएफएमएस में चुकता ऋण/ब्याज पुनर्भुगतान के डेटा की अनुपलब्धता	59
	<b>परिशिष्ट</b>	63-75
	<b>संक्षेपाक्षर</b>	77-78
	<b>शब्दावली</b>	79-81

## परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.1	3.2.1(ii)	कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को भुगतेय डीसीआरजी/सीभीपी के साथ साथ वास्तव में किसी अन्य पेंशनभोगियों को प्राधिकृत डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान	63
3.2	3.2.1(iii)	कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण भुगतान संज्ञापन तैयार करने के कारण पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान	64
3.3	3.2.1(iv)	कोषागारों द्वारा डीसीआरजी/सीभीपी के भुगतान के दौरान टीडीएस राशि के त्रुटिपूर्ण जोड़ के कारण अधिक व्यय का संधारण	65
3.4	3.2.1(v)	आईएफएमएस में महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकारों के गैर-अद्यतनीकरण के कारण आईएफएमएस में, कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान किया गया दिखाई दिया	67
3.5	3.2.1(vi)	कोषागारों द्वारा विपत्र श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया	72
3.6	3.2.1(vii)	कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या दर्ज करने के कारण, आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया	75



**प्राक्कथन**



## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पर इसके संस्थापन (जून 2007) से नवंबर 2022 की अवधि तक आच्छादित सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। नवंबर 2022 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक और लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त सहयोग का, लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहता है।





**कार्यकारी सारांश**



# कार्यकारी सारांश

झारखण्ड में 33 कोषागार, राज्य सरकार की ओर से दैनिक संव्यवहारों को संभालने, उनके अभिलेखों के रखरखाव और महालेखाकार (एजी) को मासिक लेखे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए, वित्त विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने कोषागार स्वचालन, पेंशन, लेखा परीक्षा आदि के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की। महालेखाकार को समय पर लेखे प्रस्तुत करने के अलावा, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए वित्तीय लेनदेन, बजटीय नियंत्रण और वित्त विभाग को डेटा के प्रवाह के अनुश्रवण हेतु एक वेब-आधारित कोषागार सूचना प्रणाली (टीआईएस)- 'कुबेर' को कार्यान्वित किया गया था (जून 2007)। प्रणाली का विकास, कई वर्षों में विभिन्न मॉड्यूलों को जोड़ते हुए हुआ था, यथा- कोषागार एमआईएस मॉड्यूल (2007); डीडीओ विपत्र तैयारी एप्लीकेशन (2008); ऑनलाइन जीपीएफ लेखांकन एवं निधि तैयारी मॉड्यूल (2010) और निधि मॉड्यूल (2012)। चूंकि मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से जोड़े गए थे, वित्त विभाग को, डेटा की एकरूपता, राजस्व अर्जित करने वाले विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आईटी प्रणालियों के बीच निर्बाध डेटा का आदान-प्रदान, पूर्ण स्वचालन की कमी, तकनीकी उन्नयन और वर्तमान प्रणालियों की मापनीयता से संबंधित मुद्दे जैसे, विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इसी बीच, भारत सरकार (भा.स.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) "कोषागार कम्प्यूटरीकरण" के कार्यान्वयन के लिए एक योजना शुरू की (जुलाई 2010)। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया गया कि वे अपने राज्य/यूटी में कोषागार कम्प्यूटरीकरण के वर्तमान स्तर और वांछित स्तर पर आधारित अपने प्रस्ताव (डीपीआर) को मूल्यांकन तथा केंद्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए तीन वर्ष के भीतर प्रेषित करें। हालांकि, झा.स. ने योजना मार्गदर्शिका में निर्धारित परियोजना अवधि के पश्चात डीपीआर को, मूल्यांकन और केंद्रीय सहायता के अनुमोदन हेतु व्यय विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया (जनवरी 2015)। परिणामस्वरूप, राज्य को एमएमपी के तहत कोई निधि प्रदान नहीं की गई। इसके बाद, झा.स. ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से मौजूदा प्रणाली को स्वयं उन्नत करते हुए, चरणबद्ध तरीके से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2015)।

वर्तमान में, आईएफएमएस 2.0 (कुबेर) को 12 मॉड्यूलों के साथ राज्य में कार्यान्वित किया गया है, जिसमें राज्य के संसाधनों के प्रबंधन में वित्त विभाग की सहायता तथा

राज्य सरकार की सभी वित्तीय गतिविधियों को दर्ज करने की सुविधा है। आईएफएमएस को अन्य एप्लीकेशन प्रणालियों, यथा- निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिस), राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भुगतान गेटवे, भारतीय स्टेट बैंक-नकद प्रबंधन उत्पाद (एसबीआई-सीएमपी) और आरबीआई ई-कुबेर के साथ, तीव्र एवं सुचारु प्रक्रमण के लिए एकीकृत किया गया है।

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झा.स. के कार्यालय में, मई 2022 और जुलाई 2023 के बीच, आईएफएमएस की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) लेखापरीक्षा छः कार्यात्मक मॉड्यूलों को आच्छादित करते हुए यह जांच करने के लिए आयोजित की गयी कि (i) आईटी प्रणाली के उद्देश्यों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने हेतु, आईटी वातावरण में प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भियंत्रण किया गया था; और (ii) आईटी परिसंपत्ति, डेटा अखंडता, प्रणाली की प्रभावशीलता व दक्षता सुरक्षित रखने तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आईएफएमएस में प्रणाली कार्यक्षमता और नियंत्रण पर्याप्त था।

लेखापरीक्षा ने आईएफएमएस के कार्यान्वयन में कमियों के साथ-साथ प्रणाली में सामान्य और एप्लीकेशन नियंत्रण विफलताओं को देखा, जिन्हें नीचे सारांशित किया गया है:

तीन मॉड्यूल अर्थात् (i) योजना मॉड्यूल, (ii) निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल तथा (iii) लेखापरीक्षा मॉड्यूल, हालांकि ये डीपीआर में प्रस्तावित थे (जनवरी 2015), कार्यान्वित नहीं किए गए थे। आईएफएमएस के निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आईएफएमएस में लेखापरीक्षा मॉड्यूल के अभाव के कारण, राज्य सरकार, महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के बेहतर अनुश्रवण का अवसर खो दिया।

आईएफएमएस अवसंरचना की खरीद, जो चरणबद्ध तरीके से की गई थी, राज्य में आईएफएमएस के कार्यान्वयन में समग्र विलंब का कारण बनी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने आईएफएमएस के कार्यान्वयन से पूर्व, उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यूआरएस), सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) और डेटा शब्दकोश तैयार नहीं किया। प्रलेखन की अभाव में, न तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी) और न ही वित्त विभाग, परियोजना के विकास और कार्यान्वयन का अनुश्रवण कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप अन्य हितधारकों की भागीदारी के बिना एनआईसी पर पूर्ण निर्भर था।

व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) को कार्यान्वित नहीं किया गया और निकट आपदा रिकवरी केंद्र (एनडीआरसी) की स्थापना हेतु निर्गत निधि झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी

संवर्धन एजेंसी (जैप-आईटी) के बैंक खाते में पड़ी रही। बीसीपी का गैर-कार्यान्वयन और एनडीआरसी का गैर-अस्तित्व, ब्रेकडाउन के दौरान प्रणाली के ठीक से कार्य नहीं करने के जोखिम से भरा है, जो उच्च उपलब्धता और शून्य डाउनटाइम के उद्देश्य को बाधित करता है।

विभाग की व्यावसायिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप, आईएफएमएस एप्लीकेशन में किए गए परिवर्तनों के लिए, वित्त विभाग ने कोई परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। परिवर्तनों की आवश्यकताओं को मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया था और डेवलपर्स द्वारा उन्हें एप्लीकेशन में संबोधित किया जा रहा था। डेटाबेस प्रशासक द्वारा परिवर्तन, झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) में निर्धारित किसी तकनीकी/गैर-तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं के मूल्यांकन के बगैर, सीधे उत्पादन वातावरण में किए गए थे। आईएफएमएस को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत नहीं किया गया। सीएसएस के तहत राज्य को निर्गत केन्द्रांश को आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया जा रहा था। राज्य संबद्ध योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखा शीर्षों की, राज्य के बजट शीर्षों के साथ मैपिंग, झारखण्ड सरकार के स्तर पर अधूरी थी। भारत सरकार की योजनाओं की अधूरी मैपिंग के कारण, कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के अनुश्रवण के लिए पीएफएमएस एवं राज्य कोषागार के बीच इंटरफेस स्थापित नहीं किया जा सका। आईएफएमएस के साथ पीएफएमएस के गैर-एकीकरण से, राज्य सरकार मास्टर एवं लेनदेन स्तर के डेटा को दर्ज करने तथा केंद्रीय योजनाओं की प्रगति का वास्तविक समय पर अनुश्रवण के एक साधन से वंचित रहा।

यद्यपि आईएफएमएस के लिए एक सहायता-डेस्क प्रबंधक का पद सृजित किया गया था, सहायता-डेस्क को स्थापित नहीं किया गया। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए शिकायतों का समाधान, परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा शिकायतों को दर्ज तथा समाधान की तिथि व समय को अभिलेखबद्ध किए बिना ही, कर दिया गया। इस प्रकार, आईएफएमएस के माध्यम से शिकायतों के अनुक्रिया-काल एवं स्थिति पर नजर नहीं रखा जा सका।

आईएफएमएस डेटाबेस के डेटा विश्लेषण में दिखा कि 344 मामलों में, कोषागारों द्वारा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी)/पेंशन का रूपांतरित मूल्य (सीभीपी) की प्राधिकृत अनुमान्य राशि के विरुद्ध पेंशनभोगियों को कुल ₹ 11 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा ने इन 344 मामलों को संबंधित 29 कोषागारों के पास उपलब्ध पंजियों/अभिलेखों के साथ सत्यापित किया और महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेजे गए वाउचर/कोषागार अनुसूचियों के साथ इसकी पुष्टि भी की। इन 344 मामलों में से 47 मामलों में, लेखापरीक्षा ने, आईएफएमएस में कमजोर एप्लीकेशन नियंत्रण के कारण, ₹ 2.03 करोड़ मूल्य के डीसीआरजी/सीभीपी के अधिक भुगतान के मामले देखे। ये अधिक भुगतान (i) एक ही प्राधिकार आदेश के विरुद्ध एक पेंशनभोगी को किए गए दो बार भुगतान (दो मामले), (ii) एक पेंशनभोगी को किसी अन्य

पेंशनभोगी के प्राधिकार आदेश के विरुद्ध किए गए भुगतान (12 मामले); और (iii) त्रुटिपूर्ण विपत्र/संज्ञापन तैयार करने (33 मामले), के कारण हुए थे। आगे, डीसीआरजी/सीभीपी के भुगतानों में टीडीएस की राशि को त्रुटिपूर्ण तरीके से जोड़ने के कारण ₹ 24.80 लाख का अधिक व्यय संधारित हुआ (30 मामले)।

शेष मामलों में, लेखापरीक्षा ने आईएफएमएस डेटाबेस में विसंगतियों को भी देखा, जो (i) पुनरीक्षित पेंशन और पेंशन लाभों का गैर-अद्यतनीकरण (198 मामले); (ii) लेखा शीर्षों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (62 मामले); और (iii) भुगतान के दौरान एक से अधिक पेंशनभोगियों के विरुद्ध एक ही पीपीओ संख्या दर्ज किए जाने (सात मामले) के कारण उत्पन्न हुए थे।

आईएफएमएस में दोषपूर्ण सत्यापन नियंत्रण के कारण 2017-2022 के दौरान (i) परिवहन, (ii) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार; और (iii) जल संसाधन विभागों में ₹ 4.40 करोड़ की राजस्व की कम वसूली हुई, क्योंकि प्रणाली ने उन राशियों से कमतर राशि जमा करना स्वीकार किया था, जिसके लिए चालान व्युत्पन्न हुए थे।

व्यय के प्रक्रमण के लिए आईएफएमएस में अंतर्निमित्त सत्यापन प्रणाली को बैंक-एंड माध्यम से दरकिनार करते हुए, विपत्रों को भुगतान के लिए प्रक्रमित किया गया था। परिणामस्वरूप, 2017-23 के दौरान छः डीडीओ द्वारा आवंटन से ₹ 1.24 करोड़ का अधिक व्यय किया गया तथा 13 डीडीओ द्वारा विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बिना किसी आवंटन के ₹ 34.33 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

पूर्व से लंबित एसी विपत्रों के विरुद्ध डीसी विपत्र प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद, डीडीओ को अनुवर्ती एसी विपत्रों के आहरण से आईएफएमएस ने प्रतिबंधित नहीं किया। परिणामस्वरूप, झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) का उल्लंघन करते हुए, 122 डीडीओ को 405 अनुवर्ती एसी विपत्रों के आहरण की अनुमति मिल गई।

अप्रैल 2010 और नवंबर 2022 के बीच, कुल 2,69,883 सहायता अनुदान (जीआईए) विपत्र आहरित हुए। हालांकि, आईएफएमएस डेटाबेस में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) से संबंधित तालिकाओं में केवल 2,727 जीआईए विपत्रों से संबंधित सूचना दर्ज पाई गई। इनमें से, आईएफएमएस में केवल तीन जीआईए विपत्रों के विरुद्ध यूसी प्रस्तुत किया हुआ पाया गया।

आईएफएमएस में आंतरिक ऋण एवं कर्ज तथा अग्रिम के आंकड़ों में अंतर पाया गया, जब इसकी तुलना संबंधित वित्त लेखे से की गई। इस अंतर का कारण यह था कि कई भुगतान महालेखाकार के स्तर पर शुरू अथवा आरबीआई द्वारा सीधे डेबिट किए गए थे, जिन्हें आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया जा सका, क्योंकि आईएफएमएस केवल कोषागारों द्वारा प्रक्रमित संव्यवहारों को ही दर्ज करता है। आगे, पुनर्भुगतानों के अभिलेख केवल महालेखाकार के कार्यालय द्वारा संधारित होते थे और बाह्य हितधारक होने के नाते, महालेखाकार के पास इन आंकड़ों को आईएफएमएस में प्रविष्टि करने हेतु प्रत्यक्ष पहुंच नहीं थी।

## अनुशंसाएं

- राज्य सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल के विकास को प्राथमिकता दे सकती है।
- राज्य सरकार आईएफएमएस के लिए, स्वतः टिकट जारी करने और स्वतः लॉग वाले प्रावधान के साथ, एक सहायता-डेस्क स्थापित कर सकती है, जो शिकायतों के समाधान के बाद ही बंद हो।
- राज्य सरकार को आईएफएमएस का साईं पेंशन पोर्टल के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा एक प्राधिकार के विरुद्ध दावों को एक से अधिक बार प्रक्रमण के जोखिम से बचाव के लिए, उचित सत्यापन नियंत्रण कार्यान्वित करना चाहिए।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आईएफएमएस में उचित इनपुट नियंत्रण बनाए जाएं, ताकि प्रणाली में पहले से उपलब्ध डेटा की पुनर्प्राप्ति हो सके तथा मानवीय त्रुटियों से बचाव हेतु भुगतान फील्ड में केवल पठनीय मोड में स्वतः प्रकट हो जाए।
- राज्य सरकार, विरासत डेटा के अंतर्गमन के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपलोड किए गए पेंशन डेटा को सावधिक बैच प्रक्रमण के माध्यम से अद्यतन/डाउनलोड करके, पेंशन डेटा की अखंडता और इसकी पूर्णता सुनिश्चित कर सकती है।
- राज्य सरकार अधिक भुगतान के जोखिम से बचाव के लिए, प्रणाली में समुचित प्राथमिक कुंजी/संदर्भात्मक अखंडता को लागू और भुगतान एप्लीकेशन इंटरफेस में वैध इनपुट नियंत्रण का प्रावधान कर सकती है।
- राज्य सरकार, एकीकृत प्राप्ति पोर्टल (झारखण्ड ई-ग्रास) और सहभागी विभागों के पोर्टलों में सत्यापन नियंत्रण का, नियमित आधार पर समीक्षा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा ई-चालान पर दर्शाई गई देय राशि का पूर्ण भुगतान हो और सरकारी खाते में जमा किया जाए।
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सत्यापन नियंत्रण लागू रहें ताकि आईएफएमएस के माध्यम से किसी विशिष्ट शीर्ष में पर्याप्त आवंटन के बिना कोई भुगतान प्रक्रमित न हो सके।





**अध्याय 1**  
**परिचय**



## 1 परिचय

## पृष्ठभूमि

झारखण्ड में 33 कोषागार (नई दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन के कोषागार सहित जिला स्तर पर 27<sup>1</sup> कोषागार और अनुमंडलीय स्तर पर छः<sup>2</sup> उप-कोषागार) राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्ति और भुगतान के दैनिक संव्यवहारों को संभालने और कोषागार संहिता और वित्तीय नियमावली के अनुसार उनके अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। वे मासिक लेखें और विवरणियों<sup>3</sup> को संकलित कर महालेखाकार<sup>4</sup> (एजी) को प्रस्तुत करते हैं।

राज्य सरकार के आईटी विजन और आईटी योजना को ध्यान में रखते हुए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआईटी), झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए “परियोजना प्रतिवेदन और कार्य योजना” तैयार की गई (सितंबर 2003)। तदनुसार, ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), झारखण्ड राज्य इकाई के सहयोग से डीओआईटी द्वारा कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना शुरू की गई (फरवरी 2004)।

जून 2007 में, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने डेटा की एकरूपता, विभिन्न प्रणालियों<sup>5</sup> के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान और कोषागारों के पूर्ण स्वचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोषागार, पेंशन, लेखापरीक्षा और विभाग के अन्य कार्यों के स्वचालन हेतु एक वेब आधारित कोषागार सूचना प्रणाली (टीआईएस) 'कुबेर' को कार्यान्वित किया। प्रणाली का विकास विगत कई वर्षों (2007 और 2012 के बीच) में विभिन्न मॉड्यूलों को जोड़ते हुए हुआ, यथा- 2007 में कोषागार एमआईएस मॉड्यूल, 2008 में डीडीओ विपत्र तैयारी एप्लिकेशन, 2010 में ऑनलाइन जीपीएफ लेखांकन एवं निधि तैयारी

<sup>1</sup> (1) बोकारो (2) चाईबासा (3) चतरा (4) देवघर (5) धनबाद (6) डोरंडा (7) दुमका (8) गढ़वा (9) गिरिडीह (10) गोड्डा (11) गुमला (12) हजारीबाग (13) जमशेदपुर (14) झारखण्ड भवन (नई दिल्ली) (15) जामताड़ा (16) खूंटी (17) कोडरमा (18) लातेहार (19) लोहरदग्गा (20) पाकुड़ (21) पलामू (22) प्रोजेक्ट भवन (23) रामगढ़ (24) रांची (25) साहेबगंज (26) सरायकेला और (27) सिमडेगा

<sup>2</sup> (1) चक्रधरपुर (2) घाटशिला (3) मधुपुर (4) महेशपुर (5) राजमहल और (6) तेनुघाट

<sup>3</sup> साधारण स्टाम्पों की बिक्री, आयकर प्राप्ति विवरण, अनुसूचियों और दस्तावेजों के साथ नकद लेखा, अनुसूचियों और दस्तावेजों के साथ भुगतानों की सूची आदि

<sup>4</sup> लेखा एवं हकदारी (लेखा एवं हक)

<sup>5</sup> राज्य के संबंधित विभागों की पृथक आईटी प्रणालियाँ।

मॉड्यूल और 2012 में निधि मॉड्यूल। विभिन्न हितधारकों (जैसे; परिवहन विभाग (वाहन और सारथी), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग आदि) के साथ, इस अवधि के दौरान प्रणाली के इंटरफेस को बढ़ाया गया।

## 1.1 आईएफएमएस की शुरुआत

भारत सरकार (भा.स.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) “कोषागार कम्प्यूटरीकरण” के कार्यान्वयन को मंजूरी दी (जुलाई 2010)। इस योजना के तहत, राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) केंद्रीय सहायता के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए योग्य थे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे तीन वर्ष की अवधि के अंदर मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी “राज्य एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए परिचालन मॉडल हेतु मार्गदर्शिका” के अनुसार अपने प्रस्ताव भेजें।

परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य मूल कम्प्यूटरीकरण के अलावे कम्प्यूटरीकरण में मौजूदा अंतराल को भरने, उन्नयन, विस्तार और इंटरफेस आवश्यकताओं के लिए राज्यों की सहायता करना था। इसमें (i) कोषागारों, राज्य वित्त विभागों, महालेखाकार (एजी) कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), एजेंसी बैंकों, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) की केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस) के बीच डेटा साझाकरण; (ii) छूटे हुए क्रेडिट की घटनाओं को कम करने के लिए न्यूनतम मिलान और कोषागार डेटा को राज्य डेटा केंद्रों में निर्बाध रूप से प्रविष्टि; और (iii) पेंशन भुगतानों तथा प्राप्ति व व्यय पर वेब-आधारित नागरिक पृच्छा इत्यादि की सुविधा शामिल थे।

एक बार स्थापित होने के बाद, कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना से बजट प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार, लेखाओं के वास्तविक-समय समाधान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत करने, लेखाओं की तैयारी में सटीकता और समयबद्धता में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने और राज्य में शासन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अपेक्षित था।

## 1.2 झारखण्ड में आईएफएमएस की आवश्यकता

झारखण्ड में कोषागार और संबंधित कार्यों का स्वचालन टुकड़ों में किया गया था और विभाग को डेटा की एकरूपता, सीमित सरकारी प्रक्रिया का पुनर्भियंत्रण, विभिन्न प्रणालियों/हितधारकों के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान, पूर्ण स्वचालन का अभाव, तकनीकी उन्नयन के कारण कुछ प्रणालियों का अप्रचलित होना और वर्तमान आईटी प्रणालियों की मापनीयता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इन समस्याओं को कम करने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने एक उद्यम-व्यापी व्यापक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस)—राज्य में कोषागार कंप्यूटरीकरण परियोजना का एक विस्तार, को लागू करने की योजना बनाई थी (जून 2013), जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संरचित तरीके से सहयोग, प्रमुख हितधारकों के साथ वास्तविक समय में इंटरफेस स्थापित और मौजूदा प्रक्रमों को सरल, सुव्यवस्थित और संशोधित करेगा। इस प्रकार, आईएफएमएस राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के लिए बजट, भुगतान प्रक्रिया, लेखांकन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग जैसी कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन कार्यों को एकीकृत सॉफ्टवेयर समाधान में समेकित करता है।

### 1.3 झारखण्ड में आईएफएमएस


आईएफएमएस झारखण्ड (कुबेर) राज्य सरकार की सभी वित्तीय गतिविधियों को दर्ज करने की सुविधा हेतु एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है।

वर्तमान में राज्य में आईएफएमएस 12 मॉड्यूल के साथ परिचालित है। इनमें से निम्नलिखित छः प्रकार्यात्मक मॉड्यूल हैं:

- (i) बजट मॉड्यूल - सीओबीटी (ई-बजट);
- (ii) आवंटन मॉड्यूल (ई-एलॉटमेंट);
- (iii) विपत्र मॉड्यूल (ई-बिल);
- (iv) भुगतान मॉड्यूल (ई-ट्रेजरी);
- (v) प्राप्ति मॉड्यूल (झारखण्ड ई-ग्रास); तथा
- (vi) पेंशन मॉड्यूल (ई-पेंशन)।

शेष छः रिपोर्टिंग मॉड्यूल हैं जिनके पास अपना डेटा नहीं होता है और वे वांछित प्रतिवेदनों को बनाने के लिए उपरोक्त प्रकार्यात्मक मॉड्यूलों के डेटा पर निर्भर होते हैं। इन मॉड्यूल का प्रवाह चार्ट चित्रलेख 1.1 में दिखाया गया है।

चित्रलेख 1.1: झारखण्ड में आईएफएमएस माँड्यूल



आईएफएमएस को तीव्र और सुचारू प्रक्रमण के लिए अन्य वित्तीय आईटी प्रणाली जैसे कि निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिस), राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की मौजूदा प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भुगतान गेटवे, एसबीआई-सीएमपी और आरबीआई ई-कुबेर के माँड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर-भुगतान के लिए, रांची में प्रोजेक्ट बिल्डिंग कोषागार को साइबर कोषागार के रूप में नामित किया गया (नवंबर 2010) और भारतीय स्टेट बैंक, हटिया

शाखा, रांची को राज्यांतर्गत सभी बैंक शाखाओं से सभी ऑनलाइन कर-भुगतान के अभिलेखों को एकत्र करने और साइबर कोषागार में ऑनलाइन जमा करने के लिए नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया।

#### 1.4 आईएफएमएस के उद्देश्य

समग्र राजकोषीय चक्र में योजना बनाने, बजट बनाने, बजट क्रियान्वयन (जिसमें राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन और ऋण प्रबंधन शामिल है), संव्यवहार लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में इन प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

उद्देश्य	प्रमुख क्षेत्र
राजकोषीय प्रबंधन	समग्र राजकोषीय स्थिति और जोखिमों का अनुश्रवण और प्रबंधन किया जाता है
बजट यथार्थवाद	बजट यथार्थवादी है और इसे अपेक्षित तरीके से कार्यान्वित किया गया है
व्यापक, नीति-आधारित बजट	बजट में प्रासंगिक राजकोषीय लेन-देन को दर्ज किया जाता है, तथा इसे सरकारी नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है
सूचना	निर्णय लेने, नियंत्रण, प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजकोषीय, राजस्व और व्यय अभिलेख एवं सूचनाएं बनायीं, संधारित और प्रसारित की जाती हैं।
नियंत्रण	सार्वजनिक निधियों के उपयोग में नियंत्रण और प्रबंधन की कवायद के लिए व्यवस्था मौजूद है
जवाबदेही और पारदर्शिता	सार्वजनिक वित्त की बाह्य पारदर्शिता और जांच की व्यवस्था

#### 1.5 आईएफएमएस के मुख्य हितधारक

आईएफएमएस के हितधारकों को मोटे तौर पर आंतरिक और वाह्य हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे संस्थाएँ जिनके कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन्हें आंतरिक हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि अन्य को वाह्य हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त प्राथमिक हितधारकों के अलावा, आईएफएमएस परियोजना के कई सुविधाप्रदाता भी हैं, जैसा कि चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: हितधारक - आईएफएमएस

आंतरिक हितधारक	वाह्य हितधारक
<ul style="list-style-type: none"> <li>• वित्त विभाग, कोषागार</li> <li>• अन्य विभाग अर्थात् बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) और डीडीओ</li> <li>• योजना एवं विकास विभाग</li> <li>• आंतरिक लेखापरीक्षा</li> <li>• कर्मचारी</li> <li>• पेंशनभोगी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• महालेखाकार</li> <li>• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)</li> <li>• एजेंसी बैंक, भारत सरकार</li> <li>• व्यवसायी</li> <li>• विक्रेता</li> <li>• वित्तीय संस्थाएँ, नागरिक</li> </ul>
<b>परियोजना सुविधाप्रदाता</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार</li> <li>• झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी (जेप-आईटी), झारखण्ड सरकार</li> <li>• प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड सरकार</li> <li>• सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार</li> <li>• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)</li> </ul>	

आईएफएमएस से संबंधित प्राथमिक हितधारकों की संक्षिप्त भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

### **वित्त विभाग**

वित्त विभाग राज्य के समग्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें अन्य राजकोषीय कार्यों के साथ-साथ, योजना, बजट, राजस्व प्रबंधन, कोषागार के माध्यम से बजट निष्पादन और लेखांकन के कार्य शामिल हैं। यह कोषागार के लिए प्रशासनिक विभाग भी है। कोषागार में कोषागार पदाधिकारी (टीओ) विभिन्न विभागों के आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्रों के प्रक्रमण के लिए जिम्मेदार है। टीओ, बैंकों के माध्यम से भुगतान को प्राधिकृत और कोषागार लेखाओं की तैयारी करता है। सरकार का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य भी वित्त विभाग की जिम्मेदारी है।

### **योजना एवं विकास विभाग**

2017-18 से योजना और गैर-योजना घटकों के विलय के बाद, राज्य का बजट चार भागों में तैयार किया जा रहा है, अर्थात् (i) राजस्व प्राप्तियां, (ii) स्थापना व्यय, (iii) केंद्रीय सहायता के तहत योजनाएं (अ) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित) और (ब) केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तथा (iv) राज्य की योजनाएं ((अ) चालू योजनाएं और (ब) नई योजनाएं)। आगे, 2017-18 से राज्य के योजना और विकास विभाग द्वारा समीक्षा के बाद विभागों के लिए राज्य, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनंतिम परिव्यय तय किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न घटकों अर्थात् अन्य उप-योजना (ओएसपी), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत योजनाओं के लिए निधि का प्रावधान योजना और विकास विभाग द्वारा तय किया जाता है।

### **राजस्व विभाग**

राजस्व (नागरिकों और व्यवसायियों से) संग्रह करने वाले प्रमुख विभाग वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आदि हैं। इसी तरह, कुछ विभाग हैं, जो कानून के उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना वसूलते हैं जैसे यातायात पुलिस, परिवहन विभाग आदि। इस प्रकार के संग्रह, एजेंसी बैंकों में भी प्रेषित किए जाते हैं और कोषागार द्वारा उनका लेखांकन किया जाता है।

### **राज्य सरकार के विभाग**

राज्य सरकार के विभाग बजट तैयार करने (बजट नियंत्रण अधिकारी-बीसीओ के माध्यम से) के साथ-साथ विपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वित्त विभाग से परस्पर विचार का आदान-प्रदान करते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) विभिन्न प्रकार के विपत्र (वेतन, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आदि) तैयार करते हैं, जिन्हें जेएफआर/जेटीसी

में परिभाषित कार्यप्रवाह द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा भुगतान के लिए कोषागार को प्रस्तुत किया जाता है।

### **कर्मचारी एवं पेंशनभोगी**

कर्मचारी और पेंशनभोगी, कोषागार के माध्यम से वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान प्राप्त करते हैं।

### **भारतीय रिजर्व बैंक**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार का बैंकर होता है। यह अंतर-सरकारी संव्यवहारों का लेखा-जोखा रखता है और उसका निपटान करता है। यह बाजार से उधार लेने की सुविधा देकर राज्य सरकार के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, दोनों ऋणों का प्रबंधन भी करता है। यह राज्य सरकार के नकदी शेष के प्रबंधन के लिए अर्थोपाय अग्रिम भी प्रदान करता है।

### **एजेंसी बैंक**

आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसी बैंक, कोषागार द्वारा प्राधिकृत एवं निर्गत किए गए चेकों के आधार पर भुगतान करके तथा प्रेषित राशि को कोषागार की ओर से स्वीकार कर सरकारी व्यवसाय का संचालन करते हैं।

### **नागरिक/व्यवसायी/विक्रेता**

नागरिक/व्यवसायी राज्य सरकार को, प्राधिकृत बैंकों/राज्य के सरकारी विभागों के माध्यम से कर का भुगतान करते हैं। बैंक दिन के अंत में राज्य सरकार के खाते में राशि प्रेषित करते हैं। नागरिक/व्यवसायी/विक्रेता भी सब्सिडी/रिफंड/सेवाओं के बदले भुगतान आदि के रूप में अपने संबंधित बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सरकार से राशि प्राप्त करते हैं।

### **महालेखाकार**

महालेखाकार (एजी), लेखा एवं हकदारी (लेखा एवं हक), विभिन्न कोषागारों और अन्य निकायों से प्राप्त वाउचर और अनुसूचियों के आधार पर व्यय और प्राप्तियों के मासिक लेखाओं के संकलन और समेकन के लिए उत्तरदायी है। महालेखाकार राज्य के मासिक सिविल लेखे तैयार करते हैं और उन्हें राज्य सरकार को सौंपते हैं। महालेखाकार अन्य कार्यकलापों के अलावा, राज्य के विभागों द्वारा किए गए लेखांकन संव्यवहारों का समाधान, जमा लेखाओं का रखरखाव और अंतर-सरकारी संव्यवहारों का निपटान, सुनिश्चित करते हैं।

## 1.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

झारखण्ड में आईएफएमएस का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया था, कि क्या:

- आईटी प्रणाली के उद्देश्यों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने हेतु, आईटी वातावरण में प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्भियंत्रण किया गया था; और
- आईटी परिसंपत्ति, डेटा अखंडता, प्रणाली की प्रभावशीलता व दक्षता सुरक्षित रखने तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आईएफएमएस में प्रणाली कार्यक्षमता और नियंत्रण पर्याप्त था।

## 1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की जांच और मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में किया गया:

- कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण पर भारत सरकार की मार्गदर्शिका;
- आईएफएमएस की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), ऐज-इज एवं टू-बी दस्तावेज़;
- प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज़, प्रकार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश (एफआरएस), सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस), उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) प्रतिवेदन, परिवर्तन एवं कॉन्फिगरेशन प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेज़;
- झारखण्ड बजट मैनुअल, झारखण्ड वित्तीय नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता, झारखण्ड लोक निर्माण/लेखा संहिता, वन अधिनियम एवं मैनुअल;
- आईटी अधिनियम 2000 एवं अनुवर्ती संशोधन; आईटी नियमावली; आईटी विकास, प्रशासन एवं रखरखाव के सामान्य सिद्धांत; झारखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) नीति 2016; और
- इस संदर्भ में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदेश/परिपत्र।

## 1.8 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

आईएफएमएस की आईटी लेखापरीक्षा, इसकी स्थापना (जून 2007) से नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए मई 2022 और जुलाई 2023 के बीच संचालित किया गया था। नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए आईएफएमएस का पूरा डेटा डंप वित्त विभाग से प्राप्त किया गया (जनवरी 2023)। आइडिया का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करने के लिए, डेटा डंप को पुनर्स्थापित और डॉट-सीएसभी फ़ाइलों में निकाला गया।

झारखण्ड में कार्यान्वित आईएफएमएस के 12 मॉड्यूल में से छः<sup>6</sup> प्रकार्यात्मक मॉड्यूलों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।


लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शामिल थे:

1. प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़ की समीक्षा;
2. आईएफएमएस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के विस्तृत पूर्वाभ्यास (यूजर वाक्-थ्रू) द्वारा सभी हितधारकों का दौरा कर प्रणाली में उनके कार्यों का अध्ययन;
3. कंप्यूटर सहायतित लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) साधन यथा- आइडिया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस) का उपयोग करके डेटाबेस का विश्लेषण;
4. डेटा विश्लेषण से उत्पन्न, 2017-18 से 2022-23 (नवंबर 2022 तक) की अवधि से संबंधित निष्कर्षों का, संबंधित हितधारकों का दौरा कर, भौतिक अभिलेखों के साथ सत्यापन।

वित्त विभाग (झा.स.) के विशेष सचिव के साथ 12 सितंबर 2022 को एक अन्तर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, दायरा और मानदंडों को बताया गया। वित्त विभाग (झा.स.) के विशेष सचिव के साथ 13 मार्च 2024 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई। विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय, बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान विभाग के विचारों को ध्यान में रखा गया है। विभाग के जवाबों को भी, प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

<sup>6</sup> (i) ई-बजट; (ii) ई-एलॉटमेंट; (iii) ई-बिल; (iv) ई-ट्रेजरी; (v) झारखण्ड ई-ग्रास; और (vi) ई-पेंशन





**अध्याय 2**  
**परियोजना प्रबंधन**



## 2 परियोजना प्रबंधन

### 2.1 प्रबंधन/संगठनात्मक संरचना

आईएफएमएस परियोजना में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रबंधनीयता और दक्षता के लिए सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई थीं।

आईएफएमएस कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन संगठन संरचना, जैसा कि डीपीआर में परिकल्पित था, चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: परियोजना प्रबंधन संगठन संरचना		
परियोजना नेतृत्व दल (मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वित्त, आईटी), विकास आयुक्त, सचिव (योजना एवं विकास), राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ), एनआईसी)		अंतर-विभागीय समिति <sup>7</sup> (आईडीसी)
परियोजना प्रबंधन समूह		
परियोजना निदेशक (अपर वित्त आयुक्त)		
आईटी दल (एनआईसी वित्त दल)	रूपांतरण दल (अंतर-विभागीय दल-वित्त, महालेखाकार, कोषागार और अन्य)	परियोजना प्रबंधन (जैप-आईटी और पीएमयू)
कार्यान्वयन एजेंसी/भागीदार		

परियोजना नेतृत्व दल (पीएलटी) समग्र परियोजना के लिए सामरिक और रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए एक शीर्ष स्तरीय समिति है। अंतर-विभागीय समिति<sup>8</sup> भी परियोजना को नेतृत्व प्रदान करती है। परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी)<sup>9</sup> आईएफएमएस परियोजना कार्यान्वयन की समग्र प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। पीएमजी के तहत, आईएफएमएस में शामिल प्रत्येक प्रकार्यात्मक पहलू के, विशिष्ट डोमेन ज्ञान के लिए, एक रूपांतरण दल का गठन किया जाना था।

<sup>7</sup> **अध्यक्ष:** आयुक्त एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, **सह-अध्यक्ष:** वित्त आयुक्त या वित्त आयुक्त द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी, **सदस्य सचिव:** वित्त विभाग का अधिकारी, जो कोषागार का प्रभारी हो, **सदस्य:** भविष्य निधि निदेशक, **सदस्य:** एसआईओ, एनआईसी, **सदस्य:** सहायक निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

<sup>8</sup> वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी, झारखण्ड राज्य इकाई के सदस्यों से गठित

<sup>9</sup> पीएमजी एक परियोजना निदेशक के निर्देशन में काम करता है और इसकी तीन इकाइयाँ हैं, जैसे: आईटी दल, रूपांतरण दल और परियोजना प्रबंधन दल

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएमएस के कार्यान्वयन के दौरान आईडीसी, जिसका गठन (मार्च 2004) परियोजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए किया गया था, को छोड़कर ऐसी कोई दल गठित नहीं की गई थी। संपूर्ण परियोजना कार्यान्वयन अर्थात्, विकास के साथ-साथ अनुश्रवण, एनआईसी के तकनीकी मार्गदर्शन और आईडीसी के प्रशासनिक नेतृत्व में परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) द्वारा किया गया था। आईडीसी ने माँड्यूल की आवश्यकता, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाओं/पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करने के लिए जनवरी 2008 और मार्च 2022 के बीच 10 बैठकें आयोजित कीं और परियोजना से संबंधित सभी रणनीतिक निर्णय लिए।

## 2.2 वित्त विभाग के अंतर्गत परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) की स्थापना

कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना का स्वामित्व डीओआईटी से वित्त विभाग को हस्तांतरित करने के लिए इसे तकनीकी रूप से मजबूत करने की आवश्यकता थी, ताकि बिना किसी बाधा के परियोजना को लागू किया जा सके। इसलिए, राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, एनआईसी द्वारा अनुशंसित उच्च-स्तरीय डेवलपर्स<sup>10</sup> को आउटसोर्स कर वित्त विभाग के अंतर्गत एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया था (अक्टूबर 2009)। पीएमयू एनआईसी के तकनीकी मार्गदर्शन में एप्लिकेशन विकास कार्य, इसके संचालन और परिवर्तन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। आगे, पीएमयू की कार्यबल को 37 कर्मियों तक बढ़ा दिया गया (अक्टूबर 2017) जिसमें 14 प्रोग्रामर, 19 सहायक प्रोग्रामर और चार डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। हालांकि, प्रोग्रामर/ सहायक प्रोग्रामर/ डेटा एंट्री ऑपरेटर के मौजूदा 37 पदों को अभ्यर्पित कर 37 नए पदों<sup>11</sup> का सृजन किया गया था (दिसंबर 2021), और तब से पीएमयू नए सृजित मानव बल के साथ कार्य कर रहा है।

## 2.3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा कार्य योजना तैयार करने में विलंब

भारत सरकार की योजना (एमएमपी) के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कोषागार कम्प्यूटरीकरण के वर्तमान स्तर और प्राप्य वांछित स्तर पर आधारित कार्य योजना सहित परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार करने की आवश्यकता थी। आगे, डीपीआर और कार्य योजना को केंद्रीय सहायता निर्गत करने के लिए अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा अनुमोदन से पहले तकनीकी और वित्तीय सुदृढ़ता की जांच के लिए व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया

<sup>10</sup> प्रोग्रामर-02, सहायक प्रोग्रामर-04 और डेटा एंट्री ऑपरेटर-02

<sup>11</sup> कनीय सॉफ्टवेयर डेवलपर/सहायक प्रोग्रामर (ओपन सोर्स):03; सहायता-डेस्क प्रबंधक:01; कंटेंट राइटर:01; सॉफ्टवेयर ट्रेनर:02; सॉफ्टवेयर डेवलपर/प्रोग्रामर (डॉट-नेट):03; क्वालिटी एनालिस्ट-सह-सॉफ्टवेयर टेस्टर:01; सॉफ्टवेयर डेवलपर/प्रोग्रामर (ओपन सोर्स):02; मोबाइल ऐप डेवलपर:02; सॉफ्टवेयर डेवलपर/ प्रोग्रामर (जावा):03; डीबीए:01; वरीय सॉफ्टवेयर डेवलपर/ वरीय प्रोग्रामर (डॉट-नेट):05; वरीय सॉफ्टवेयर डेवलपर/वरीय प्रोग्रामर (ओपन सोर्स):09; वरीय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर:02; और प्रबंधक (आईटी):02

जाना था। परियोजना को तीन वर्षों में अर्थात्, जून 2013 तक पूर्ण किया जाना था, जबकि बचे हुए घटकों को चौथे वर्ष में ले जाना था।

राज्य परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, प्रत्येक परियोजना के अनुमान्य घटकों के लागत का 75 प्रतिशत तक प्रदान की जानी थी, जो 1 अप्रैल 2010 तक प्रति जिले के लिए ₹ 75 लाख तक सीमित थी। निधियों को राज्य के नामित एजेंसी को केंद्रीय सहायता के रूप में (केंद्रीय हिस्से के संबंध में 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान) तीन किशतों में (यानी प्रत्येक को 40:30:30 प्रतिशत) निर्गत किया जाना था, बशर्ते कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संतोषजनक प्राप्ति हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएमएस का डीपीआर तैयार करने के लिए वित्त विभाग, झा.स. द्वारा एक परामर्शदाता<sup>12</sup> को काम पर लगाया गया था (जून 2013)। मुख्य कमियों की पहचान करने के लिए कार्यों, प्रक्रियाओं, लोग और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में मौजूदा प्रणाली का विस्तृत मूल्यांकन किया गया था, और परामर्शदाता द्वारा एक कार्य योजना सहित एक डीपीआर तैयार किया गया था (जून 2014)। मौजूदा कुबेर (संस्करण-1) के ऐज-इज मूल्यांकन और अंतर विश्लेषण के आधार पर, 10 मॉड्यूलों के साथ कुबेर (आईएफएमएस-2.0) को डीपीआर में प्रस्तावित किया गया था, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1: प्रस्तावित मॉड्यूल और उनकी प्रकार्यात्मकताएं	
योजना मॉड्यूल	यह मॉड्यूल विभाग के अधिकारियों को प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर परियोजनाओं की योजना बनाने की अनुमति देगा। प्रणाली, नियोजित परियोजना समयसीमा, संसाधन, व्यय, परिणाम और योजना के आउटपुट और अन्य परियोजना विवरणों को दर्ज करेगा।
बजट मॉड्यूल	इस मॉड्यूल का उपयोग कार्यालय, विभाग और राज्य स्तर पर राजस्व, व्यय और समग्र बजट की तैयारी और आकलन के लिए किया जाएगा। यह बजट चर्चाओं के आधार पर वित्त/योजना एवं विकास विभाग द्वारा बजट को स्वीकृति देने में सहायता करेगा।
प्राप्ति प्रबंधन मॉड्यूल	यह मॉड्यूल विभागों को प्राप्तियां एकत्र, जमा, अभिलेखित, मिलान और उनका विश्लेषण करने तथा प्राप्तियों की वापसी करने की अनुमति देगा।
लेखा मॉड्यूल	यह प्रणाली अपने श्रोत से दर्ज व्यापक प्राप्ति और व्यय, डेटा के आधार पर कोषागारों में लेखों की ऑनलाइन तैयारी की सुविधा प्रदान करेगी। यह मासिक/वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए महालेखाकार को सभी लेखांकन सूचनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत करने/अद्यतन करने की सुविधा भी प्रदान करेगी।
निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल	यह प्रणाली सरकार के सभी ऋणों, गारंटियों और अन्य देनदारियों को अभिलेखित करेगी। यह सरकार द्वारा दिए गए अग्रिमों और निवेशों को भी अभिलेखित करेगी ताकि उन्हें अपनी देनदारियों पर पूर्ण दृष्टि रख सके और उधार की वित्तीय लागत को कम करने के लिए तदनुसार निधि प्रबंधन की योजना बना सके।

<sup>12</sup> मेसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक. (निकसि) के पैनल में शामिल एक परामर्शदाता

<b>लेखापरीक्षा मॉड्यूल</b>	प्रणाली के माध्यम से बाह्य (महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा) और आंतरिक लेखापरीक्षा दोनों को सुगम बनाया जाएगा। लेखापरीक्षा कंडिकाओं/टिप्पणियों की आसान अनुश्रवण और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सभी लेखापरीक्षा पृष्ठों और उनके उत्तरों को प्रणाली में दाखिल किया जाएगा।
<b>व्यय प्रबंधन मॉड्यूल</b>	यह मॉड्यूल विभागों को, प्रणाली के माध्यम से व्यय को प्रारंभ करने (माल/सेवाओं की खरीद), अनुबंध प्रबंधन, विपत्रों की तैयारी, कोषागारों द्वारा विपत्रों का अनुमोदन और भुगतान की अनुमति देगा।
<b>पे-रोल और कर्मचारी दावा मॉड्यूल</b>	यह मॉड्यूल प्रणाली के माध्यम से वेतन विपत्र सृजन करने, प्रस्तुत करने, समीक्षा करने, स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देगा। जीपीएफ योगदान, सीपीएफ, कर, बीमा आदि के अनुसूची सहित वेतन विपत्रों के सृजन की सुविधा के लिए, प्रणाली में एचआरएमआईएस के साथ एक इंटरफेस होगा।
<b>पेंशन मॉड्यूल</b>	यह मॉड्यूल कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति (कर्मचारी की मृत्यु के मामले में) को प्रणाली के माध्यम से नियमित पेंशन प्राप्त करने या पेंशन रूपान्तरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों/प्रपत्रों के साथ पेंशन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देगा।
<b>डेटा वेयरहाउस और रिपोर्टिंग मॉड्यूल</b>	यह मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को बजट तक पहुंचने और उसका विश्लेषण करने तथा वास्तविक समय में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा। उपयोगकर्ता प्रवृत्ति विश्लेषण, भविष्य के प्रक्षेपण आदि के लिए अनुकूलित प्रतिवेदन भी तैयार कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा जून 2013 तक की निर्धारित समयसीमा के विरुद्ध, डीपीआर को केवल जनवरी 2015 में, यानी परियोजना की अवधि के समाप्त होने के बाद, व्यय विभाग को अनुमोदन और निधि निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके परिणामस्वरूप, व्यय विभाग, भारत सरकार के द्वारा राज्य को एमएमपी के तहत कोई केंद्रीय सहायता निर्गत नहीं की गई।

इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) के माध्यम से परियोजना के वित्तपोषण की संभावना तलाशने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), भारत सरकार को डीपीआर (संशोधित) प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2015) और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत परियोजना के वित्तपोषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी), भारत सरकार को भी प्रस्तुत किया गया। हालांकि, मेयटी ने एनआईसी<sup>13</sup> के माध्यम से डीपीआर की समीक्षा की और डीपीआर को संशोधित किया, लेकिन इसने परियोजना को वित्तपोषित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2016)।

## 2.4 परियोजना कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार ने मौजूदा प्रणाली को उन्नत करके एनआईसी, झारखण्ड राज्य इकाई की सहायता से चरणबद्ध तरीके से परियोजना (आईएफएमएस 2.0) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2015)।

<sup>13</sup> एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली और एनआईसी आईएफएमएस दल, पुणे

डीपीआर के आधार पर एनआईसी द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित, आईएफएमएस 2.0 (कुबेर), एक कस्टम-मेड आईटी प्रणाली है, जो बजट, भुगतान प्रक्रमण, लेखांकन, लेखापरीक्षा एवं सरकार तथा अन्य हितधारकों को रिपोर्टिंग जैसे, विभिन्न वित्तीय प्रबंधन कार्यों को एक एकीकृत सॉफ्टवेयर समाधान के माध्यम से जोड़ता है।

वर्तमान में, आईएफएमएस के अंतर्गत 12 मॉड्यूल<sup>14</sup>, जिसमें छः प्रकार्यात्मक और छः अन्य मॉड्यूल (कंडिका 1.3 में चित्रलेख 1.1) शामिल हैं, को 2011-22 के दौरान ₹ 21.65 करोड़<sup>15</sup> के व्यय के उपरांत कार्यान्वित किया गया।

चार्ट 2.2: आईएफएमएस 2.0 (कुबेर)



## 2.5 आईएफएमएस मॉड्यूलों का गैर-कार्यान्वयन एवं विलंब

### 2.5.1 डीपीआर में निर्धारित आईएफएमएस मॉड्यूल का गैर-कार्यान्वयन

आईएफएमएस के डीपीआर में प्रस्तावित 10 मॉड्यूल में से तीन मॉड्यूल अर्थात (i) योजना; (ii) निधि एवं ऋण प्रबंधन; और (iii) लेखापरीक्षा मॉड्यूल विकसित नहीं किए जा सके (जुलाई 2023 तक)। प्रस्तावित आईएफएमएस के दो मॉड्यूलों के गैर-कार्यान्वयन के परिणामों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

<sup>14</sup> (1) वित्तीय पोर्टल (2) सीओबीटी (ई-बजट) (3) एकीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एलॉटमेंट) (4) डीडीओ स्तरीय विपत्र प्रबंधन प्रणाली (ई-बिल) (5) कोषागार एप्लीकेशन (ई-ट्रेजरी) (6) कोषागार एमआईएस (ई-डैशबोर्ड) (7) झारखण्ड ई-ग्रास (ई-चालान) (8) जीपीएफ लेखा प्रणाली (ई-जीपीएफ) (9) कर्मचारी पोर्टल (10) ई-पेंशन (11) कुबेर वेतन पर्ची (ई-पे स्लिप) एवं (12) हमर अपन बजट

<sup>15</sup> हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, वार्षिक तकनीकी सहायता और अनुज्ञप्ति शुल्क: ₹ 16.49 करोड़; और स्थापना शुल्क: ₹ 5.16 करोड़

(i) निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल का विकास न होना

डीपीआर में परिकल्पित था कि आईएफएमएस का निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल:

- राज्य सरकार द्वारा लिए गए प्रत्येक ऋण का विवरण<sup>16</sup> दर्ज करेगा।
- संबंधित उपयोगकर्ताओं को, ऋण पुनर्भुगतान की देय तिथियों के आधार पर एलर्ट जारी करेगा और उपयोगकर्ताओं को प्रणाली के माध्यम से ऋण पुनर्भुगतान विपत्र सृजन करने की अनुमति देगा।
- प्रणाली के माध्यम से ऋण पुनर्भुगतान विपत्रों को प्रक्रमित, सत्यापित, अनुमोदित एवं भुगतान करेगा।
- केंद्रीय बैंक के ऋण डेटाबेस, कोषागार लेखे और एजेंसी बैंक-स्करोल्स के साथ इंटरफेस करके ऋण पुनर्भुगतान के विवरण का अभिलेखन और समाधान करेगा।

लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- ✓ यद्यपि वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार की सहायता मांगी गई थी (मई 2017), निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल का विकास शुरू नहीं किया गया (जुलाई 2023)।
- ✓ महालेखाकार, बाह्य हितधारक होने के कारण, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण (मुख्य शीर्ष 6003)<sup>17</sup> तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम के आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए आईएफएमएस को एक्सेस करने में असमर्थ थे।
- ✓ निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल के अभाव में, ऋण से संबंधित लेन-देन, प्रणाली में दर्ज नहीं हो पा रहे थे तथा राज्य सरकार की वास्तविक समय की अद्यतन-राजकोषीय स्थिति का अनुश्रवण, आईएफएमएस के माध्यम से नहीं की जा सकी।
- ✓ राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों के बेहतर प्रबंधन में सक्षम नहीं थी।
- ✓ ऋण के आंकड़ों पर आधारित नकदी प्रवाह प्रक्षेपण और प्रतिबद्धता प्रक्षेपण के अभाव में, प्रणाली उधार और ऋण प्रबंधन योजनाओं की तैयारी की सुविधा प्रदान नहीं कर सकी।

इसके परिणामस्वरूप, यह देखा गया कि आंतरिक ऋण (मुख्य शीर्ष 6003) के पुनर्भुगतान के आंकड़ों में ₹ 8,064.12 करोड़ की विसंगति<sup>18</sup> थी, जो आईएफएमएस से

<sup>16</sup> उधार ली गई राशि, उधार का श्रोत, उधार लेने की तिथि, उधार का विवरण (कूपन दर, दी गई छूट, ब्याज दर, अंकित मूल्य आदि), उधार लेने की संदर्भ शर्तें, उधार लेने की अवधि और पुनर्भुगतान अनुसूची

<sup>17</sup> बाजार ऋण (101); प्रतिपूर्ति और अन्य बांड (106); भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (110); और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां (111)

<sup>18</sup> आईएफएमएस डेटाबेस का डेटा विश्लेषण कंडिका 3.2.8 में सविस्तारित है

प्राप्त डेटा (₹ 4,222.50 करोड़) और वित्त लेखे (₹ 12,286.62 करोड़) से उभरी, जो कि आईएफएमएस डेटाबेस में चार लघु शीर्षों<sup>19</sup> से संबंधित पुनर्भुगतान राशि को दर्ज नहीं करने के कारण हुई थी। जवाब में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस केवल उन संव्यवहारों को दर्ज करता है, जो कोषागार के माध्यम से किए जाते हैं और महालेखाकार, अन्य सभी गैर-कोषागार संव्यवहारों के लिए लेखा संधारित करते हैं।

निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल के अभाव में, राज्य सरकार (i) अपनी देनदारियों का पूर्ण विवरण देखने में; (ii) उधार लेने की वित्तीय लागत को न्यूनतम करने के लिए अपने निधि प्रबंधन की योजना बनाने में असमर्थ है।

इस प्रकार, प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विशेष सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि इस मॉड्यूल का विकास महालेखाकार (लेखा एवं हक) के परामर्श से पहले ही शुरू किया जा चुका है।

**अनुशंसा 1: राज्य सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल के विकास को प्राथमिकता दे सकती है।**

**(ii) लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकास न होना**

डीपीआर में परिकल्पित था कि आईएफएमएस का लेखापरीक्षा मॉड्यूल, वाह्य (महालेखाकार लेखापरीक्षा) और आंतरिक लेखापरीक्षा दोनों को सुविधाजनक बनाएगा। इस मॉड्यूल को, प्रणाली के माध्यम से, आंतरिक लेखापरीक्षा योजना, प्रणाली-आधारित संव्यवहार लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा पृच्छा को उठाना, लेखापरीक्षा पृच्छा पर प्रतिक्रिया और समीक्षा को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करना था। आगे, महालेखाकार लेखापरीक्षा के सभी लेखापरीक्षा पृच्छा और उसके प्रतिक्रियाओं को प्रणाली में दर्ज किया जाना था, जिससे लेखापरीक्षा कंडिकाओं/टिप्पणियों की सहज अनुश्रवण और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की अनुमति मिल सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया है (जुलाई 2023), जिससे आईएफएमएस के माध्यम से, आंतरिक लेखापरीक्षा योजना, प्रणाली-आधारित संव्यवहार लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा पृच्छा को अपलोड करने में बाधा उत्पन्न हुई। आगे, राज्य सरकार ने आईएफएमएस के माध्यम से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से निर्गत लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई का अनुश्रवण करने का अवसर भी खो दिया।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विशेष सचिव ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि ई-ऑडिट मॉड्यूल का विकास भी प्रक्रियाधीन है।

<sup>19</sup> 101 (बाजार ऋण); 106 (प्रतिपूर्ति और अन्य बांड); 110 (अर्थोपाय अग्रिम); और 111 (केंद्रीय सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ)


**अनुशांसा 2: राज्य सरकार लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के अनुश्रवण को सक्षम बनाने के लिए लेखापरीक्षा माँड्यूल प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर सकती है।**

## 2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

डीपीआर के अनुसार, पूर्वपरिभाषित संकेतकों और सूचकांकों के माध्यम से आईएफएमएस परियोजना की पर्याप्त अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम व इ) सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) की होगी, जिसे विभागीय स्तर पर मुख्य संसाधनों द्वारा सुगम बनाया जाएगा।

आगे, परियोजना के आउटपुट, आउटकम और लक्ष्य के अनुश्रवण हेतु एक विस्तृत एम व इ ढांचा तैयार करना आवश्यक था, इसके अतिरिक्त, परियोजना के आउटकम का मूल्यांकन भी किया जाना था। एम व इ योजना में एक अनुश्रवण साधन का उपयोग भी परिकल्पित था, जो परियोजना की प्रगति और सेवा स्तर में सुधार के लिए एक डैशबोर्ड बनाने में सक्षम होगा। परियोजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिए मुख्य संकेतकों को व्यापक रूप से: (i) परियोजना के आउटकम के लिए लक्ष्य और आउटकम संकेतक, और (ii) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आउटपुट एवं प्रक्रिया संकेतक जैसे श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए थे।

**चार्ट 2.3: सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शासन**



लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमजी, जैसा कि डीपीआर में परिकल्पित था, स्थापित नहीं की गई और लक्ष्यों एवं परिणाम संकेतकों के लिए उपायों/गतिविधियों का आकलन नहीं किया गया। परियोजना कार्यान्वयन के आउटपुट और प्रक्रम संकेतकों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त व सचिव की अध्यक्षता में एक

अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) के माध्यम से किया जा रहा था। यद्यपि, आईडीसी ने अपनी बैठकों में परियोजना कार्यान्वयन पर चर्चा की थी, लेकिन आईएफएमएस के लक्ष्यों और आउटकम को सितंबर 2023 तक इष्टतम रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि अनुश्रवण साधन में निर्धारित मुख्य संकेतकों को नहीं अपनाया गया था। इस प्रकार, परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण और सेवा स्तर में सुधार अपर्याप्त था।

जवाब में, विभाग ने बताया (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस के विभिन्न मॉड्यूल वित्त विभाग के निर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार एनआईसी के मार्गदर्शन में विकसित किए गए थे। आगे बताया गया कि वित्त विभाग के पास प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समर्पित पीएमयू है, जिसमें 37 तकनीकी व्यक्तियों का एक दल है, जिन्हें एनआईसी की देखरेख में काम करने के लिए पदांकित किया गया है।

विभाग का जवाब यह स्पष्ट नहीं करता है कि परियोजना प्रबंधन समूह के अभाव में परियोजना के परिणामों के लिए लक्ष्यों और परिणाम संकेतकों का मूल्यांकन कैसे किया जा रहा था। इस प्रकार, आईएफएमएस परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उस हद तक अपर्याप्त रहा।

## 2.7 अधिग्रहण नियंत्रण

### सर्वर की खरीद में विलंब

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए हार्डवेयर अवसंरचना<sup>20</sup> डीओआईटी द्वारा खरीदी गई (2007 और 2010) और जैप-आईटी के डेटा सेंटर में स्थापित की गई जिसमें छः<sup>21</sup> एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होस्ट किए गए थे। इसके बाद, नए मॉड्यूल जोड़े गए (2013-14 और 2017-18 के बीच) और आईएफएमएस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वाह्य एप्लीकेशन<sup>22</sup> के साथ एकीकृत किए गए। इसलिए, एप्लीकेशन सर्वर, अप्रचलित तथा व्यस्त समय के दौरान और वित्तीय वर्ष के अंत में धीमे हो गए थे। आईएफएमएस के सुचारु संचालन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इन सर्वरों को उन्नत करने और नए सर्वर खरीदने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएमएस परियोजना के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर<sup>23</sup> की आपूर्ति, संस्थापन और प्रवर्तन में लाने के लिए जैप-आईटी द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किया गया था

<sup>20</sup> एप्लीकेशन सर्वर: 04; और डेटाबेस सर्वर: 02

<sup>21</sup> (i) कोषागार एप्लीकेशन; (ii) डीडीओ विपत्र तैयारी एप्लीकेशन; (iii) कोषागार एमआईएस; (iv) बजट एप्लीकेशन; (v) एनएसडीएल गतिविधियां; और (vi) जीपीएफ एप्लीकेशन डेटाबेस

<sup>22</sup> (i) पीएफएमएस; (ii) ई-भुगतान के लिए एसबीआई सर्वर; (iii) आरबीआई ई-कुबेर; (iv) जीएसटीएन पोर्टल; (v) वामिस; (vi) ई-ग्रास; और (vii) कोषागार से ई-भुगतान

<sup>23</sup> एप्लीकेशन सर्वर-02; डाटाबेस सर्वर-03; सर्वर के लिए रेडहेट इंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) की अनुज्ञप्ति-03; तथा रैक माउंटेबल स्विच, कीबोर्ड, माउस आदि

(मई 2014), जिसमें ऑनलाइन बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जून 2014 थी। हालांकि, एक भी ऑनलाइन बोली प्राप्त नहीं हुई और इसलिए आईडीसी ने निविदा रद्द करने की अनुशंसा की (जुलाई 2014)। एनआईसी ने "ऑरेकल एक्साडेटा"<sup>24</sup> का उपयोग करने का सुझाव दिया (फरवरी 2015) क्योंकि इसमें हार्डवेयर घटक<sup>25</sup> शामिल थे। एनआईसी द्वारा किए गए (मार्च 2015) तुलनात्मक अध्ययन<sup>26</sup> के आधार पर, आईडीसी ने वित्त विभाग को सितंबर 2015 तक जैप-आईटी के माध्यम से ऑरेकल एक्साडेटा खरीदने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीओआईटी द्वारा, ऑरेकल एक्साडेटा की खरीद के लिए ₹ 9.83 करोड़<sup>27</sup> की स्वीकृती छः महीने के अंतराल के बाद अर्थात् मार्च 2016 में दी गई, जिसका कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, खरीद केवल 2015-17 के दौरान ही की जा सकी, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2015 में प्रारंभिक आरएफपी जारी होने के बावजूद आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद में विलंब हुआ। वित्त विभाग ने, ₹ 45.26 लाख की लागत पर, केवल फरवरी 2019 में पाँच वर्ष की ऑनसाइट व्यापक वारंटी के साथ, पांच अतिरिक्त एप्लिकेशन सर्वर<sup>28</sup> खरीदे।

इस प्रकार, आवश्यक अवसरंचना की चरणबद्ध खरीद राज्य में आईएफएमएस के कार्यान्वयन में समग्र विलंब का कारण बनी।

जवाब में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस परियोजना के लिए मुख्य खरीदारी, आईटी विभाग द्वारा किए गए थे। आगे यह कहा गया कि विभाग ने, आईटी विभाग से अवसरंचना की खरीद में विलंब का कारण बताने का अनुरोध किया है। आईटी विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।


<sup>24</sup> ऑरेकल विशेषज्ञ (ओईएम) द्वारा सीधे पूर्व-कॉन्फिगर किया गया और ओईएम से सीधे एकल बिंदु समर्थन प्राप्त, एक एकीकृत समाधान है। इसके अलावा, उच्च उपलब्धता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वर को कॉन्फिगर करने के पारंपरिक तरीके की तुलना में समाधान की लागत कम होगी

<sup>25</sup> डाटाबेस सर्वर (02), स्टोरेज सर्वर और डेटा आदान-प्रदान के लिए हाई-स्पीड नेटवर्क

<sup>26</sup> पारंपरिक सर्वर ऑरेकल डीबी के कॉन्फिगरेशन के साथ एक्साडेटा का पूरा बॉक्स खरीदने में शामिल लागत

<sup>27</sup> हार्डवेयर: ₹ 2.56 करोड़; अनुज्ञप्ति: ₹ 2.94 करोड़; अग्रिम ग्राहक सहायता: ₹ 66.47 लाख; सहायता सेवाएं प्रथम वर्ष: ₹ 40.23 लाख; वार्षिक तकनीकी सहायता द्वितीय वर्ष: ₹ 1.01 करोड़; वार्षिक तकनीकी सहायता तृतीय वर्ष: ₹ 1.03 करोड़; तथा कर, ढुलाई आदि: ₹ 1.22 करोड़

<sup>28</sup> (i) 8 कोर: 01; (ii) 10 कोर: 02; और (iii) 12 कोर: 02



**अध्याय 3**  
**आईटी नियंत्रण**



# 3 आईटी नियंत्रण

## 3.1 सामान्य नियंत्रण

### 3.1.1 सॉफ्टवेयर विकास में अपर्याप्त प्रलेखन

प्रणाली के विकास से पूर्व तैयार उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यूआरएस), उपयोगकर्ता का प्रणाली से व्यावसायिक आवश्यकता का वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस), सॉफ्टवेयर की पूर्ण विशिष्टताओं तथा आवश्यकताओं का वर्णन है, जिसे सॉफ्टवेयर प्रणाली के सफल विकास के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) एक दस्तावेज़ होता है, जो वर्णित करता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और इसका अपेक्षित प्रदर्शन कैसा होगा।

आगे, प्रणाली के संरचित विश्लेषण मॉडल में डेटा शब्दकोश एक मुख्य घटक होता है। यह डेटा प्रवाह आरेख में दिखाए गए सभी डेटा मर्दानों को सूचीबद्ध करता है।

सभी एप्लीकेशन का समुचित प्रलेखन सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड के मुख्य सचिव के निर्देशों (जनवरी 2014) के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में आईएफएमएस के कार्यान्वयन से पहले एनआईसी द्वारा यूआरएस, एसआरएस और डेटा शब्दकोश तैयार नहीं किया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में वरिष्ठ निदेशक (आईटी)-सह-एसआईओ (एनआईसी) ने कहा कि विभाग की निरंतर प्रयोजन-आधारित आवश्यकताओं के कारण मॉड्यूल का विकास खुला रखा गया था, इसलिए यूआरएस और एसआरएस तैयार करना संभव नहीं था। आगे कहा गया कि प्रत्येक मॉड्यूल के विकसित होने के बाद, उसके लिए प्रणाली डिज़ाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) तैयार किया गया था।

यूआरएस और एसआरएस के अभाव में, परियोजना का विकास और कार्यान्वयन पूरी तरह से एनआईसी पर निर्भर था।

### 3.1.2 व्यवसाय निरंतरता योजना का अभाव

आईटी परिदृश्य में, व्यवसाय निरंतरता योजना<sup>29</sup> (बीसीपी), आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की रोकथाम अथवा न्यूनीकरण के लिए एक अवसंरचना की स्थापना के लिए तैयार की जाती है। उच्च उपलब्धता<sup>30</sup> और आपदा रिकवरी बीसीपी के प्रमुख घटक

<sup>29</sup> व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) आपदा की स्थिति में संगठित, सुरक्षित और समय पर रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रिकवरी रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है

<sup>30</sup> उच्च उपलब्धता बीसीपी का एक मुख्य घटक है जो महत्वपूर्ण प्रणालियों और एप्लीकेशन में छोटे व्यवधानों के जोखिम को न्यूनतम करने पर केंद्रित होता है

हैं। आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आपदा रिकवरी योजना (डीआरपी) तैयार की जानी चाहिए। आईएफएमएस, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण वित्तीय एप्लिकेशन है, जिसकी उच्च उपलब्धता और शून्य डेटा हानि को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त विभाग के पास एक मजबूत बीसीपी और डीआरपी होना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त विभाग के द्वारा एक निकट आपदा रिकवरी केंद्र (एनडीआरसी) का प्रावधान किया गया था (अक्टूबर 2019) जहां डेटा, प्राथमिक डेटा केंद्र (पीडीसी) के साथ लयबद्ध होगा। आईडीसी ने प्राथमिक स्थल (पीडीसी) पर होस्ट किए जाने के लिए 16 कोर ऑरेकल एक्साडेटा प्रणाली खरीदने और मौजूदा हार्डवेयर को रांची स्थित एनआईसी डेटा केंद्र पर स्थित एक द्वितीयक स्थल (एनडीआरसी) में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की (जनवरी 2021), क्योंकि यह हार्डवेयर चार वर्ष पुराना था।

यह भी देखा गया कि आईएफएमएस के लिए बीसीपी और एनडीआरसी की स्थापना का एक प्रस्ताव जैप-आईटी द्वारा तैयार किया गया था और वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था (मई 2019)। हालाँकि, इसे केवल जनवरी 2021 में अनुमोदित किया गया, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीओआईटी, झा.स. द्वारा अतिरिक्त अनुज्ञप्ति की लागत सहित ₹15.51 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई (अगस्त 2022) और हार्डवेयर की खरीद के लिए जैप-आईटी को ₹ 10.65 करोड़<sup>31</sup> निर्गत किए गए (अगस्त 2022)। हालाँकि, कोई खरीद नहीं की गई और निधि, जैप-आईटी के पास निष्क्रिय पड़ी रही। इस प्रकार, एनडीआरसी को नवंबर 2023 तक प्रकार्यात्मक नहीं बनाया जा सका, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, बीसीपी का गैर-कार्यान्वयन और एनडीआरसी की गैर-स्थापना ब्रेकडाउन के दौरान प्रणाली के ठीक से कार्य नहीं करने के जोखिम से भरा है, जो उच्च उपलब्धता और शून्य डाउनटाइम के उद्देश्य को बाधित करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (जून 2023) कि बीसीपी को अनुमोदित कर दिया गया है, किन्तु इसे कार्यान्वित किया जाना अभी बाकी है। बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विशेष सचिव ने कहा कि विभाग एनडीआरसी की स्थापना के बारे में प्रयासरत है और आवश्यक हार्डवेयर की खरीद को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

### 3.1.3 परिवर्तन प्रबंधन योजना की गैर-तैयारी

झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) की कंडिका 11बी में प्रावधान है कि आईएफएमएस में सभी परिवर्तनों को निर्धारित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए,

<sup>31</sup> प्रथम वर्ष के लिए।

जिसमें परिवर्तन के प्रयोजन की एक प्रलेखित प्रक्रिया, उसका मूल्यांकन और स्वीकृति, परिवर्तन का परीक्षण और उसे उत्पादन वातावरण में प्रस्तुत करना शामिल होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि आईएफएमएस एप्लीकेशन में सभी नए या मुख्य उन्नयन को संचालन से पूर्व तकनीकी और गैर-तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं के व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त विभाग ने विभाग की व्यावसायिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार आईएफएमएस एप्लीकेशन में किए गए परिवर्तनों के लिए कोई परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की। यद्यपि, वित्त विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि परिवर्तनों की आवश्यकताओं को मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया और डेवलपर्स द्वारा उन्हें एप्लीकेशन में संबोधित किया जा रहा था, तथापि जेटीसी के तहत आवश्यक, परिवर्तनों का प्रतिशतता/अनुपात प्रलेखित नहीं किया गया।

एप्लीकेशन में किए गए परिवर्तनों के प्रलेखन का यह अभाव, वित्त विभाग को प्रणाली प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से एनआईसी पर निर्भर बना देगी।

जवाब में विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि परिवर्तन प्रबंधन और परिनियोजन, विभिन्न विभागों और कार्यालयों की तत्काल आवश्यकता के कारण किया जाता है। प्रमुख परिवर्तनों के लिए, संचिका पर अनुमोदन लिया जा रहा है, जबकि छोटे दोषों के लिए परिवर्तन, एनआईसी की सहमति से डेटाबेस प्रशासक द्वारा परिनियोजित किए जाते हैं।

तथ्य यह है कि डेटाबेस प्रशासक द्वारा परिवर्तन, झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) में निर्धारित किसी तकनीकी/गैर-तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं के मूल्यांकन के बगैर, सीधे उत्पादन वातावरण में किए गए थे। परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के दौरान आईएफएमएस में प्रकार्यात्मक कमियाँ देखी गईं, जैसा कि कंडिका 3.2 में चर्चा की गई है।

### 3.1.4 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ गैर-एकीकरण

वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार के निधि के वितरण और उपयोग पर नज़र रखने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की शुरुआत की (अप्रैल 2008)। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया (जून 2015) कि वे कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के अनुश्रवण हेतु राज्य के कोषागारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले योजना कोड के साथ भारत सरकार की सभी योजनाओं की मैपिंग 30 जून 2015 तक पूर्ण करें।

आईएफएमएस डेटाबेस के डेटा विश्लेषण से पता चला कि 2,318 योजना कोड के विरुद्ध, जिसमें स्वीकृत राशि दर्ज की गई थी, केवल 487 योजना कोड ही मैप किए गए थे। इस प्रकार, भारत सरकार की योजनाओं की अधूरी मैपिंग के कारण, कार्यान्वयन

एजेंसियों के बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के अनुश्रवण के लिए पीएफएमएस और राज्य कोषागार के बीच इंटरफेस स्थापित नहीं किया जा सका।

आगे, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए राज्यों को निधि निर्गत करने तथा 1 जुलाई 2021 की तिथि से निर्गत निधि के उपयोग के अनुश्रवण के लिए एक संशोधित प्रक्रिया जारी की (अप्रैल 2021)। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत, यदि एक सीएसएस को एक पृथक केंद्रीय या राज्य आईटी प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, तो उसे पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, और राज्य आईएफएमएस, योजना के घटक-वार व्यय को पीएफएमएस योजना कोड और व्यय करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के विशिष्ट कोड के साथ, दर्ज करने में सक्षम होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएमएस के साथ पीएफएमएस के गैर-एकीकरण के कारण सीएसएस के अंतर्गत राज्यों को निर्गत केन्द्रांश आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, पीएफएमएस के साथ आईएफएमएस का गैर-एकीकरण राज्य सरकार, मास्टर एवं संव्यवहार स्तरीय डेटा को दर्ज करने तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति का वास्तविक समय पर अनुश्रवण करने वाले एक साधन से वंचित रहा।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस तालिकाएँ पीएफएमएस पर अपलोड किए गए सभी बजट, व्यय और निर्गत किए गए डेटा को दर्ज नहीं करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाधान केवल तभी संभव होगा जब सर्वर से सर्वर समाधान की सुविधा द्वारा आईएफएमएस में पीएफएमएस पोर्टल से रिवर्स एमआईएस प्राप्त हो। बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में, विशेष सचिव ने यह भी कहा कि आईएफएमएस को पीएफएमएस द्वारा अनुमत सीमा तक पीएफएमएस के साथ एकीकृत कर दिया गया है और राज्य सरकार ने इस संबंध में सीजीए को कई पत्र लिखे हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त राज्य-संबंधित योजनाओं के लेखा शीर्षों का राज्य के बजट शीर्षों के साथ मैपिंग झारखण्ड सरकार के स्तर पर अधूरा था, जिससे इन योजनाओं की प्रगति का वास्तविक समय पर अनुश्रवण का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

### 3.1.5 अप्रभावी सहायता-डेस्क प्रबंधन

सहायता-डेस्क सभी समस्याओं, मुद्दों, अनुरोधों और पृच्छाओं के लिए एक एकल संपर्क बिंदु होता है जो क्लाइंट वातावरण में अंतिम उपयोगकर्ताओं से प्राप्त होते हैं। एक कुशल सहायता-डेस्क को प्रतिवेदित समस्याओं/शिकायतों को पंजीकृत करने, संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को टिकट आवंटित करने, टिकटों के समाधान को ट्रैक करने और आईटी प्रणाली के उन घटकों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करनी चाहिए,

जिसमें सुधार और उन्नयन की आवश्यकता है। सहायता-डेस्क प्रबंधन प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण तैयार करने में भी सहायता करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि दिसंबर 2021 में वित्त विभाग द्वारा सहायता-डेस्क प्रबंधक का पद सृजित किया गया था, लेकिन आईएफएमएस के लिए ऐसा कोई सहायता-डेस्क स्थापित नहीं किया गया था। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतें<sup>32</sup>, सहायता-डेस्क के बजाय, परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा प्राप्त एवं समाधान, उनके शिकायत दर्ज करने तथा समाधान करने की तिथियाँ और समय को दर्ज किए बिना ही किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान, पीएमयू को क्रमशः 2,196 और 2,213 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका समाधान किया गया। लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

- शिकायतों की तिथि और समय प्रतिवेदन में दर्ज नहीं किए गए थे जिससे मामलों के समाधान में लगने वाले अनुक्रिया काल का पता नहीं लगाया जा सका।
- अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों के लिए टिकट संख्या व्युत्पन्न नहीं किए गए और इसलिए शिकायतों का ट्रैकिंग नहीं किया जा सका।
- शिकायतकर्ताओं के नाम और स्थान के फ़ील्ड क्रमशः 90 और 113 मामलों (2022-23) और 86 और 144 मामलों (2023-24) में रिक्त थे। 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 14 और 37 मामलों में, दोनों फ़ील्ड रिक्त पाए गए और इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि शिकायतें किसने की थीं।

इस प्रकार, आईएफएमएस प्रणाली के आगे सुधार/उन्नयन के लिए सहायता-डेस्क प्रबंधन से संबंधित कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सका और प्रणाली की उच्च उपलब्धता और शून्य डाउनटाइम का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि वह सहायता-डेस्क स्थापित करने की योजना बना रहा है और आश्वासन दिया कि शिकायत दर्ज करने की तिथि और समय के साथ-साथ समापन तिथि भी दर्ज की जाएगी।

**अनुशंसा 3: राज्य सरकार आईएफएमएस के लिए, स्वतः टिकट जारी करने और स्वतः लॉग वाले प्रावधान के साथ, एक सहायता-डेस्क स्थापित कर सकती है, जो शिकायतों के समाधान के बाद ही बंद हो।**

<sup>32</sup> या तो दूरभाष पर, अथवा ई-मेल के माध्यम से

## 3.2 आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियंत्रण

### पेंशन और कोषागार (भुगतान) मॉड्यूल में कमियां

#### 3.2.1 कोषागार (भुगतान) मॉड्यूल और पेंशन मॉड्यूल में सत्यापन नियंत्रण का अभाव


सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ, यथा-मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) और पेंशन का रूपांतरित मूल्य (सीभीपी), आमतौर पर पेंशनभोगियों को एकमुश्त गैर-आवर्ती भुगतान होता है।

झारखण्ड में, सरकारी कर्मचारियों या उनके परिवारिक सदस्यों को, उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर, सरकार द्वारा नियमों के अनुसार स्वीकृत तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत, पेंशन और अन्य पेंशन लाभों (डीसीआरजी और सीभीपी) का भुगतान किया जाता है। महालेखाकार से भुगतान प्राधिकार प्राप्त होने के बाद, कोषागार पदाधिकारी (टीओ) प्रथम पेंशन, डीसीआरजी और सीभीपी के भुगतान के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के रूप में विपत्र तैयार करता है। तत्पश्चात, वह टीओ के रूप में कोषागार से जुड़े बैंक को ऑनलाइन भुगतान संज्ञापन निर्गत कर के, भुगतान को अधिकृत करते हुए विपत्र पारित करता है।

2017-18 में शुरू किया गया ई-पेंशन पोर्टल, महालेखाकार कार्यालय में पेंशन आवेदन को अपलोड करने तथा भुगतान की अग्रतर प्रक्रिया हेतु, आईएफएमएस में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश (जीपीओ) और रूपांतरण भुगतान आदेश (सीपीओ) जैसे भुगतान प्राधिकारों को निर्गत एवं अपलोड करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है।

इसमें शामिल प्रक्रिया को चित्रलेख 3.1 में दर्शाया गया है।

#### चित्रलेख 3.1



आईएफएमएस डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि पेंशनभोगियों का पेंशन डेटा (महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन, डीसीआरजी, सीभीपी) एक तालिका में दर्ज किया जा रहा था, जिसमें पीपीओ संख्या, पेंशनभोगियों का नाम, पेंशन, डीसीआरजी, सीभीपी की अनुमान्य राशि संग्रहित की जा रही थी। कोषागारों द्वारा किए गए भुगतान, एक अन्य तालिका में दर्ज किए जा रहे थे, जिसमें पीपीओ संख्या, पेंशनभोगियों के नाम, भुगतान की राशि, भुगतान की तिथि, कोषागार वाउचर (टीभी) संख्या एवं टीभी तिथि संग्रहित की जा रही थी।

अग्रेतर विश्लेषण से पता चला कि पेंशन भुगतान से संबंधित 11,89,931 संव्यवहारों में से केवल 8,18,004 (68.74 प्रतिशत) संव्यवहारों में ही पीपीओ संख्या दर्ज पाए गए। शेष 3,71,927 संव्यवहारों में, पीपीओ संख्या भुगतान तालिका में दर्ज नहीं पाए गए। 8,18,004 संव्यवहारों में से, 86,014 संव्यवहार डीसीआरजी भुगतान से, 43,158 संव्यवहार सीभीपी भुगतान से और 6,88,832 संव्यवहार पेंशन भुगतान से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने डीसीआरजी और सीभीपी भुगतानों से संबंधित 1,29,172 संव्यवहारों<sup>33</sup> को आईएफएमएस तालिकाओं में उपलब्ध अनुमान्य राशियों के साथ तिर्यक जांच की ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि कोषागारों द्वारा किया गया डीसीआरजी/सीभीपी का भुगतान, भुगतान प्राधिकारों के अनुरूप था।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 344 मामलों में<sup>34</sup>, डीसीआरजी/सीभीपी की प्राधिकृत अनुमान्य राशि के विरुद्ध, कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को कुल ₹ 11 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। डेटा विश्लेषण से आगे यह पता चला कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नियंत्रण-जांच के अभाव के कारण, 344 मामलों में से छः<sup>35</sup> में, डीसीआरजी के विरुद्ध भुगतान, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित (जनवरी 2017) ₹ 20 लाख की सीमा से अधिक था।

लेखापरीक्षा ने इन सभी 344 मामलों को संबंधित 29 कोषागारों के पास उपलब्ध रजिस्ट्रारों/अभिलेखों से सत्यापित किया तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक) को भेजे गए वाउचरों/कोषागार अनुसूचियों से भी इसकी पुष्टि की। यह देखा गया कि वास्तव में 47 मामलों में ₹ 2.03 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था; जबकि 30 मामलों में ₹ 24.80 लाख का अधिक व्यय दर्ज किया गया था। शेष मामले (i) आईएफएमएस डेटाबेस में संशोधित पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों का गैर-अद्यतन (198 मामले); (ii) शीर्षों के गलत-वर्गीकरण (62 मामले); तथा (iii) भुगतान के दौरान एक से अधिक पेंशनभोगियों के विरुद्ध एक ही पीपीओ संख्या दर्ज किए जाने (सात मामले) के कारण थे।

<sup>33</sup> डीसीआरजी: 74,178 पेंशनभोगियों के 86,014 संव्यवहार और सीभीपी: 30,305 पेंशनभोगियों के 43,158 संव्यवहार

<sup>34</sup> डीसीआरजी: 184 मामले और सीभीपी: 160 मामले

<sup>35</sup> पीपीओ संख्या 1117xxxxx (बोकारो), 1117xxxxx (चक्रधरपुर), 1118xxxxx (रांची), 1418xxxxx (सिंहभूम), 1119xxxxx (जमशेदपुर) और 1122xxxxx (रांची)

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 47 मामलों में ₹ 2.03 करोड़ के अधिक भुगतान की वास्तविक राशि (i) एक ही प्राधिकार के विरुद्ध एक पेंशनभोगी को दो बार किए गए भुगतान (दो मामले), (ii) एक पेंशनभोगी को दूसरे पेंशनभोगी के प्राधिकार के विरुद्ध किए गए भुगतान (12 मामले); और (iii) त्रुटिपूर्ण विपत्रों/संज्ञापन की तैयार करने (33 मामले), के कारण हुए थे। आगे, डीसीआरजी/सीभीपी भुगतानों में टीडीएस राशि के त्रुटिपूर्ण जोड़ (30 मामले) के कारण, ₹ 24.80 लाख का अधिक व्यय संधारण किया गया, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

### 3.2.1 (i) एक ही प्राधिकार के विरुद्ध दो बार किए गए भुगतान

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिक भुगतान के दो मामलों में, चाईबासा और खूंटी के कोषागार पदाधिकारियों (टीओ) ने एक ही जीपीओ के विरुद्ध एक पेंशनभोगी को डीसीआरजी का भुगतान दो बार किया, अर्थात् पहली बार व्यक्तिगत प्रति के विरुद्ध और दूसरी बार कोषागार प्रति के विरुद्ध। इन मामलों को निम्नलिखित केस स्टडी में दर्शाया गया है।

#### केस स्टडी 1

पारिवारिक पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय, झारखण्ड, रांची द्वारा स्वर्गीय श्री वाई की पत्नी श्रीमती एक्स (पीपीओ संख्या 1418xxxx और जीपीओ संख्या 1218 xxxxx) के पक्ष में उनके पति (सरकारी कर्मचारी) की मृत्यु (जनवरी 2018) के पश्चात, चाईबासा कोषागार द्वारा संवितरण के लिए प्राधिकार निर्गत किया गया था (30 अक्टूबर 2018)। जीपीओ संख्या 1218xxxx के विरुद्ध, चाईबासा कोषागार द्वारा डीसीआरजी के रूप में उन्हें ₹ 13,35,200 का भुगतान किया गया (टीभी संख्या 50 दिनांक 07 जनवरी 2019 के अंतर्गत), जिसके लिए पेंशन भुगतान पंजी (पीपीआर) (जीपीओ संख्या 1218xxxx के लिए कोषागार में संधारित) में एक प्रविष्टि की गई थी।

तीन माह के बाद, अप्रैल 2019 में, पीपीआर में कोई प्रविष्टि किए बिना, उन्हें ₹ 13,35,200 की उसी राशि का, फिर से किया गया भुगतान पाया गया (टीभी संख्या 58 दिनांक 25 अप्रैल 2019 के अंतर्गत)।

टीओ, चाईबासा ने महालेखाकार को प्रतिवेदित किया कि जनवरी 2019 में किया गया भुगतान (प्रथम पेंशन की मासिक विवरणी) **जीपीओ संख्या 1215xxxx** के विरुद्ध तथा अप्रैल 2019 में किया गया भुगतान जीपीओ संख्या 1218xxxx के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा ने साई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से महालेखाकार द्वारा जारी डीसीआरजी प्राधिकारों को कोषागार द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत मासिक विवरणी के साथ तिर्यक-जांच की और पाया कि **जीपीओ संख्या 1215xxxx** के लिए प्राधिकार महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी ही नहीं किया गया था। वास्तव में, डीसीआरजी के दोनों भुगतान एक ही जीपीओ (अर्थात् 1218xxxx) के विरुद्ध किए गए थे, पहला जनवरी 2019 में पेंशनभोगी की व्यक्तिगत प्रति के विरुद्ध और दूसरा (अप्रैल 2019)

उसी जीपीओ की कोषागार प्रति के विरुद्ध। मासिक कोषागार लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को टीओ चाईबासा द्वारा प्रस्तुत भुगतान वाउचर की जांच के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई।

जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय जीपीओ निर्गत करता है जिसमें नौ अंक होते हैं; "12" पहले दो अंक होते हैं, प्राधिकार के वर्ष के लिए ("yy") अगले दो अंक होते हैं और अंतिम पांच अंक विशिष्ट जीपीओ संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार, मासिक विवरणी में टीओ द्वारा बताई गई जीपीओ संख्या (अर्थात् 1215xxxx) भ्रामक था क्योंकि यह जीपीओ संख्या (1215xxxx) वर्ष 2015 से संबंधित था, अर्थात् जनवरी 2018 में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व। इसलिए यह मामला विभाग के लिए खतरे का एक संकेत है, जो गहन अनुसंधान को आकृष्ट करता है।

इस प्रकार, एक ही जीपीओ के विरुद्ध श्रीमती एक्स को डीसीआरजी का दोहरा भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 13.35 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

## केस स्टडी 2

कोषागार पदाधिकारी खूंटी ने एक पेंशनर (पीपीओ संख्या 1418xxxx) को ₹ 3,57,840 की राशि के एक ही जीपीओ (संख्या 1218xxxx) के विरुद्ध फरवरी 2019 में ₹ 7,15,680 की डीसीआरजी राशि का भुगतान किया (फरवरी 2019 के टीभी संख्या 65 और टीभी संख्या 66 के अंतर्गत)। एक ही जीपीओ के विरुद्ध दो संज्ञापन सृजित कर भुगतान किया गया, पहला 02 फरवरी में ("जीपीओ I" के रूप में) और दूसरा 11 फरवरी में ("जीपीओ II" के रूप में), परिणामस्वरूप ₹ 3.58 लाख का अधिक भुगतान हुआ। टीओ ने महालेखाकार को प्रेषित फरवरी 2019 के मासिक विवरणी में दूसरे भुगतान को शामिल नहीं किया, हालांकि भुगतान मासिक लेखे में लेखांकित थे।

इस प्रकार, आईएफएमएस में, एक ही जीपीओ संख्या के विरुद्ध, एक ही लाभार्थी को एक से अधिक बार डीसीआरजी के भुगतान प्रक्रमण का पता लगाने/रोकने के लिए डिजाइन नहीं करने के कारण अधिक भुगतान किए गए। इसके अलावा, आईएफएमएस ने पेंशनभोगी के विरुद्ध कुल डीसीआरजी भुगतान के ₹ 20 लाख की सीमा से अधिक होने पर भी प्रणाली से कोई एलर्ट भी जारी नहीं हुआ। आगे, आईएफएमएस में एक ही प्राधिकार के विरुद्ध एक ही पेंशनभोगी को एकाधिक भुगतानों से प्रतिबंधित करने के लिए कोई एप्लिकेशन नियंत्रण नहीं बनाया गया था।

इस प्रकार, चाईबासा और खूंटी कोषागार द्वारा दो पेंशनभोगियों को किए गए ₹ 16.93 लाख के अधिक भुगतान की वसूली और उसे सरकारी खाते में जमा किया जाना आवश्यक है। आगे, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जैसा कि जेटीसी में निर्धारित है।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग के विशेष सचिव ने कहा कि जब तक आईएफएमएस को साई-पेंशन के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत नहीं किया जाता है और ई-पीपीओ सहित ई-प्राधिकार को सृजित कर आईएफएमएस में नहीं डाला जाता है, तब तक प्रणाली को पूरी तरह से स्वचालित नहीं किया जा सकता है। पेंशन लाभों के भुगतान को सत्यापित करने और राशियों की मानवीय प्रविष्टियों को रोकने के लिए पहले से ही एक नई प्रक्रिया प्रवाह लागू की गई है, ताकि ऐसे मामलों से कुछ हद तक बचा जा सके। ई-वाउचर प्रणाली स्थापित करने के लिए नए हार्डवेयर सहित एक मिडलवेयर स्थापित किया जा रहा है, जो आईएफएमएस को पेंशन डेटा (ई-प्राधिकार) के निर्बाध प्रवाह में भी मदद करेगा। आगे, यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अधिक भुगतानों की वसूली की जाएगी।

### 3.2.1 (ii) एक पेंशनभोगी को किसी अन्य पेंशनभोगी के प्राधिकार के विरुद्ध किए गए भुगतान

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसीआरजी/सीभीपी के अधिक भुगतान के 47 मामलों में से ₹ 1.14 करोड़ (डीसीआरजी: ₹ 76.79 लाख और सीभीपी: ₹ 37.52 लाख) के 12 मामले, एक पेंशनभोगी को किसी अन्य पेंशनभोगी को निर्गत प्राधिकार के विरुद्ध किए गए भुगतान के कारण थे (परिशिष्ट 3.1)।

इन मामलों में, कोषागार द्वारा भुगतान संज्ञापन तैयार करते समय पीपीओ संख्या (अर्थात् पहले पेंशनभोगी का पीपीओ संख्या दूसरे पेंशनभोगी के लिए त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रविष्टि की गई) की गलत प्रविष्टि के कारण दूसरे पेंशनभोगी के स्थान पर एक ही पेंशनभोगी को दो बार भुगतान किया गया। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

#### केस स्टडी 3

जून 2016 में सेवानिवृत्त हुई श्रीमती एस को रांची कोषागार से जीपीओ संख्या 1217xxxxx के विरुद्ध ₹ 5,65,144 के डीसीआरजी के भुगतान हेतु प्राधिकार निर्गत किया गया था। उक्त राशि का भुगतान उन्हें मई 2017 के टीभी संख्या 233 के माध्यम से किया गया था। कोषागार में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि उन्हें डीसीआरजी के लिए ₹ 8,98,821 का एक अन्य भुगतान जुलाई 2017 में भी किया गया (जुलाई 2017 के टीभी संख्या 220 के अंतर्गत) था।

आईएफएमएस के पेंशन डेटाबेस के साथ कोषागार में संधारित पेंशन भुगतान पंजी की जांच से पता चला कि दूसरा भुगतान एक अन्य पेंशनभोगी, श्री जी (पीपीओ संख्या 1117yyyyy) से संबंधित था, जो जनवरी 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। श्री जी के पेंशन लाभ का भुगतान जीपीओ संख्या 1217yyyyy के जरिए प्राधिकृत किया गया था। प्राधिकार के विरुद्ध, सीभीपी और पेंशन का भुगतान श्री जी को किया गया, जबकि उपदान का भुगतान श्रीमती एस को किया गया। यह इस तथ्य से भी पुष्टि की गई कि कोषागार के अभिलेख में श्री जी को भुगतान किये गए उपदान का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, श्रीमती एस को किया गया ₹ 8.99 लाख का अधिक भुगतान उनकी डीसीआरजी के पात्रता से ऊपर और अधिक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि प्राधिकारों का विवरण<sup>36</sup> आईएफएमएस डेटाबेस (ई-पेंशन) में पहले से ही उपलब्ध था, आईएफएमएस एप्लीकेशन (ई-ट्रेजरी) ने भुगतान करते समय सत्यापन के लिए इसका उपयोग नहीं किया। इस प्रकार, सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, भुगतान प्रक्रमित करते समय आईएफएमएस में उपलब्ध सूचनाओं के साथ दावों की प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि विभाग के संबंधित अनुभागों को अधिक्य भुगतानों का कारण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे कहा गया कि महालेखाकार के पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा साझा किए गए प्राधिकारों की हार्ड-कॉपी के आधार पर, इंटरफेस के माध्यम से सही भुगतान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कोषागार पदाधिकारियों की थी।

इस प्रकार, यह अधिक भुगतान, कोषागार पदाधिकारियों द्वारा सम्यक तत्परता की कमी के साथ-साथ आईएफएमएस में कमजोर सत्यापन नियंत्रण के कारण हुई।

**अनुशंसा 4:** राज्य सरकार को आईएफएमएस का साई पेंशन पोर्टल के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए तथा एक प्राधिकार के विरुद्ध दावों को एक से अधिक बार प्रक्रमण के जोखिम से बचाव के लिए, उचित सत्यापन नियंत्रण कार्यान्वित करना चाहिए।

### 3.2.1 (iii) त्रुटिपूर्ण संज्ञापन तैयार करने के कारण अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिक भुगतान के 47 मामलों में से, ₹ 72.27 लाख (परिशिष्ट 3.2) की राशि के 33 मामले या तो आईएफएमएस के माध्यम से भुगतान संज्ञापन तैयार करने के दौरान त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों अथवा मानवीय स्तर पर तैयार विपत्रों में त्रुटिपूर्ण राशि की प्रविष्टि के कारण हुए थे। इन मानवीय विपत्रों को टीओ द्वारा पारित किया गया था तथा भुगतान संज्ञापन सृजित करने के लिए आईएफएमएस में प्रविष्टि की गई थी। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

#### केस स्टडी 4

महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशनभोगी श्री एक्स (पीपीओ संख्या 1117xxxxx) को चाईबासा कोषागार के अंतर्गत चक्रधरपुर उप-कोषागार से ₹ 6,90,030 के डीसीआरजी के भुगतान के लिए प्राधिकार निर्गत किया गया (अगस्त 2017)।

उक्त प्राधिकार के विरुद्ध, आईएफएमएस में बैंक संज्ञापन तैयार करते समय एक अतिरिक्त शून्य की प्रविष्टि के कारण टीओ ने ₹ 69,00,030 (टीभी संख्या 26 दिनांक 24-10-2017 के अंतर्गत) का भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, पेंशनभोगी को ₹ 62,10,000 का अधिक भुगतान हुआ।

<sup>36</sup> पेंशनभोगी का नाम, देय राशि, खाता संख्या, पीपीओ संख्या, जीपीओ/सीपीओ संख्या इत्यादि

यद्यपि, ₹ 62,10,000 का अधिक भुगतान, कोषागार द्वारा वसूल कर लिया गया और 12 दिसंबर 2017 के टीसी संख्या 2 से 8 के अंतर्गत सरकारी खाते (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा कर दिया गया था, लेकिन आईएफएमएस डाटाबेस की संबंधित तालिका में समायोजन के रूप में नहीं दर्शाया गया, जो अभी भी उपदान के रूप में ₹ 69,00,030 के भुगतान को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफएमएस में कोई अंतर्निहित नियंत्रण मौजूद नहीं है, जो टीओ द्वारा भुगतान हेतु प्रविष्ट राशि को महालेखाकार कार्यालय द्वारा अनुमान्य प्राधिकृत राशि के साथ सत्यापित करता है, जो भुगतान के लिए किसी भिन्न राशि के प्रक्रमण को प्रतिबंधित करे। प्रणाली ने उपदान की राशि को सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 20 लाख की सीमा तक भी सीमित नहीं किया। इसके अलावा, मानवीय त्रुटि के जोखिम से बचाव हेतु इनपुट इंटरफ़ेस में प्राधिकृत राशि स्वतः प्रकट नहीं हुई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कोषागार पदाधिकारी को दी गई थी कि महालेखाकार पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा साझा की गई प्राधिकारों की हार्ड-कॉपी के आधार पर इंटरफ़ेस के माध्यम से सही भुगतान किए जाएं। हालांकि, अब विभाग द्वारा कोषागार के पेंशन भुगतान इंटरफ़ेस में एक प्रक्रिया प्रवाह लागू किया गया है, ताकि पेंशन/डीसीआरजी/सीभीपी का भुगतान साई सॉफ्टवेयर द्वारा साझा किए गए डिजिटल डेटा के अनुरूप किया जा सके।

**अनुशंसा 5: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आईएफएमएस में उचित इनपुट नियंत्रण बनाए जाएं, ताकि प्रणाली में पहले से उपलब्ध डेटा की पुनर्प्राप्ति हो सके तथा मानवीय त्रुटियों से बचाव हेतु भुगतान फ़िल्ड में केवल पठनीय मोड में स्वतः प्रकट हो जाए।**

### 3.2.1 (iv) आईएफएमएस में कमजोर नियंत्रण के कारण अधिक व्यय का संधारण

लेखापरीक्षा ने देखा कि 30 मामलों में ₹24.80 लाख का अधिक व्यय (परिशिष्ट 3.3) का संधारण हुआ, जो आईएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्रक्रमण के समय प्राधिकृत राशि में, स्रोत पर किए गए कर की कटौती (टीडीएस) की राशि को त्रुटिपूर्ण तरीके से जोड़ने के कारण हुआ।

#### केस स्टडी 5

दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए श्री ए को महालेखाकार कार्यालय द्वारा क्रमशः ₹ 20,00,000 और ₹ 28,52,223 के डीसीआरजी और सीभीपी (पीपीओ संख्या 1122xxxxx, जीपीओ संख्या 1222xxxxx और सीपीओ संख्या 1322xxxxx) के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि डीसीआरजी और सीभीपी के विरुद्ध पेंशनभोगी को क्रमशः ₹ 25,10,195 और ₹ 31,38,587 का भुगतान किया गया था। रांची कोषागार में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसीआरजी

और सीभीपी की देय राशि क्रमशः ₹ 20,00,000 और ₹ 26,28,392 (अर्थात्, प्राधिकृत राशि ₹ 28,52,223 घटाव ₹ 2,23,831 की वसूली) थी और वही राशियां टीओ द्वारा भुगतान के लिए पारित कर दी गई थी। हालांकि, प्रणाली में प्रक्रमित पूर्व के विपत्र में से कटौती किये गए ₹ 5,10,195 के टीडीएस को आईएफएमएस के माध्यम से, इन भुगतानों के प्रक्रमण के दौरान, डीसीआरजी और सीभीपी की प्राधिकृत राशि में वापस जोड़ दिया गया और वास्तविकता में ₹ 25,10,195 (अर्थात् डीसीआरजी: ₹ 20,00,000 जोड़ टीडीएस: ₹ 5,10,195) और ₹ 31,38,587 (अर्थात् सीभीपी: ₹ 26,28,392 जोड़ टीडीएस: ₹ 5,10,195) का भुगतान क्रमशः उपदान और सीभीपी के रूप में प्रक्रमित किया गया।

इन भुगतानों से संबंधित वाउचरों की जांच से पता चला कि उनके प्रथम पेंशन के भुगतान में से कटौती किये गए ₹ 5,10,195 के टीडीएस को डीसीआरजी और सीभीपी की प्राधिकृत राशि में वापस जोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.20 लाख का अधिक व्यय संधारित किया गया। यहां भी, आईएफएमएस डीसीआरजी के भुगतान को सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 20 लाख की सीमा के अंदर परिमित नहीं कर सका।


कोषागारों में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि टीओ ने भुगतान के लिए इन (मानवीय) विपत्रों को सही तरीके से पारित किया था, जैसा की अनुमान्य था। हालांकि, कोषागार भुगतान अनुसूचियों की जांच से पता चला कि सकल राशि महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत राशि से अधिक थी। आगे की जांच में, यह देखा गया कि टीडीएस कॉलम की राशि को सकल राशि में वापस जोड़ दिया गया था, जिससे यह बढ़ गई थी। निवल देय राशि प्रभावित नहीं हुई और यह अनुमान्य भुगतान के समान ही रही। टीओ ने निवल देय राशि के लिए भुगतान संज्ञापन जारी किया था और यह पेंशनभोगियों के बैंक खाते में दर्शा भी रही थी। हालांकि, सकल व्यय, टीडीएस के रूप में दिखाई गई राशि से बढ़ा हुआ था, जिसे अंततः महालेखाकार कार्यालय के माध्यम से पेंशनभोगियों के पैन के विरुद्ध आयकर विभाग को अंतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, प्रणाली के बैकएंड में क्या हुआ, इस बारे में दोनों टीओ और पेंशनभोगी अनभिज्ञ थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कोषागार इंटरफ़ेस के माध्यम से आईएफएमएस में भुगतान संज्ञापन सृजन करते समय, उपयोगकर्ता (बिल क्लर्क) को केवल "निवल राशि" के फ़ील्ड में ही प्रविष्टि करनी पड़ती थी, क्योंकि "सकल राशि" का फ़ील्ड अपरिवर्तनीय था। आगे, पहले से भरी हुई टीडीएस राशि के साथ एक कटौती विंडो खुलती थी, जो प्रणाली में प्रक्रमित पिछले विपत्र से कटौती की गई थी और बिल क्लर्क द्वारा पुष्टि करने पर वह "निवल राशि" में वापस जुट<sup>37</sup> जाती थी। परिणामस्वरूप, बढ़ी हुई सकल राशि को टीओ द्वारा व्यय के रूप में संधारित किया जा रहा था।

<sup>37</sup> कोड इस प्रकार लिखा गया था कि कटौती (टीडीएस) की राशि को निवल राशि में जोड़कर सकल राशि परिकल्पित जा रही थी, न कि निवल राशि की गणना के लिए उसे सकल राशि से घटाया जा रहा था

उपरोक्त का चरणबद्ध वर्णन निम्नलिखित प्रवाह चार्ट (चित्रलेख 3.2) में दिखाया गया है।

चित्रलेख 3.2



लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आईएफएमएस को इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया है, जिससे कि स्वीकृत/प्राधिकृत राशि को "सकल" राशि के रूप में दर्ज किया जा सके, जहां से अनिवार्य कटौती, यदि कोई हो तो, उस को घटाकर देय "निवल" राशि परिकल्पित हो सके।

उपरोक्त को, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के दौरान (डोरंडा कोषागार में) लिए गए यूजर इंटरफ़ेस के निम्नलिखित स्नैपशॉट (स्नैपशॉट 3.1 से 3.3) से देखा जा सकता है, जहां एक पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान विपत्र को प्रकर्मित किया जा रहा था, जिसमें ₹ 10,000 की टीडीएस की कटौती थी, तत्पश्चात उसके डीसीआरजी के भुगतान को प्रकर्मित किया जाना था।

### स्नैपशॉट 3.1

पेंशन भुगतान के लिए आईएफएमएस में संज्ञापन तैयार करने के इंटरफेस का स्नैपशॉट, जिसमें ₹10,000 की टीडीएस कटौती करनी थी

Date : 13/06/2023 04:34:43 PM User CMISHRA || Role || TREASURY OPERATOR

**Bill Option(PENS -- PENSION)**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transfers Bills )  Pension  Division's Cheque  Vouched/Others ( Without Transfers Bills )

ADD MODIFY REMOVE SAVE CANCEL

**Bill Parameters**

PPO No./GPO No. [ ] ? Acquired/Authority etc ? NO [v]  
 DDO Type Select Any [v] Demand No.: 15 Bill Head? 20710110106000105 [v]  
 Bill Type S [v] Bill Cadre Non-Gazetted [v]  
 Payment Mode A A/C PAYEE [v] Bill No. 112354773 [v]  
 Remarks [ ] Net Amount(Rs.) 75840 [v]  
 Current Messenger [ ] SAI Gross Amount(Rs.) 75840 [v]

DDO Name [ ] DDO Designation [ ] Messenger [ ] DDO Office [ ]

TS NO.: 194/2023  
 NAME [ ] OSAI  
 BASIC : 260

**PENSION DEDUCTION DETAILS**  
 I. Tax: 10000 [v]  
 Ok Deduction [v]

निवल राशि की प्रविष्टि की गई क्योंकि सकल राशि का फील्ड अपरिवर्तनीय था

कटौती के लिए ₹ 10,000 की टीडीएस राशि की प्रविष्टि की गई और बिल क्लक द्वारा पुष्टि की गई

### स्नैपशॉट 3.2

उपदान भुगतान के इंटरफेस का स्नैपशॉट, जहां निवल देय राशि मानवीय रूप से दर्ज की गई थी, और पिछले बार के टीडीएस को आगे बढ़ाया गया था

Date : 13/06/2023 04:38:24 PM User CMISHRA || Role || TREASURY OPERATOR

**Bill Option(GPENS -- GRATUITY FINAL)**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transfers Bills )  Pension  Division's Cheque  Vouched/Others ( Without Transfers Bills )

ADD MODIFY REMOVE SAVE CANCEL View Bill Category

**Bill Parameters**

PPO No./GPO No. [ ] ? Acquired/Authority etc ? NO [v]  
 DDO Type Select Any [v] Demand No.: 15 Bill Head? 20710110404000105 [v]  
 Bill Type S [v] Bill Cadre Non-Gazetted [v]  
 Payment Mode A A/C PAYEE [v] Bill No. 122354773 [v]  
 Remarks [ ] Net Amount(Rs.) 1184040 [v]  
 Current Messenger [ ] NA Gross Amount(Rs.) 1184040 [v]

DDO Name [ ] DDO Designation [ ] Messenger [ ] DDO Office [ ]

TS NO.: 194/2023  
 NAME [ ] NA  
 BASIC : 260

**PENSION DEDUCTION DETAILS**  
 I. Tax: 10000 [v]  
 Ok Deduction [v]

उपदान की अनुमान्य राशि को निवल राशि के तौर पर प्रविष्टि की गई

पिछले विपत्र से कटौती की गई टीडीएस की वही राशि यहां स्वतः प्रकट हुई

### स्नैपशॉट 3.3

कटौती के "ओके" पर क्लिक करने के बाद के इंटरफ़ेस का स्नैपशॉट, जिसमें टीडीएस की राशि निवल राशि में जुट गई और सकल राशि स्वतः परिवर्तित हो गई

Date : 13/06/2023 04:39:15 PM User CMISHRA || Role || TREASURY OPERA

**Bill Option(GPENSN -- GRATUITY FINAL)**  
 Salary/TA/LTC/MED/Pro.Pension( With Transferies Bills )  Pension  Division's Cheque  Vouched/Others ( Witho

ADD MODIFY REMOVE SAVE CANCEL  View Bill Category

**Bill Parameters**

PPO No./GPO No. [ ] ? Acquired/Authority etc ? NO  
 DDO Type Select Any Demand No.: 15 Bill Head? 20710110404000105 ?  
 Bill Type S Bill Cadre Non-Gazetted  
 Payment Mode A A/C PAYEE Bill No. 122354773  
 Remarks [ ]  
 Current Messenger NA [ ] SAI

Net Amount(Rs.) 1184040 Pension Deduct  
 Gross Amount(Rs.) 1194040

DDO Name [ ] DDO Designation [ ] Messenger [ ] DDO Office [ ]

TS NO.:	194/2023
NAME:	[ ]
BASIC:	26000

जब "ओके" बटन दबाया गया, तो टीडीएस की राशि (₹ 10,000) सकल राशि में जुड़ गई और अधिक व्यय संधारित हुआ

आईएफएमएस में प्रणालीगत खामियों के परिणामस्वरूप, इन 30 पेंशनभोगियों के विरुद्ध ₹ 24.80 लाख का अधिक व्यय का संधारण किया गया।

विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि पूर्व में, कोषागार पदाधिकारी, महालेखाकार के पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा प्रेषित हार्ड-कॉपी के आधार पर पेंशन लाभों के प्रक्रमण हेतु जिम्मेदार थे, क्योंकि पीपीओ का कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं था। आगे, यह भी कहा गया कि ई-पेंशन पोर्टल के शुरू होने के बाद, महालेखाकार के पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा निर्गत पीपीओ अब केंद्रीकृत डेटाबेस में दर्ज किए जा रहे हैं, और वांछित व्यावसायिक नियमों और सत्यापन-जांच उक्त इंटरफ़ेस में शामिल किए गए हैं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकनों के संदर्भ में नहीं था, जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा आईएफएमएस के डिजाइन में दोष तथा नियंत्रण की विफलता की ओर इंगित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकृत राशि में कटौतियाँ जोड़ी जा रही थी, जो अधिक व्यय संधारित होने का कारण था।

**अनुशंसा 6 : राज्य सरकार आईएफएमएस में डिजाइन और नियंत्रण की समीक्षा कर त्रुटियों की पहचान कर सकती है और तदनुसार सुधारात्मक उपाय कर सकती है।**

#### 3.2.1 (v) आईएफएमएस डेटाबेस में अपूर्ण डेटा

अधिक भुगतान के 344 मामलों में से, कोषागारों में सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 198 मामलों में वास्तव में कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था (परिशिष्ट 3.4)।

डेटा विश्लेषण के दौरान पाया गया अधिक भुगतान, पेंशन लाभों के पुनरीक्षण के कारण थे जो आईएफएमएस डेटाबेस में दर्ज नहीं हुए थे। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

### केस स्टडी 6

जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त हुए, एक पेंशनभोगी को, डोरंडा कोषागार से डीसीआरजी की राशि ₹ 11,66,022 (पीपीओ संख्या 1121xxxxx; और जीपीओ संख्या 1221xxxxx के अंतर्गत) के भुगतान के लिए महालेखाकार द्वारा प्राधिकार निर्गत किया गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि संबंधित टीओ द्वारा उक्त पेंशनभोगी को ₹ 12,75,648 (फरवरी 2022 के टीभी संख्या 93 और 94 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 11,66,022 और ₹ 1,09,626) का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन से पता चला कि पेंशनभोगी को किया गया ₹ 1,09,626 का भुगतान पुनरीक्षित जीपीओ (जीपीओ संख्या 1221yyyyy) के विरुद्ध था, जिसे आईएफएमएस डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पेंशनभोगियों को निर्गत पुनरीक्षित डीसीआरजी/सीपीपी के प्राधिकार आईएफएमएस तालिकाओं में दर्ज नहीं किए गए थे, यद्यपि, ये डेटा<sup>38</sup> महालेखाकार कार्यालय द्वारा आईएफएमएस सर्वर<sup>39</sup> में अपलोड किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मूल जीपीओ/सीपीओ से संबंधित डेटा भी आईएफएमएस में उपलब्ध नहीं थे, जो आईएफएमएस के पेंशन पोर्टल के शुरुआत (2017-18) से पूर्व निर्गत किए गए थे।

पेंशन प्राधिकारों (मूल एवं पुनरीक्षित) के शत-प्रतिशत डेटा को अद्यतन/दर्ज करना सुनिश्चित करने के लिए सावधिक बैच प्रक्रमण<sup>40</sup> भी नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, आईएफएमएस के पेंशन डेटा को महालेखाकार के साई पेंशन डेटा के साथ लयबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था, ताकि प्रणाली में पेंशनभोगियों के डेटा की अखंडता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जिसमें विरासत डेटा भी शामिल हो।

विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि पुनरीक्षण के मामले (2017-18 से पहले) या तो अपलोड नहीं किए गए हैं या उन्हें संबंधित कोषागार द्वारा प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया है। विभाग इस डेटा की मौजूदगी का सत्यापन करेगा, जिस पर आधारित संव्यवहारों

<sup>38</sup> एक्सएमएल प्रारूप

<sup>39</sup> महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के परिसर में स्थित, सेक्योर फ़ाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एसएफटीपी) सर्वर

<sup>40</sup> महालेखाकार कार्यालय के सभी पेंशन डेटा को आईएफएमएस डेटाबेस में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः प्रक्रमण की प्रक्रिया

की अनुमति दी जानी थी। आगे, यह भी कहा गया कि विरासत संव्यवहारों को सुधारा नहीं जा सकता।

हालांकि, विभाग ने आईएफएमएस डाटाबेस में पेंशन डेटा की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की और महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत छूटे हुए प्राधिकारों को समावेष्ट करने हेतु अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

**अनुशंसा 7 : राज्य सरकार, विरासत डेटा के अंतर्गमन के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपलोड किए गए पेंशन डेटा को सावधिक बैच प्रक्रमण के माध्यम से अद्यतन/डाउनलोड करके, पेंशन डेटा की अखंडता और इसकी पूर्णता सुनिश्चित कर सकती है।**

### 3.2.1 (vi) व्यय शीर्षों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की प्रविष्टि

आईएफएमएस के डेटा विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अधिक भुगतान के 344 मामलों में से 62 मामलों में वास्तविकता में कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था (परिशिष्ट 3.5), जैसा कि कोषागारों में सत्यापन के दौरान पुष्टि हुई। आईएफएमएस में भुगतान प्रक्रमण के दौरान कोषागारों द्वारा विपत्र श्रेणी<sup>41</sup> के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के चयन के कारण प्रणाली में अधिक भुगतान प्रदर्शित हो रहे थे। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

#### केस स्टडी 7

जनवरी 2021 में एक पेंशनभोगी, श्री ए सेवानिवृत्त हुए और उन्हें रामगढ़ कोषागार से डीसीआरजी और सीभीपी के भुगतान के लिए क्रमशः ₹ 20,00,000 और ₹ 34,78,788 प्राधिकृत किया गया (जीपीओ नंबर 1222xxxxx; और सीपीओ नंबर 1322xxxxx)। डेटा विश्लेषण से पता चला कि श्री ए को ₹ 20,00,000 की अनुमान्य राशि के विरुद्ध डीसीआरजी के रूप में ₹ 54,78,788 का भुगतान किया गया था। सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि सीभीपी के भुगतान के लिए भुगतान संज्ञापन सृजित करते समय, डीसीआरजी के लिए उपयुक्त विपत्र श्रेणी का भुलवश चयन किया गया था। इस प्रकार, दोनों भुगतानों को आईएफएमएस डाटाबेस में डीसीआरजी के भुगतान के रूप में दर्ज किया गया, जो ₹ 34,78,788 के अधिक भुगतान के रूप में दिखाई दे रहा था।

इस प्रकार, आईएफएमएस को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि मानवीय त्रुटि के जोखिम से बचाव के लिए, प्राधिकृत राशि और उसकी विपत्र श्रेणी आईएफएमएस के इनपुट इंटरफेस में स्वतः प्रकट हो जाए।

<sup>41</sup> भुगतान संज्ञापन सृजित करते समय, सीभीपी को डीसीआरजी या इसके विपरीत प्रविष्टि/चयनित किया गया था

विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि चूंकि पेंशन लाभों के प्रक्रमण हेतु कोषागार के लिए एक खुला इंटरफ़ेस उपलब्ध था और महालेखाकार पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा साझा किए गए पीपीओ के विवरणों को प्रकट होने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस मौजूद नहीं था, इसलिए कोषागार को सही विपत्र श्रेणी का चयन करके डीसीआरजी/सीभीपी भुगतानों को प्रक्रमित करने पर ध्यान रखना चाहिए था, जो कोषागार ने नहीं किया। उन्होंने, आगे यह कहा कि चूंकि अब केंद्रीकृत डेटाबेस मौजूद है और डेटा महालेखाकार पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जा रहा है, इसलिए विभाग ऐसी त्रुटियों को प्रतिबंधित करने के लिए व्यावसायिक नियमों और सत्यापन जांच को सम्मिलित करने की प्रक्रिया में है।

### 3.2.1 (vii) भुगतान के दौरान एक से अधिक पेंशनभोगियों के विरुद्ध एक ही पीपीओ संख्या का दर्ज होना

महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या एक विशिष्ट संख्या है, जो पेंशनभोगी को पेंशन और अन्य पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु आवंटित की जाती है तथा पेंशनभोगी की पहचान, इसी पीपीओ संख्या के माध्यम से की जाती है।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 344 मामलों में से सात में, विभिन्न कोषागारों से विभिन्न पेंशनभोगियों को एक ही पीपीओ संख्या के विरुद्ध डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान आईएफएमएस में दिखाया गया था। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन मामलों में (परिशिष्ट 3.6), प्राधिकृत राशि का भुगतान यथार्थ में वास्तविक पेंशनभोगियों को किया गया था और कोई विसंगति नहीं थी। हालांकि, इन सात वास्तविक पेंशनभोगियों को भुगतान करते समय कोषागारों द्वारा आईएफएमएस में अन्य पेंशनभोगियों से संबंधित त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या प्रविष्ट किए गए थे, जिससे भुगतान अधिक दिखाई दे रहा था। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

#### केस स्टडी 8

एक पेंशनभोगी, श्री एस, जनवरी 2017 में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें डीसीआरजी और सीभीपी के भुगतान के लिए क्रमशः ₹ 7,02,540 और ₹ 5,11,699 का प्राधिकार (पीपीओ संख्या xxxxx2103) निर्गत (जीपीओ संख्या xxxxx7832; और सीपीओ संख्या xxxxx2103 के अंतर्गत) किया गया। डेटा विश्लेषण से पता चला कि, इसके विरुद्ध उन्हें डीसीआरजी और सीभीपी के रूप में क्रमशः ₹ 15,96,510 और ₹ 9,85,247 का भुगतान (मार्च 2017 और मई 2017) किया गया था। रांची कोषागार में सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि श्री एस को महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार के अनुसार सही राशि का भुगतान किया गया था।

डेटा विश्लेषण से आगे पता चला कि आईएफएमएस में अधिक भुगतान के रूप में दिखाया गया भुगतान, वास्तव में, गोड्डा कोषागार से एक अन्य पेंशनभोगी श्री एन (पीपीओ संख्या: xxxxx2013) को किया गया था, जिन्हें डीसीआरजी और सीभीपी के रूप में क्रमशः ₹ 8,93,970 और ₹ 4,73,548 प्राधिकृत थे। हालाँकि आईएफएमएस में भुगतान संज्ञापन प्रक्रमित करते समय, श्री एन के पीपीओ संख्या के अंतिम चार अंक अर्थात् “2013” को भूलवश “2103” के रूप में प्रविष्ट किया गया था, जो कि श्री एस का पीपीओ संख्या था।

इस प्रकार, विभिन्न पेंशनभोगियों के विरुद्ध, एक पीपीओ संख्या की दोबारा प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने के लिए आईएफएमएस में, संदर्भात्मक अखंडता अक्षुण्ण रखने हेतु, अंतर्निहित इनपुट नियंत्रण मौजूद नहीं थे।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस, पेंशन का मास्टर डेटा संधारित करता है, जिसमें महालेखाकार के पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा निर्गत पीपीओ का मास्टर विवरण अंतर्विष्ट होता है। दर्शाए गए उदाहरण की जाँच की गई और पाया गया कि दोनों पीपीओ अलग-अलग आवेदन संख्याओं के विरुद्ध अलग-अलग नामों से निर्गत किए गए हैं और इसलिए वे विशिष्ट प्रकृति के हैं, जिस पर संबंधित कोषागार ने भुगतान किया है।

विभाग का उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आईएफएमएस में दो अलग-अलग पेंशनभोगियों के विरुद्ध एक ही पीपीओ संख्या की दोबारा प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने के लिए इनपुट नियंत्रण मौजूद नहीं थे। दर्शाए गए मामलों में, भुगतान की प्रक्रिया के दौरान दोनों पेंशनभोगियों के विरुद्ध एक ही पीपीओ संख्या दर्ज किया गया (एक सही और दूसरा गलत)।

**अनुशंसा 8 : राज्य सरकार अधिक भुगतान के जोखिम से बचाव के लिए, प्रणाली में समुचित प्राथमिक कुंजी/संदर्भात्मक अखंडता को लागू और भुगतान एप्लीकेशन इंटरफेस में वैध इनपुट नियंत्रण का प्रावधान कर सकती है।**

**प्राप्ति मॉड्यूल (झारखण्ड ई-ग्रास) में कमियां**

**3.2.2 आईएफएमएस में सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ राशि के राजस्व की कम वसूली**

झारखण्ड में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के बाद, वित्त विभाग (एफडी) ने सरकारी लेखांकन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए आईएफएमएस (प्राप्ति मॉड्यूल) में इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (झारखण्ड ई-ग्रास) शुरू<sup>42</sup> की (जून 2016)। सरकारी खाते में जाने वाली सभी प्रकार की प्राप्तियां, झारखण्ड ई-ग्रास पोर्टल से व्युत्पन्न ई-चालान के माध्यम से बैंक में प्रेषित की जानी थीं। आगे, वित्त विभाग ने झारखण्ड ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्ति सेवा लागू की

<sup>42</sup> जेटीसी, 2016 के नियम 42, 51 और 52 के अंतर्गत

(जनवरी 2017) और फरवरी 2017 से मानवीय चालान के उपयोग को रोकने के निर्देश (दिसंबर 2016) निर्गत किए। पोर्टल में चालान के विवरण को दर्ज करने के बाद, एक उपयोगकर्ता ई-चालान व्युत्पन्न कर सकता है और राशि का भुगतान {ऑनलाइन, किसी भी एसबीआई शाखा में सरकारी व्यवसाय सॉफ्टवेयर समाधान (जीबीएसएस) के द्वारा तथा किसी भी कोषागार से जुड़े बैंक में मानवीय रूप से} कर सकता है। सफल भुगतान के पश्चात, आईएफएमएस में भुगतान की स्थिति अद्यतन हो जाती है।

जेटीसी (नियम 52) प्रावधान करता है कि ई-कोषागार में ई-प्राप्ति के डेटा और बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाधान किया जाएगा। ई-प्राप्ति के उचित समाधान के लिए, सभी विभागों को समय-समय पर आईएफएमएस में लॉग इन करना था और संबंधित शीर्षों के तहत प्राप्त भुगतानों की स्थिति की जांच करनी थी और निर्दिष्ट अवधि की समेकित कोषागार प्राप्तियों को राज्य स्तर पर साइबर कोषागार को भेजी जानी थी। सभी राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को राजस्व प्राप्ति/लेखा-जोखा के लिए झारखण्ड ई-ग्रास पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक था।

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि मार्च 2017 से सितंबर 2022 के बीच आईएफएमएस के माध्यम से कुल 2,09,36,565 ई-चालान व्युत्पन्न किये गए, जिनमें देय राशि का विवरण था। इनमें से 1,57,74,935 संव्यवहार सफल पाए गए और भुगतान की गई राशि भी आईएफएमएस डेटाबेस में अभिलेखित/अद्यतित थी।

लेखापरीक्षा ने यह सत्यापित करने के लिए दोनों सूचनाओं के सेटों का मिलान किया कि क्या ई-चालानों में दिखाया गया देय भुगतान की राशि वास्तव में सरकारी खाते में प्रेषित किया गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि सफल संव्यवहारों में से, 4,341 ई-चालान ₹ 4.44 करोड़ जमा करने के लिए व्युत्पन्न (अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2022 के दौरान) किए गए थे। हालाँकि, वास्तव में इन ई-चालानों के विरुद्ध मात्र ₹ 3.62 लाख प्रेषित किया गया था, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित है।

**तालिका 3.1: ई-चालान के विरुद्ध कम प्रेषण**

विभाग आईडी	विभाग	संव्यवहारों की संख्या	ई-चालान के अनुसार देय राशि (₹ में)	वास्तव में जमा की गई राशि (₹ में)	कम प्रेषण (₹ में)
जेएचटीडीवाहन	परिवहन	3,904	4,31,67,123.00	2,77,486.69	4,28,89,636.31
जेएचसारथी	परिवहन	9	10,500.00	518.00	9,982.00
जेएचपोल	झारखण्ड पुलिस	69	2,85,050.00	1,581.00	2,83,469.00
जेएचएनजीडीआरएस	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	4	4,43,607.00	46.00	4,43,561.00
जेएचरेभ	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	352	56,416.26	7,246.82	49,169.44
डब्ल्यूआरडीआरईजी	जल संसाधन	3	4,00,000.00	75,000.00	3,25,000.00
<b>कुल योग</b>		<b>4,341</b>	<b>4,43,62,696.26</b>	<b>3,61,878.51</b>	<b>4,40,00,817.75</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

यह, 2017-2022 के दौरान तीन राजस्व शीर्षों<sup>43</sup> के तहत ₹ 4.40 करोड़ के राजस्व राशि की कम वसूली का कारण बना, क्योंकि आईएफएमएस में दोषपूर्ण सत्यापन नियंत्रण के कारण इसमें व्युत्पन्न किए गए ई-चालान की राशियों से कमतर राशि को जमा करने की अनुमति दी गई थी।

डीटीओ, रांची के कार्यालय में सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुरोध राशि (प्रेषित की जाने वाली राशि) के विरुद्ध प्रतिक्रिया राशि (वास्तविक प्रेषित राशि) राजस्व विभागों के आईटी प्रणाली को नहीं भेजी जा रही थी और इसलिए यूजर इंटरफेस में ऑपरेटर को यह दिखाई नहीं दे रहा था। किसी भी राशि के सफल संव्यवहार की स्थिति में, अनुरोध राशि के विरुद्ध केवल संव्यवहार की स्थिति 'सफल' के रूप में दिखाई दे रही थी, जबकि यूजर इंटरफेस में ऑपरेटर, प्रतिक्रिया राशि को देखने में सक्षम नहीं था। इसे **स्नैपशॉट 3.4 और 3.5** से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

### केस स्टडी 9

एक जमाकर्ता ने डीटीओ, रांची से एक निजी वाहन के लिए विशेष पंजीकरण संख्या के आवंटन हेतु शुल्क के रूप में ₹ 1.50 लाख जमा करने के लिए एक ई-चालान (GRN-xxxxxx68060) व्युत्पन्न किया (जनवरी 2022) और उक्त चालान के विरुद्ध केवल ₹ 150 जमा किया। डीटीओ, रांची ने परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर संव्यवहार की स्थिति की पुष्टि करके वाहन के विरुद्ध एक विशेष पंजीकरण संख्या (XX-XX-XX-9999) आवंटित कर दी। इस मामले के संबंध में आईएफएमएस और वाहन का यूजर इंटरफेस क्रमशः **स्नैपशॉट 3.4 और 3.5** में दिखाया गया है।

<sup>43</sup> जेएचरेभ: 0029; जेएचएनजीडीआरएस एवं डब्ल्यूआरडीआरईजी: 0030; जेएचपोल, जेएचटीडीवाहन और जेएचसारथी: 0041

### स्नैपशॉट 3.4


**Download Challan By GRN number**

Fields marked with (\*) are mandatory.

**Know Your GRN Status Type** Eg.:- JH KUBER GRN <- GRN No.-> Send to 51969

GRN  Department Transaction ID

GRN No:  Department Transaction ID :

 Enter Captcha Code

**Know Your Status**

Transaction Details	
GRN NO	2209568060
Request Amount (Rs)	150000
Response Amount (Rs)	150
Transaction Date	28-JAN-2022 08:03:15
Bank Gateway	SBIEPAY
Department Portal	TRANSPORT DIVISION vahan.parivahan.gov.in
Transaction Status	<b>SUCCESS</b>

[Download Challan](#)

**आईएफएमएस में ₹1,50,000 के विरुद्ध ₹150 जमा करने को "सफल" दर्शाता स्नैपशॉट**

### स्नैपशॉट 3.5



**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**  
Government of India

**Transaction Status**

Search with Registration No is only applicable for citizen service application.  
In case of Citizen service application Payment id will be Application No.

Transaction id  Payment id  Bank Ref. No.  Registration No.  Gm No.

Gm No.  **Search**

Sl. No.	Vehicle No.	Application No.	Transaction No/AUIN	Payment Id	Payment Date	Payment Conf. Date	Payment Gateway	Bank Ref. No	GRN	CIN	Amount	Status	Status Description
1	JH01EU9999	NOT AVAILABLE	JHY2201283231781	FNJH22014497027	28-Jan-2022 08:00 PM	28-Jan-2022 08:07 PM	EGRAS	8738479943422	2209568060	10002162022012816118	150000	Success	Success
1	JH01EU9999	NOT AVAILABLE	JHY2201283231781	FNJH22014497027	28-Jan-2022 08:00 PM	28-Jan-2022 08:07 PM	EGRAS	8738479943422	2209568060	10002162022012816118	150000	Success	Success

Powered by National Informatics Centre. All Rights Reserved.

**वाहन पोर्टल का स्नैपशॉट, जिसमें राशि ₹1,50,000 और स्थिति "सफल" दर्शाई गई है**

लेखापरीक्षा ने आगे यह देखा कि डीटीओ, रांची ने 1,289 वाहनों के 815 वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत किया (मई 2022), जिन्होंने आवश्यकता से कम कर जमा किया था, और उनसे ₹ 1.78 करोड़ के अंतर-कर को जमा करने को कहा, लेकिन 549 वाहन स्वामियों से मात्र ₹ 79.38 लाख की वसूली (जून 2023) की जा सकी। अन्य विभागों<sup>44</sup> से संबंधित, जमा हुए कम कर की वसूली की स्थिति, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार, आईएफएमएस को सरकारी राजस्व की चोरी को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, हालांकि देय राजस्व और भुगतान किए गए राजस्व का मूल डेटा आईएफएमएस डेटाबेस में दर्ज किया जा रहा था।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विशेष सचिव ने कहा कि झारखण्ड ई-ग्रास सभी विभागों के पोर्टल के लिए केवल एक भुगतान गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो विभागों के पोर्टल के अनुरोध को बैंक को अग्रेषित करता है और बैंक अनुरोध करने वाले विभागों के पोर्टल पर एन्क्रिप्टेड रूप में प्रतिक्रिया देता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने से पूर्व, अनुरोध करने वाले विभागों के पोर्टल को, झारखण्ड ई-ग्रास पोर्टल पर पहले से भेजे गए अपने अनुरोध के साथ बैंक की प्रतिक्रिया का, वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सत्यापन करना है। विशेष सचिव ने यह भी कहा कि विभाग आईएफएमएस के तहत कम राशि के प्रेषण की घटनाओं को नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसी राशियों का लेखांकन करना कठिन होगा। विशेष सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि इसके समाधान के लिए मामले को मुख्य सचिव के समक्ष उठाया जा रहा है।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि यूजर इंटरफेस को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि संबंधित राजस्व विभागों के ऑपरेटर, सेवा प्रदान करने से पहले प्रतिक्रिया राशि को देख सकें। तथ्य अब भी यही है कि डेटाबेस में उपलब्ध मूलभूत डेटा का, आईएफएमएस के माध्यम से गैर/दोषपूर्ण सत्यापन के कारण राजस्व का रिसाव हुआ।

**अनुशंसा 9 : राज्य सरकार, एकीकृत प्राप्त पोर्टल (झारखण्ड ई-ग्रास) और सहभागी विभागों के पोर्टलों में सत्यापन नियंत्रण का, नियमित आधार पर समीक्षा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा ई-चालान पर दर्शाई गई देय राशि का पूर्ण भुगतान हो और सरकारी खाते में जमा किया जाए।**

### ई-एलॉटमेंट मॉड्यूल में कमियां

#### 3.2.3 आवंटन के बिना किया गया व्यय


जेटीसी यह प्रावधान करता है कि कोषागार पदाधिकारी किसी भी उद्देश्य के लिए निकासी की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि निकासी का दावा ऐसे व्यक्ति (डीडीओ) द्वारा ऐसे प्रपत्र (विपत्र/चेक) में प्रस्तुत नहीं किया जाए, जैसा कि जेटीसी नियमावली में निर्धारित

<sup>44</sup> झारखण्ड पुलिस, तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

है। आगे, कोई भी प्राधिकारी सार्वजनिक निधियों से तब तक कोई व्यय नहीं कर सकता है, जब तक कि व्यय को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाए, जिसे विधिवत रूप से शक्ति सौंपी गई हो और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत अनुदान एवं विनियोग में व्यय का प्रावधान किया गया हो।

आईएफएमएस में, वित्त विभाग, वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान के विरुद्ध, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा व्यय के लिए विभिन्न विभागों को निधि निर्गत करता है। आईएफएमएस में डीडीओ द्वारा निधि आवंटन और व्यय की अंतर्निहित प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह-चार्ट (चित्रलेख 3.3) में दिखाया गया है।

चित्रलेख 3.3



(I) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आईएफएमएस के माध्यम से प्रक्रमित व्यय इसके विरुद्ध आवंटन के अनुरूप थे, लेखापरीक्षा ने आईएफएमएस के डेटा विश्लेषण से प्राप्त, आवंटन<sup>45</sup> की तुलना व्यय<sup>46</sup> के साथ की। यह देखा गया कि, नौ मामलों में, 2017-23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान चार कोषागारों<sup>47</sup> में छः डीडीओ द्वारा आवंटन से अधिक ₹ 1.24 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, 17 मामलों में, उसी अवधि के दौरान सात कोषागारों<sup>48</sup> में 13 डीडीओ द्वारा विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत बगैर किसी आवंटन के ₹ 34.33 करोड़ का व्यय किया गया। देखे गए मामलों का विस्तृत विवरण तालिका 3.2 (अ और ब) में दिया गया है।

तालिका 3.2 (अ): आवंटन से अधिक व्यय, जैसा कि आईएफएमएस में देखा गया

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	डीडीओ कोड	आवंटित निधि	प्रक्रमित विपत्रों की कुल संख्या	सकल व्यय	अधिक व्यय
1.	2017-18	32एस-20110210300010213	डीआरएनएसएम001	30,00,000	139	30,11,853	11,853
2.	2018-19	40एस-20530009400010315	डीएचएनडीडी002	5,50,000	35	5,78,861	28,861
3.	2019-20	01एस-24020010200040101	आरएनसीएसडब्ल्यूसी003	35,24,900	42	38,40,606	3,15,706
4.	2017-18	52एस-22040010400500761	बीकेआरटीएसएम001	29,76,850	23	82,85,369	53,08,519
5.	2021-22	52एस-22040010450000761	बीकेआरटीएसएम001	1,00,000	2	3,55,376	2,55,376
6.	2017-18	56एस-25150000100030101	बीकेआरआरडीएस005	15,88,000	48	56,37,714	40,49,714
7.	2019-20	56एस-25150000100030101	बीकेआरआरडीएस005	22,00,000	47	42,79,471	20,79,471
8.	2019-20	60एस-22350310100110315	बीकेआरएसएसडब्ल्यू001	3,50,000	3	6,70,634	3,20,634
9.	2019-20	60एस-22350378900110315	बीकेआरएसएसडब्ल्यू001	1,00,000	6	1,47,700	47,700
<b>कुल</b>				<b>1,43,89,750</b>	<b>345</b>	<b>2,68,07,584</b>	<b>1,24,17,834</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

<sup>45</sup> कुल 8,51,851 आवंटन (वित्तीय वर्षवार, डीडीओ-वार और शीर्ष-वार 32 कोषागारों/उप-कोषागारों से संबंधित निधि आवंटन के कुल 16,13,921 मामलों से सारांशित)

<sup>46</sup> भुगतान के कुल 11,79,333 मामले (वित्तीय वर्षवार, डीडीओ-वार और शीर्ष-वार भुगतान से संबंधित 1,39,57,766 संव्यवहारों सारांशित)

<sup>47</sup> बोकारो, धनबाद, डोरंडा और रांची

<sup>48</sup> बोकारो, देवघर, डोरंडा, दुमका, लातेहार, प्रोजेक्ट भवन और सिमडेगा

## तालिका 3.2 (ब): बगैर आवंटन के किया गया व्यय, जैसा कि आईएफएमएस में देखा गया

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	डीडीओ कोड	प्रक्रमित विपत्रों की संख्या	बगैर आवंटन के किया गया कुल व्यय
1	2018-19	51एस-22250279600740321	एसडीजीएसएसडब्ल्यू001	1	2,91,200
2	2019-20	40एस-20290079600200317	एलटीआरडीएडी002	1	99,67,200
3	2019-20	60सी-22350210200AS0335	बीकेआरएसएसडब्ल्यू010	1	4,268
4	2019-20	60सी-22350378900110329	बीकेआरएसएसडब्ल्यू001	1	19,980
5	2019-20	60एस-22350378900110321	बीकेआरएसएसडब्ल्यू001	2	7,048
6	2020-21	22एस-20550000100020759	डीएमकेडीएडी105	1	8,86,675
7	2021-22	02एस-240300796AG000759	डीआरएनएचवाई001	1	2,62,07,000
8	2021-22	06एस-20150010201000101	बीकेआरईएलई001	14	11,59,888
9	2021-22	20सी-22100110388000323	डीआरएनएमईडी124	1	3,56,56,495
10	2021-22	42एस-25010210109000679	पीआरजेएसईएस003	1	12,66,48,000
11	2021-22	42एस-25010278909000679	पीआरजेएसईएस003	1	3,87,70,000
12	2021-22	42एस-25010279609000679	पीआरजेएसईएस003	1	9,30,47,000
13	2021-22	51सी-222502277ए7000679	डीजीआरडब्ल्यूएसबीई25	2	70,00,000
14	2021-22	55एस-25050170211010101	बीकेआरआरडीएस007	9	14,60,847
15	2021-22	60एस-22356010210000101	एसडीजीडीएडी039	3	4,80,509
16	2022-23	39एस-22450211302000543	एसडीजीडीएडी014	1	82,100
17	2022-23	39एस-22458010211000679	एसडीजीडीएडी014	2	16,30,000
<b>कुल</b>				<b>43</b>	<b>34,33,18,210</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

लेखापरीक्षा ने संबंधित कोषागारों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अधिक व्यय/बगैर आवंटन के व्यय के इन मामलों का सत्यापन किया और पाया कि डीडीओ द्वारा व्यय केवल उन्हें उपलब्ध कराए गए आवंटन के विरुद्ध ही किया गया था। हालाँकि, इन आवंटनों को कोषागारों द्वारा आईएफएमएस के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यय की विहित प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और भुगतान के लिए विपत्रों को प्रक्रमित किया गया क्योंकि प्रणाली ने आईएफएमएस के माध्यम से कोषागार द्वारा आवंटन के प्रमाणीकरण के बिना संज्ञापनों के सृजन को नहीं रोका था।

इस प्रकार, आईएफएमएस डेटाबेस के अनुसार, आवंटन से अधिक व्यय/बगैर आवंटन के व्यय, प्रणाली में एप्लीकेशन नियंत्रण के अभाव के कारण हुआ था, जिससे उन विपत्रों के प्रक्रमण को रोका जा सके, जहां संबंधित शीर्षों के अंतर्गत निधि उपलब्ध नहीं हैं।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस में आवंटन के बिना व्यय नहीं हो सकता क्योंकि विपत्र को प्रक्रमित करने से पहले एक प्रक्रिया के माध्यम से निधि की जांच होती है। विभाग ने आगे कहा कि हो सकता है कि कोषागार ने विपत्रों के प्रक्रमण के पश्चात, अनुरोध किया हो और

बैकएंड प्रक्रिया के माध्यम से डेटा को अद्यतन करवाया हो, जिससे आईएफएमएस में डेटा विसंगति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विभाग ने इन्हें अपवाद बताया और कहा कि प्रणाली में आवश्यक जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध है कि बगैर आवंटन के कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए मामलों की जांच की जाएगी।

(II) यह जांचने के लिए कि क्या आईएफएमएस के माध्यम से प्रक्रमित, निर्गत की गई राशि, उसकी स्वीकृति के अनुरूप थी, लेखापरीक्षा ने आईएफएमएस डेटाबेस में दर्ज दोनों सूचनाओं की तुलना की और पाया कि 2014-23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान, 99 विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 919.09 करोड़ निर्गत किए गए थे, जिसके विरुद्ध डेटाबेस में केवल ₹ 856.48 करोड़ की स्वीकृति पाई गई, परिणामस्वरूप आईएफएमएस के माध्यम से ₹ 62.61 करोड़ की अधिक राशि निर्गत की गई। उसी प्रकार, 10,060 लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 83,878.41 करोड़ निर्गत किए हुए दिखाए गए, जिनके विरुद्ध आईएफएमएस में कोई स्वीकृति नहीं पाई गई। डेटा विश्लेषण के दौरान पाए गए ऐसे मामले तालिका 3.3 (i) एवं (ii) में दिखाए गए हैं।

**तालिका 3.3 (i): स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत की गई अधिक निधि**

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ में)	निर्गत की गई राशि (₹ में)	निर्गत की गई अधिक राशि (₹ में)
2014-15	11	55,85,03,900	62,48,15,699	6,63,11,799
2015-16	11	3,20,41,12,000	3,22,57,79,500	2,16,67,500
2016-17	14	8,29,93,163	9,71,63,388	1,41,70,225
2017-18	44	2,95,70,80,576	3,43,09,60,477	47,38,79,901
2018-19	9	74,18,03,519	76,86,20,188	2,68,16,669
2019-20	7	1,01,35,61,038	1,03,56,64,430	2,21,03,392
2020-21	3	66,98,000	78,93,000	11,95,000
<b>कुल</b>	<b>99</b>	<b>8,56,47,52,196</b>	<b>9,19,08,96,682</b>	<b>62,61,44,486</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

**तालिका 3.3 (ii): बगैर स्वीकृति के निर्गत की गई निधि**

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्षों की संख्या	निर्गत की गई राशि (₹ में)	स्वीकृत राशि (₹ में)	बगैर स्वीकृति के निर्गत की गई राशि (₹ में)
2014-15	3	3,52,328	0	3,52,328
2015-16	2	95,00,000	0	95,00,000
2017-18	3	10,46,48,72,000	0	10,46,48,72,000
2018-19	2	6,15,97,70,000	0	6,15,97,70,000
2020-21	33	75,68,96,328	0	75,68,96,328
2021-22	5,311	4,95,35,56,98,836	0	4,95,35,56,98,836
2022-23 (नवम्बर-22 तक)	4706	3,26,03,69,70,191	0	3,26,03,69,70,191
<b>कुल</b>	<b>10,060</b>	<b>8,38,78,40,59,683</b>	<b>0</b>	<b>8,38,78,40,59,683</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

इस प्रकार, स्वीकृत राशि से अधिक निधि का निर्गत करना और आईएफएमएस के माध्यम से बिना स्वीकृति के निधि का निर्गत करना, झारखण्ड वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था। आगे, लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफएमएस एप्लीकेशन में उचित नियंत्रण नहीं रखा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि, केवल स्वीकृत राशि के विरुद्ध ही निर्गत की जाए।

विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि आवंटन निर्गत करना स्वीकृत राशि पर निर्भर नहीं है। आईएफएमएस में एक जांच उपलब्ध है ताकि आवंटन संशोधित अनुमान से अधिक न हो और व्यय आवंटन से अधिक न हो।

उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि डेटा विश्लेषण से, संशोधित अनुमान से अधिक आवंटन, बगैर स्वीकृति के निधि निर्गत तथा आवंटन से अधिक व्यय करने के मामले सामने आए हैं।

**अनुशंसा 10 : राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि सत्यापन नियंत्रण लागू रहें ताकि आईएफएमएस के माध्यम से किसी विशिष्ट शीर्ष में पर्याप्त आवंटन के बिना कोई भुगतान प्रक्रमित न हो सके।**

#### ई-बजट मॉड्यूल में कमियां

#### 3.2.4 आईएफएमएस डेटाबेस में वास्तविक समय के आधार पर संशोधित अनुमानों के आंकड़ों का गैर-अद्यतनीकरण

झारखण्ड बजट मैनुअल के अनुसार, बजट अनुमान, वित्त विभाग (एफडी) द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में केवल नियंत्रि अधिकारियों (सीओ) द्वारा तैयार किया जाना है, जिसमें, (i) शीर्ष, जिनके अंतर्गत मदों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए; (ii) पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़े; (iii) उस वर्ष के पूर्व के स्वीकृत अनुमान, जिसके लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है; (iv) चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान; (v) वर्ष का प्रस्तावित अनुमान; और (vi) वृद्धि या कमी का स्पष्टीकरण, शामिल हों। आगे, सीओ को विनियोग की प्रत्येक इकाई के अंतर्गत संभावित संशोधित व्यय का अनुमान भी लगाना चाहिए, और संशोधित अनुमानों के आलोक में प्रस्तावित बजट की समीक्षा करनी चाहिए।

आईएफएमएस का ई-बजट मॉड्यूल, बजटीय संव्यवहारों पर व्यापक परिव्यय (सीओबीटी), सीओ के द्वारा इकाई-वार बजट आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। आईएफएमएस डेटाबेस में पूरक अनुदान, पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण और राज्य आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) सहित 60 अनुदानों के विरुद्ध, प्रत्येक लेखा शीर्ष के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय से संबंधित डेटा उपलब्ध थे।

लेखापरीक्षा ने आईएफएमएस में दर्ज बजट डेटा से परिकलित बचत राशि की तुलना, 2017-21 के दौरान अंतिम अभ्यर्पण से की और विसंगतियां पाईं, जिनका विवरण<sup>49</sup> तालिका 3.4 (i एवं ii) में दिया गया है।

तालिका 3.4 (i): आईएफएमएस में बचत से कम अभ्यर्पित राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्षों की संख्या	आईएफएमएस के अनुसार आंकड़े			लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित आंकड़े		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अंतिम अभ्यर्पण	वास्तविक संशोधित अनुमान	बचत	अंतर (कम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(6-4)	8=(7-5)
2017-18	610	12,056.49	9,504.05	2,292.59	12,115.74	2,611.69	319.10
2018-19	712	24,248.44	19,191.49	3,412.71	23,565.44	4,373.96	961.25
2019-20	520	14,641.00	10,773.43	3,679.46	14,738.70	3965.27	285.81
2020-21	123	1,360.62	1,146.94	380.43	1,560.11	413.18	32.75
2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय 2023-24 के बजट अनुमान में उपलब्ध होगा						

तालिका 3.4 (ii): आईएफएमएस में बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्षों की संख्या	आईएफएमएस के अनुसार आंकड़े			लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित आंकड़े		
		संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अंतिम अभ्यर्पण	वास्तविक संशोधित अनुमान	बचत	अंतर (अधिक्य)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(6-4)	8=(5-7)
2017-18	53	6,108.60	5,968.88	146.19	6,101.76	132.88	13.31
2018-19	124	4,295.30	3,675.73	774.14	4,295.30	619.57	154.57
2019-20	75	3,816.19	3,279.77	601.25	3,867.07	587.30	13.95
2020-21	8	722.87	499.80	328.00	827.53	327.73	0.27
2021-22	वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक व्यय 2023-24 के बजट अनुमान में उपलब्ध होगा						

आंकड़ों में विसंगति, आईएफएमएस में वास्तविक समय के आधार पर संशोधित अनुमानों के आंकड़ों को अद्यतन नहीं करने के कारण थी। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्पण विवरणी (2020-21) के साथ सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतिम अभ्यर्पण की राशि वास्तव में ₹ 327.73 करोड़ थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी।

इस प्रकार, आईएफएमएस डेटाबेस के डेटा की अखंडता सुनिश्चित नहीं की गई और आईएफएमएस का उद्देश्य, अर्थात् डीडीओ/विभागों को वास्तविक समय पर अपने बजट आवंटन और व्यय पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कुशल बजट की तैयारी, आवंटन, वितरण और पुनर्विनियोजन, प्रभावित हुआ।

<sup>49</sup> अनुपूरक, पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण और झारखण्ड आकस्मिकता निधि को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान, वास्तविक व्यय के आंकड़ों से परिकलित

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति हेतु बजट पुस्तिका के मुद्रण के प्रयोजन से, तृतीय अनुपूरक एवं कृत अभ्यर्पण के आंकड़ों पर विचार किए बगैर, संशोधित अनुमान के एक निश्चित तिथि के आंकड़े लिए जाते हैं। हालांकि, एमआईएस और अन्य आवश्यकता हेतु, किसी भुगतान के सत्यापन के लिए, वास्तविक समय के आंकड़े आईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से रन-टाइम आधार पर प्राप्त किए जा रहे हैं।

### 3.2.5 डीसी विपत्रों को प्रस्तुत किए बिना एसी विपत्रों का आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता (नियम 184 से 187) में निर्धारित है कि भुगतान के पश्चात प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक व्यय, संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों पर आहारित किए जा सकते हैं। प्रत्येक एसी विपत्र में, डीडीओ यह बताता है कि नियंत्रण अधिकारी (सीओ) को प्रतिहस्ताक्षर के लिए एक विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्र, इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि पिछले माह में आहरित एसी विपत्रों के लिए मासिक डीसी विपत्र विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित हो गया है और इसे प्रत्येक माह की 10 तारीख के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत, प्रथम एसी विपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। महीने की 10 तारीख के बाद, किसी एसी विपत्र को इस प्रमाण पत्र के बिना भुनाया नहीं जा सकता है। किसी भी मामले में, डीसी विपत्र को प्रस्तुत करने में, कोषागार से आहरित माह के बाद के छः माह की समाप्ति से आगे का विलम्ब नहीं किया जा सकता है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात, किसी भी एसी विपत्र को भुनाया नहीं जा सकता है, जब तक कि डीसी विपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

आईएफएमएस में, डीडीओ को एसी विपत्रों के अनुपालन हेतु डिजाइन किए गए इंटरफेस के माध्यम से एसी विपत्र को समायोजित करना आवश्यक था। एसी/डीसी विपत्रों से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि मई 2007 से अक्टूबर 2022 के बीच 1,941 डीडीओ द्वारा ₹ 20,098.82 करोड़ की राशि के, 12,217 एसी विपत्र आहरित किए गए, जिसके विरुद्ध, मार्च 2015 से नवंबर 2022 के बीच, 603 डीडीओ द्वारा ₹ 8,928.81 करोड़ की राशि के केवल 5,837 एसी विपत्र (डीसी विपत्र) प्रस्तुत किए गए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 5,837 एसी विपत्रों में से, जिनके लिए डीसी विपत्र प्रस्तुत किए गए थे, ₹ 1,300.52 करोड़ के 858 विपत्रों को पूर्णतः समायोजित किया गया था। 287 डीडीओ द्वारा आहरित गए, ₹ 9,078.19 करोड़ के शेष 4,979 विपत्रों को केवल आंशिक रूप से समायोजित किया गया था (₹ 7,628.29 करोड़)।

डेटा विश्लेषण से आगे पता चला कि आईएफएमएस, डीडीओ को उत्तरवर्ती एसी विपत्रों को आहरित करने से वर्जित नहीं किया और 287 में से 122 डीडीओ को ₹ 1,013.69 करोड़ के पूर्ववर्ती एसी विपत्रों के समायोजन के बिना ही 405 एसी विपत्रों को आहरित करने की अनुमति दे दी (दिसंबर 2008 और मार्च 2021 के बीच)।

बहिर्गमन सम्मेलन (मार्च 2024) में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि लंबित डीसी विपत्रों को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि, पूर्ववर्ती विपत्रों के समायोजन के बिना, एसी विपत्र का आहरण आईएफएमएस में वर्जित करने पर विभाग मौन रहा।

### 3.2.6 आईएफएमएस के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/अनुश्रवण करने का गैर-प्रावधान

झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) यह निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारियों को, अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात, अनुदान की निकासी की तिथि से 12 महीने के भीतर इन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड को भेजना चाहिए। आगे, जेटीसी (नियम 261) में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान को कोषागार से संवितरित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वह सक्षम संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से अनुमोदित हो, जिन्हें संबंधित डीडीओ से, पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में आहरित लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, स्वीकृति आदेश जारी करना चाहिए।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि आईएफएमएस के माध्यम से, अप्रैल 2010 से नवंबर 2022 के बीच, ₹ 2,44,925.58 करोड़ की राशि के 2,69,883 सहायता अनुदान (जीआईए) विपत्र आहरित किए गए। आहरित जीआईए विपत्रों का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: अप्रैल 2010 और नवंबर 2022 के बीच आहरित जीआईए विपत्र

(₹ करोड़ में)

योजना का प्रकार	विपत्रों की संख्या	सकल राशि
सी (केन्द्रीय योजना)	19,429	54,259.42
एन (गैर-योजना)	21,322	30,927.29
पी (योजना)	1,31,766	46,582.16
एस (राज्य योजना)	97,366	1,13,156.71
<b>कुल योग</b>	<b>2,69,883</b>	<b>2,44,925.58</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

डेटा विश्लेषण से आगे पता चला कि केवल 2,727 जीआईए विपत्र (योजना प्रकार “एस” के लिए ₹ 1,332.58 करोड़ की राशि) से संबंधित सूचना आईएफएमएस में उपलब्ध थी। हालांकि, आईएफएमएस डेटाबेस में, केवल तीन जीआईए विपत्र (₹ 2.44 करोड़ के) के विरुद्ध ₹ 1.99 करोड़ के यूसी पाए गए (नवंबर 2022)।

इस प्रकार, डेटाबेस में जीआईए विपत्रों को दर्ज न करने के परिणामस्वरूप आईएफएमएस के माध्यम से यूसी प्रस्तुत करने का कमजोर अनुश्रवण हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आईएफएमएस में, डीडीओ को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में आहरित जीआईए विपत्रों का यूसी जमा किए बगैर, परवर्ती वित्तीय वर्षों में जीआईए विपत्रों के आहरण को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2023) कि आईएफएमएस में यूसी की प्रस्तुति का मॉड्यूल पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि, विभाग ने अगले आवंटन को निर्गत करने के लिए, यूसी की प्रस्तुति को अनिवार्य नहीं बनाया। बहिर्गमन सम्मलेन (मार्च 2024) में, विभाग ने कहा कि यूसी की प्रस्तुति में तेजी लाने के लिए, मामले को मुख्य सचिव के समक्ष उठाया जाएगा।

### 3.2.7 आईएफएमएस में चुकता ऋण/ब्याज पुनर्भुगतान के डेटा की अनुपलब्धता

आईएफएमएस के डीपीआर के अनुसार, निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल, सरकार के सभी ऋणों, गारंटियों और अन्य देनदारियों के साथ-साथ निवेशों तथा सरकार द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों के अभिलेखों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि उसे अपनी देनदारियों का पूरा परिदृश्य मिल सके और वह अपने निधि के प्रबंधन की योजना बना सके। यह सरकार को अर्थोपाय अग्रिम को बेहतर प्रबंधित करने की अनुमति देकर, उधार लेने की वित्तीय लागत को कम करने में भी सक्षम बनाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएमएस में निधि एवं ऋण प्रबंधन मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया (जुलाई 2023)। इस मॉड्यूल के अभाव में, कर्ज का विवरण, उनके पुनर्भुगतान की अनुसूची तथा केंद्रीय बैंक एवं कोषागार लेखे का समाधान, आईएफएमएस में दर्ज नहीं किया जा रहा है।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार से प्राप्त ₹ 59,500.24 करोड़ का आंतरिक ऋण (मुख्य शीर्ष: 6003) और ₹ 5,642.34 करोड़ के कर्ज तथा अग्रिम (मुख्य शीर्ष: 6004) थे। सत्यापन के दौरान, वित्त लेखे एवं आईएफएमएस की बजट तालिकाओं के बीच आंतरिक ऋण में ₹ 4,012.27 करोड़ और कर्ज तथा अग्रिम में ₹ 1,724.27 करोड़ का अंतर देखा गया, जैसा कि तालिका 3.6 में दिखाया गया है।

तालिका 3.6: आईएफएमएस डेटा और वित्त लेखे के बीच अंतर दिखाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	आईएफएमएस डेटा के अनुसार		वित्त लेखे के अनुसार		अंतर	
	आंतरिक ऋण (6003)	कर्ज तथा अग्रिम (6004)	आंतरिक ऋण (6003)	कर्ज तथा अग्रिम (6004)	आंतरिक ऋण (6003)	कर्ज तथा अग्रिम (6004)
वर्ष						
2015-16	15,500.12	271.17	13,079.63	165.02	2,420.49	106.15
2016-17	16,000.12	271.17	6,847.13	234.29	9,152.99	36.88
2017-18	10,400.00	600.00	7,905.24	231.61	2,494.76	368.39
2018-19	10,300.00	700.00	7,530.52	272.90	2,769.48	427.10
2019-20	3,500.00	800.00	9,167.14	425.98	(-)5,667.14	374.02
2020-21	3,800.00	3,000.00	10,958.31	2,588.27	(-)7,158.31	411.73
कुल	59,500.24	5,642.34	55,487.97	3,918.07	4,012.27	1,724.27

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2017-21 के दौरान, कर्ज तथा अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6004) की ₹ 699.20 करोड़ की चुकता राशि, जैसा कि वित्त लेखे में देखी गई थी, आईएफएमएस में दर्ज नहीं की गई थी।

डेटा विश्लेषण से आगे यह पता चला कि 2017-21 के दौरान ₹ 4,222.50 करोड़ की राशि, आंतरिक ऋण<sup>50</sup> के पुनर्भुगतान के रूप में दर्ज की गई। हालांकि, वित्त लेखे से यह पता चला कि इस अवधि के दौरान किया गया वास्तविक पुनर्भुगतान ₹ 12,286.62 करोड़ था। इस प्रकार, आईएफएमएस के आंकड़े, वित्त लेखे के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 8,064.12 करोड़ की पुनर्भुगतान राशि<sup>51</sup> आईएफएमएस में दर्ज नहीं की जा सकी क्योंकि इन पुनर्भुगतानों के अभिलेख महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संधारित किए गए थे और बाह्य हितधारक होने के नाते, महालेखाकार के पास इन आंकड़ों को आईएफएमएस में प्रविष्टि करने हेतु प्रत्यक्ष पहुंच नहीं थी। आंतरिक ऋण (6003) के विरुद्ध पुनर्भुगतानों का विवरण तालिका 3.7 में दिखाया गया है।

**तालिका 3.7: आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आईएफएमएस के अनुसार	वित्त लेखे के अनुसार	अंतर
2017-2018	850.33	2,788.46	1,938.13
2018-2019	650.41	2,893.42	2,243.01
2019-2020	1,444.37	4,057.86	2,613.49
2020-2021	1,277.39	2,546.88	1,269.49
<b>कुल</b>	<b>4,222.50</b>	<b>12,286.62</b>	<b>8,064.12</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस तथा झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

इस प्रकार, आईएफएमएस के माध्यम से, प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

<sup>50</sup> लघु शीर्ष 105 (नाबार्ड से ऋण); 108 (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण); तथा 109 (अन्य संस्थाओं से ऋण) आंतरिक ऋण के लिए मूल राशि के भुगतान के अंतर्गत (मुख्य शीर्ष 6003)

<sup>51</sup> लघु शीर्ष: 101 (बाजार से उधार); 103 (एलआईसी इंडिया से ऋण); 104 (जीआईसी इंडिया से ऋण); 107 (एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण); 110 (अर्थोपाय अग्रिम); 111 (केन्द्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां); और 800 (अन्य ऋण)

बहिर्गमन सम्मलेन (मार्च 2024) में, विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि महालेखाकार (लेखा एवं हक) के परामर्श के साथ निधि एवं ऋण प्रबंधन माँड्यूल का विकास प्रक्रियाधीन है।

रांची  
दिनांक: 12 मार्च 2025

इ-3 2025-26  
(इन्दु अग्रवाल)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 18 मार्च 2025

संजय  
(के. संजय मूर्ति)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**परिशिष्ट**



परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.2.1(ii) में संदर्भित; पृष्ठ 36)

कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को भुगतेय डीसीआरजी/सीभीपी के साथ साथ वास्तव में किसी अन्य पेंशनभोगियों को प्राधिकृत डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार	पीपीओ संख्या	प्रकार	पेंशनभोगी का नाम	भुगतेय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
1	बोकारो	1116*****	डीसीआरजी	निXXइ साXXस	8,52,786	17,57,613	9,04,827
		1116#####		मXXXXXXXX मXXथा	9,04,827		
2	बोकारो	1116*****	सीभीपी	निXXइ साXXस	4,64,108	9,56,535	4,92,427
		1116#####		मXXXXXXXX मXXथा	4,92,427		
3	बोकारो	1116*****	डीसीआरजी	गोXXल मXXXXल	4,51,688	11,48,468	6,96,780
		1116#####		शXXXXXXXX कुXXरी	6,96,780		
4	बोकारो	1117*****	डीसीआरजी	रXXXXया रXम	6,00,600	21,45,000	15,44,400
		1117#####		सXXXXXXXX चौXXए	15,44,400		
5	दुमका	1115*****	डीसीआरजी	जXXXXश्री दXवी	8,05,167	16,37,125	8,31,958
		1115#####		रXम दXXल दXस	8,31,958		
6	दुमका	1115*****	डीसीआरजी	आXXश कुXXर	7,92,165	16,17,363	8,25,198
		1115#####		शXXरी मXXXXल	8,25,198		
7	जमशेदपुर	1116*****	डीसीआरजी	पXXला नXXद मXXइ	8,26,345	13,12,006	4,85,661
		1116#####		पXXन कुXXर दXस	4,85,661		
8	लोहरदग्गा	1115*****	सीभीपी	बेXXXXत एXका	3,89,919	8,37,560	4,47,641
		1115#####		रुXXणी कुXXरी	4,47,641		
9	पलामू	1121*****	सीभीपी	अXXर रXXXXन	13,76,592	24,95,565	11,18,973
		1121#####		सुXXल कुXXर वXXमा	11,18,973		
10	रांची	1117*****	डीसीआरजी	सुXXमी कुXXर	5,65,144	14,63,965	8,98,821
		1117#####		गोXXद जXआ	8,98,821		
11	रांची	1118*****	डीसीआरजी	सुXXष चXXXXअ प्रXXद	11,78,100	26,69,783	14,91,683
		1118#####		निXXला गXXता	14,91,683		
12	रांची	1118*****	सीभीपी	सुXXष चXXXXअ प्रXXद	13,37,261	30,30,469	16,93,208
		1118#####		निXXला गXXता	16,93,208		
<b>कुल</b>							<b>1,14,31,577</b>

(स्रोत: आइएफएमएस डेटाबेस)

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.2.1(iii) में संदर्भित; पृष्ठ 37)

कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण भुगतान संज्ञापन तैयार करने के कारण पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	अनुमान्य राशि	भुगतय राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान
1	बोकारो	डीसीआरजी	1118xxxx	अखत प्रखद मखतो	11,78,100	11,78,100	11,87,100	9,000
2	बोकारो	डीसीआरजी	1120xxxx	लखख सिखह	10,48,525	10,48,525	10,84,525	36,000
3	बोकारो	सीभीपी	1115xxxx	दिखश प्रखद	5,12,092	5,12,092	5,43,767	31,675
4	चक्रधरपुर	डीसीआरजी	1117xxxx	राख पुखन प्रखद	6,90,030	6,90,030	69,00,030	62,10,000
5	चक्रधरपुर	डीसीआरजी	1116xxxx	अखन चखर मखतो	2,05,963	2,05,963	2,05,965	2
6	चक्रधरपुर	सीभीपी	1116xxxx	तखपी नाखत पत्नी सुखखखर नाखत	4,48,179	4,48,179	4,88,179	40,000
7	धनबाद	डीसीआरजी	1222xxxx	जेखउ मखतो	52,525	52,525	55,525	3,000
8	धनबाद	डीसीआरजी	1122xxxx	राखखखअ रखम	8,35,212	8,35,212	8,53,212	18,000
9	दुमका	डीसीआरजी	1422xxxx	पिखकी मुखउ पुत्री सुखखला सोखन	6,00,160	6,00,160	6,00,460	300
10	गोड्डा	डीसीआरजी	1116xxxx	मो. मुखजा हखन	7,96,600	7,96,600	7,96,780	180
11	गोड्डा	सीभीपी	1120xxxx	सखखखखखण पखखत	6,68,630	6,68,630	6,86,630	18,000
12	गुमला	सीभीपी	1120xxxx	हिखखा पोखखना मिखज	11,87,802	11,87,802	18,53,173	6,65,371
13	गढ़वा	सीभीपी	1120xxxx	राख विखद कुखर	32,31,944	32,31,944	32,31,945	1
14	जमशेदपुर	डीसीआरजी	जेखइख22खख	कखल कृखण घखष	5,20,702	5,20,702	5,33,358	12,656
15	जमशेदपुर	सीभीपी	1121xxxx	चंखखखख भखखत	17,24,673	17,24,673	17,24,693	20
16	खूंटी	सीभीपी	1117xxxx	बखखख गुखया	12,60,565	12,60,565	12,60,575	10
17	खूंटी	सीभीपी	1118xxxx	सुखखम सेख	7,15,828	7,15,828	7,18,528	2,700
18	लातेहार	डीसीआरजी	1118xxxx	राख दखल उखखव	6,25,433	6,25,433	6,25,435	2
19	लातेहार	डीसीआरजी	1418xxxx	जखखखन प्रखद पखन	3,64,656	3,64,656	3,64,659	3
20	लातेहार	सीभीपी	1118xxxx	अखण कुखर सिखह	8,06,290	8,06,290	8,06,298	8
21	लातेहार	सीभीपी	1121xxxx	अखखखखर कुखर	11,18,973	11,18,973	11,89,973	71,000
22	लातेहार	सीभीपी	1122xxxx	रेखना हूखखया	13,76,592	13,76,592	13,76,593	1
23	पाकुड़	डीसीआरजी	पीखइख20खख	सेखउ कुखर डॉखम	5,36,927	5,31,432	5,41,432	10,000
24	पलामू	सीभीपी	1118xxxx	अखध बिखरी गिख	6,29,299	6,29,299	6,29,699	400
25	रांची	डीसीआरजी	1118xxxx	बीख बखखखर सिखह	10,34,583	10,34,583	10,34,853	270
26	रांची	सीभीपी	1115xxxx	इखखखत	2,05,899	2,05,899	2,50,899	45,000
27	रांची	सीभीपी	1118xxxx	राख कुखर	7,09,928	7,09,928	7,09,929	1
28	रांची	सीभीपी	1118xxxx	भाखखउ प्रखप	12,23,200	12,23,200	12,23,220	20
29	रांची	सीभीपी	1121xxxx	मो. रुखम अंखरी	16,87,308	16,87,308	16,87,310	2
30	साहेबगंज	सीभीपी	1117xxxx	पखच कोख साख	11,52,404	11,52,404	11,52,504	100
31	सिंहभूम	सीभीपी	1117xxxx	जखखल अखखन	4,42,279	4,42,279	4,42,979	700
32	सरायकेला	डीसीआरजी	1117xxxx	राख जख तिखरी	7,66,494	7,66,494	8,18,924	52,430
33	सरायकेला	डीसीआरजी	1121xxxx	भूखखथ मखतो	7,16,224	7,16,224	7,16,244	20
							कुल	72,26,872

(स्रोत: आइएफएमएस डेटाबेस)

## परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.2.1(iv) में संदर्भित; पृष्ठ 38)

कोषागारों द्वारा डीसीआरजी/सीभीपी के भुगतान के दौरान टीडीएस राशि के त्रुटिपूर्ण जोड़ के कारण अधिक व्यय का संधारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	अनुमान्य राशि	भुगतेय राशि	भुगतान की गई निवल राशि	भुगतान की गई सकल राशि	कारण: भुगतेय राशि में टीडीएस को जोड़ना	वित्त-वर्ष
1	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	मो. गुxxxxन	8,46,087	8,46,087	8,46,087	8,46,767	680	2016-2017
2	बोकारो	डीसीआरजी	1115xxxxx	राx बxxउ चौxxxxरी	9,00,000	9,00,000	9,00,000	9,19,385	19,385	2016-2017
3	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	जx मxमा सिxहा	8,12,559	62,559	62,559	63,448	889	2016-2017
4	धनबाद	डीसीआरजी	1121xxxxx	रxxxxद शxxxxमा	10,00,000	10,00,000	10,00,000	10,00,008	8	2021-2022
5	धनबाद	सीभीपी	1121xxxxx	रxxxxद शxxxxमा	6,70,164	6,49,042	6,49,042	6,49,050	8	2021-2022
6	डोरंडा	डीसीआरजी	1117xxxxx	दिxxxxप कुxxxxर वxxमा	2,71,161	2,71,161	2,71,161	2,84,116	12,955	2017-2018
7	गोड्डा	डीसीआरजी	1114xxxxx	विxxxxxxद याxxव	8,10,999	8,10,999	8,10,999	8,39,205	28,206	2014-2015
8	गोड्डा	डीसीआरजी	1419xxxxx	विxxxx प्रxxद याxxव	4,65,920	4,65,920	4,65,920	5,65,920	1,00,000	2019-2020
9	गोड्डा	सीभीपी	1113xxxxx	कxxxxव प्रxxद सिxहा	6,80,036	6,80,036	6,80,036	6,93,175	13,139	2013-2014
10	गोड्डा	डीसीआरजी	1113xxxxx	कxxxxव प्रxxद सिxहा	1,000	1,000	1,000	14,139	13,139	2013-2014
11	गुमला	डीसीआरजी	1118xxxxx	औxxxxभा लxड़ा	5,12,000	5,12,000	5,12,000	5,13,865	1,865	2018-2019
12	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1119xxxxx	सxxxxxxम भxxxxत	20,00,000	20,00,000	20,00,000	23,29,834	3,29,834	2019-2020
13	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1116xxxxx	प्रxxxxमा बxxxxजी	1,000	1,000	1,000	4,17,822	4,16,822	2019-2020
14	खूंटी	सीभीपी	1114xxxxx	लाxxxxन मxxतो	4,02,751	4,02,751	4,02,751	4,04,083	1,332	2014-2015
15	पलामू	डीसीआरजी	1119xxxxx	बxxxxरु पाxxxxय	4,50,500	4,50,500	4,50,500	5,35,392	84,892	2019-2020
16	पलामू	डीसीआरजी	1119xxxxx	कxxxxxxन अxxxxरी	10,82,928	10,82,928	10,82,928	11,67,820	84,892	2019-2020
17	पलामू	सीभीपी	1119xxxxx	कxxxxxxन अxxxxरी	11,52,404	11,52,404	11,52,404	12,37,296	84,892	2019-2020
18	पलामू	डीसीआरजी	1119xxxxx	स्तxxxxस खxxखो	8,30,907	8,30,907	8,30,907	9,15,799	84,892	2019-2020
19	रांची	डीसीआरजी	1117xxxxx	प्रxxत कुxxर मुxxxxजी	13,36,764	13,36,764	13,36,764	13,41,764	5,000	2017-2018
20	रांची	सीभीपी	1117xxxxx	प्रxxत कुxxर मुxxxxजी	7,65,975	7,65,975	7,65,975	7,70,975	5,000	2017-2018

क्र. सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	अनुमान्य राशि	भुगतेय राशि	भुगतान की गई निवल राशि	भुगतान की गई सकल राशि	कारण: भुगतेय राशि में टीडीएस को जोड़ना	वित्त-वर्ष
21	रांची	डीसीआरजी	1117xxxx	शxxxxजा नxxद शxxxमा	15,04,932	15,04,932	15,04,932	15,09,932	5,000	2017-2018
22	रांची	डीसीआरजी	1118xxxx	विxxय कुxxर सिxxह	7,31,640	7,31,640	7,31,640	7,31,644	4	2017-2018
23	रांची	डीसीआरजी	1122xxxx	अxxxxद्र नाxxxxण मिxx	20,00,000	20,00,000	20,00,000	25,10,195	5,10,195	2022-2023
24	रांची	सीभीपी	1122xxxx	अxxxxद्र नाxxxxण मिxx	28,52,223	26,28,392	26,28,392	31,38,587	5,10,195	2022-2023
25	रांची	डीसीआरजी	1113xxxx	डा. प्रxxद xx सxxय	8,05,440	8,05,440	8,05,440	8,25,440	20,000	2013-2014
26	रांची	डीसीआरजी	1113xxxx	डा. नxxनी रxxxxन सिxxहा	7,43,067	7,43,067	7,43,067	7,73,067	30,000	2013-2014
27	रांची	डीसीआरजी	1115xxxx	गxxआ चxxण साx	10,530	10,530	10,530	40,530	30,000	2015-2016
28	रांची	डीसीआरजी	1117xxxx	क्रिxxxxना बxx	9,40,154	9,40,154	9,40,154	9,44,154	4,000	2017-2018
29	रांची	डीसीआरजी	1417xxxx	जोxxफ विxxय एxxआ	8,04,033	8,04,033	8,04,033	8,34,033	30,000	2017-2018
30	सरायकेला	डीसीआरजी	1114xxxx	बxxxxसी प्रxxद	7,48,193	7,43,193	7,43,193	7,96,303	53,110	2014-2015
								<b>कुल</b>	<b>24,80,334</b>	

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

## परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.2.1(v) में संदर्भित; पृष्ठ 42)

आईएफएमएस में महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकारों के गैर-अद्यतनीकरण के कारण आईएफएमएस में, कोषागारों द्वारा पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान किया गया दिखाई दिया

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	आईएफएमएस के अनुसार भुगतये डीसीआरजी/सीभीपी	भुगतान की गई राशि	परिकलित अधिक भुगतान	पुनरीक्षित डीसीआरजी/सीभीपी की प्रविष्टि आईएफएमएस में नहीं
1	बोकारो	सीभीपी	1113xxxxx	कxxशxx राxx	11,799	6,21,040	6,09,241	6,21,040
2	बोकारो	सीभीपी	1113xxxxx	नुxx राxx मxxतो	19,075	4,05,505	3,86,430	4,05,505
3	चक्रधरपुर	सीभीपी	1117xxxxx	मxxल सिंxx पुxx	4,70,401	6,19,814	1,49,413	6,19,814
4	देवघर	डीसीआरजी	1115xxxxx	दxxरथ राxxत	9,97,213	10,00,000	2,787	10,00,000
5	देवघर	डीसीआरजी	डीxxएलxx10xx	जxxरथ प्रxxद सिंxx	1,95,146	3,48,688	1,53,542	3,48,688
6	देवघर	सीभीपी	डीxxएफxx41xx	आxx रिxx सेxx	14,356	4,77,874	4,63,518	4,77,874
7	देवघर	सीभीपी	1115xxxxx	बिxxद कुxxर	5,60,470	6,48,178	87,708	6,48,178
8	देवघर	सीभीपी	1113xxxxx	बिxxxx नxx झxx	12,979	5,26,448	5,13,469	5,26,448
9	देवघर	सीभीपी	डीxxएफxx26xx	देxx मेxxरा	93,314	1,21,238	27,924	1,21,238
10	देवघर	सीभीपी	1113xxxxx	डोxxन रxxक	67,059	5,23,892	4,56,833	5,23,892
11	देवघर	सीभीपी	1117xxxxx	किxxरे चंxx मिxx	10,23,398	16,73,543	6,50,145	16,73,543
12	देवघर	सीभीपी	डीxxएफxx24xx	लxxमी देxx	1,38,550	2,98,420	1,59,870	2,98,420
13	देवघर	सीभीपी	डीxxइxx21xx	नाxxशxx साxx	21,829	5,38,051	5,16,222	5,38,051
14	देवघर	सीभीपी	डीxxइxx23xx	पुxxन नxx घोxx	12,389	5,28,218	5,15,829	5,28,218
15	देवघर	सीभीपी	डीxxइxx23xx	राxx पुxxर सिंxx	13,373	5,45,720	5,32,347	5,45,720
16	देवघर	सीभीपी	डीxxइxx23xx	साxxताxx मिxx	22,222	5,46,507	5,24,285	5,46,507
17	देवघर	सीभीपी	1112xxxxx	शंxxर राxxत	39,724	3,17,403	2,77,679	3,17,403
18	देवघर	सीभीपी	डीxxइxx17xx	श्याxx सुxxर गुxxता	21,042	5,55,553	5,34,511	5,55,553
19	देवघर	सीभीपी	डीxxएफxx31xx	सुxxश चxx सिंxx	2,07,760	2,93,123	85,363	2,93,123
20	धनबाद	डीसीआरजी	1115xxxxx	बिxxxxर ठाxxर	4,41,276	4,53,080	11,804	4,53,080
21	धनबाद	डीसीआरजी	1114xxxxx	चंxxxxर राxx	6,99,105	7,35,900	36,795	7,35,900
22	धनबाद	डीसीआरजी	1115xxxxx	देxxxx राxx	8,02,709	8,25,330	22,621	8,25,330
23	धनबाद	डीसीआरजी	1114xxxxx	नंxx कxxरी	8,32,343	8,76,150	43,807	8,76,150
24	धनबाद	डीसीआरजी	1115xxxxx	प्रxxला कुxxरी	9,40,944	9,68,208	27,264	9,68,208
25	धनबाद	सीभीपी	1115xxxxx	बैxxxx तिxxरी	3,73,843	3,95,309	21,466	3,95,309
26	धनबाद	सीभीपी	डीxxएसxx1xx	भाxxत प्रxxद सिंxx	41,495	3,71,876	3,30,381	3,71,876
27	धनबाद	सीभीपी	डीxxपीxx31xx	बिxxxxर कुxxxxर	17,699	2,96,951	2,79,252	2,96,951
28	धनबाद	सीभीपी	1113xxxxx	गxxन्द्र नाxxxxण चौxxरी	21,436	4,14,944	3,93,508	4,14,944
29	धनबाद	सीभीपी	1113xxxxx	हxxxxर प्रxxद	14,749	4,96,950	4,82,201	4,96,950
30	धनबाद	सीभीपी	1113xxxxx	प्रxxxxश रंxxन सxxय	1,04,535	2,33,910	1,29,375	2,33,910
31	धनबाद	सीभीपी	1113xxxxx	राxxजी प्रxxद	17,109	2,85,455	2,68,346	2,85,455
32	धनबाद	सीभीपी	1113xxxxx	शिxx लाxx मxxतो	1,83,972	2,19,566	35,594	2,19,566
33	धनबाद	सीभीपी	डीxxएफxx14xx	सीxxxx राxxवंxx	2,747	2,04,817	2,02,070	2,04,817
34	दुमका	डीसीआरजी	1117xxxxx	बिxxन्द्रा प्रxxद भxxत	11,10,780	11,32,560	21,780	11,32,560
35	दुमका	डीसीआरजी	1118xxxxx	चॉxx कxxरी	6,25,433	6,37,346	11,913	6,37,346
36	दुमका	डीसीआरजी	1115xxxxx	चxxxx साxx	6,98,478	7,18,724	20,246	7,18,724
37	दुमका	डीसीआरजी	1115xxxxx	गीxx मिxx	7,72,926	7,95,333	22,407	7,95,333
38	दुमका	डीसीआरजी	1114xxxxx	लxx नाxxxxण चौxx	5,68,955	5,88,870	19,915	5,88,870

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	आईएफएमएस के अनुसार भुगतनेय डीसीआरजी/सीभीपी	भुगतान की गई राशि	परिकलित अधिक भुगतान	पुनरीक्षित डीसीआरजी/सीभीपी की प्रविष्टि आईएफएमएस में नहीं
39	दुमका	डीसीआरजी	1115xxxxx	मxxxxx हंxxदा	8,32,013	8,56,136	24,123	8,56,136
40	दुमका	डीसीआरजी	1115xxxxx	मृxxxxx बxxकी	8,01,966	8,25,198	23,232	8,25,198
41	दुमका	डीसीआरजी	1417xxxxx	पुxxxxदु सिंxx	4,00,000	20,00,000	16,00,000	20,00,000
42	दुमका	डीसीआरजी	1116xxxxx	रxxन्द्रा साxx	7,85,582	8,07,098	21,516	8,07,098
43	दुमका	डीसीआरजी	1114xxxxx	शाxxx प्रxxद मंxxल	7,87,958	7,88,958	1,000	7,88,958
44	दुमका	डीसीआरजी	1115xxxxx	सुxxxश प्रxxद भxxत	9,94,934	10,00,000	5,066	10,00,000
45	दुमका	सीभीपी	1114xxxxx	बिxxxxथ चxxजी	4,25,957	4,46,606	20,649	4,46,606
46	दुमका	सीभीपी	1116xxxxx	जxxxx सोxxन	4,12,781	5,93,229	1,80,448	5,93,229
47	दुमका	सीभीपी	1112xxxxx	कxxxxकी मxxतो	8,063	1,71,091	1,63,028	1,71,091
48	दुमका	सीभीपी	डीxxडीxx33xx	मxxxxन मोxxन साxx	59,783	3,38,642	2,78,859	3,38,642
49	दुमका	सीभीपी	1116xxxxx	मxxxxन्द्रा प्रxxद	7,98,030	12,97,930	4,99,900	12,97,930
50	दुमका	सीभीपी	1118xxxxx	मो मोxxxx आxxम	4,35,396	7,09,928	2,74,532	7,09,928
51	दुमका	सीभीपी	1120xxxxx	मिxxxxश कुxxर xx	8,90,852	9,16,536	25,684	9,16,536
52	दुमका	सीभीपी	डीxxएलxx2xx	प्रxxxx साxx	23,599	3,76,006	3,52,407	3,76,006
53	दुमका	सीभीपी	1116xxxxx	शुxxल टुxx	4,94,000	12,57,050	7,63,050	12,57,050
54	दुमका	सीभीपी	डीxxडब्ल्यूxx2xx	योxxन्द्रा मxxतो	8,291	4,04,915	3,96,624	4,04,915
55	डोरंडा	डीसीआरजी	1415xxxxx	अxxर कुxxर पुxx	2,51,628	2,58,924	7,296	2,58,924
56	डोरंडा	डीसीआरजी	1415xxxxx	अxxत कुxxर लिxx	2,75,472	2,83,464	7,992	2,83,464
57	डोरंडा	डीसीआरजी	1114xxxxx	अxxल राxx	3,20,760	3,31,992	11,232	3,31,992
58	डोरंडा	डीसीआरजी	1415xxxxx	अxxष तxxग	2,44,176	2,51,256	7,080	2,51,256
59	डोरंडा	डीसीआरजी	1119xxxxx	भाxxत थाxx	11,52,839	11,84,568	31,729	11,84,568
60	डोरंडा	डीसीआरजी	1121xxxxx	कxxण प्रxxन	11,66,022	12,75,648	1,09,626	12,75,648
61	डोरंडा	डीसीआरजी	1118xxxxx	राxx शxxण सिxx	12,52,939	12,76,804	23,865	12,76,804
62	डोरंडा	डीसीआरजी	1115xxxxx	साxxर छेxx	7,70,204	7,92,528	22,324	7,92,528
63	डोरंडा	डीसीआरजी	1119xxxxx	सxxxx नxxन सिंxx	12,09,500	20,00,000	7,90,500	20,00,000
64	डोरंडा	डीसीआरजी	1115xxxxx	शेxx बxxxxर थाxx	7,70,204	7,92,528	22,324	7,92,528
65	डोरंडा	डीसीआरजी	1115xxxxx	ताxx बxxxxर छेxx	7,55,502	7,77,414	21,912	7,77,414
66	डोरंडा	सीभीपी	1113xxxxx	अxxर कुxxर सिxx	2,47,196	2,65,486	18,290	2,65,486
67	डोरंडा	सीभीपी	1117xxxxx	अxxल कुxxर श्रीxxxxव	4,91,640	9,83,280	4,91,640	9,83,280
68	डोरंडा	सीभीपी	1113xxxxx	अxxनी कुxxर चौxx	30,679	10,20,841	9,90,162	10,20,841
69	डोरंडा	सीभीपी	1119xxxxx	भोxxन्द्रा मिxx	1,65,191	17,91,536	16,26,345	17,91,536
70	डोरंडा	सीभीपी	डीxxएxx39xx	बिxxन्द्रा प्र सिxx	14,553	7,05,011	6,90,458	7,05,011
71	डोरंडा	सीभीपी	1113xxxxx	जिxxन्द्रा प्रxxद सिxx	38,348	11,42,965	11,04,617	11,42,965
72	डोरंडा	सीभीपी	1114xxxxx	लाxx मोxxxxन नाxxक	5,33,331	5,69,122	35,791	5,69,122
73	डोरंडा	सीभीपी	1113xxxxx	मुxxxxर नाxx तिxxरी	54,081	6,20,646	5,66,565	6,20,646
74	डोरंडा	सीभीपी	1113xxxxx	सुxxरा काxx दxxन	1,98,229	8,22,612	6,24,383	8,22,612
75	गोड्डा	डीसीआरजी	1115xxxxx	बिxxद बxxया	8,26,551	8,50,509	23,958	8,50,509
76	गोड्डा	डीसीआरजी	1117xxxxx	एमx हxxxxन	9,86,238	10,05,576	19,338	10,05,576
77	गोड्डा	डीसीआरजी	जीxxडीxx40xx	सxxxxद पंxxxxत	2,91,885	3,03,121	11,236	3,03,121
78	गोड्डा	डीसीआरजी	1115xxxxx	शैxxन्द्रा कुxxर झx	8,62,109	8,86,397	24,288	8,86,397
79	गोड्डा	सीभीपी	1116xxxxx	अxxरुxx प्रxxद याxxव	4,75,318	12,23,200	7,47,882	12,23,200
80	गुमला	डीसीआरजी	1420xxxxx	सौxx राxx उxxव	95,872	4,79,360	3,83,488	4,79,360
81	गुमला	सीभीपी	1115xxxxx	सेxxxxआ मिxx	3,93,509	4,07,720	14,211	4,07,720
82	गुमला	सीभीपी	1113xxxxx	राxxxxर नाxx प्रxxद	82,989	2,95,002	2,12,013	2,95,002

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	आइएफएमएस के अनुसार भुगतये डीसीआरजी/सीभीपी	भुगतान की गई राशि	परिकलित अधिक भुगतान	पुनरीकित डीसीआरजी/सीभीपी की प्रविष्टि आइएफएमएस में नहीं
83	गुमला	सीभीपी	जीxxएxx4xx	सxxत लxxरी	8,260	2,02,949	1,94,689	2,02,949
84	गुमला	सीभीपी	1117xxxx	सxxन टोxx	4,30,087	6,88,912	2,58,825	6,88,912
85	गुमला	सीभीपी	1115xxxx	सुxxश चंxx प्रxxद	5,20,155	7,46,492	2,26,337	7,46,492
86	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	अxxन सिंxx	7,69,857	7,92,165	22,308	7,92,165
87	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	भुxxर चौxxरी	7,87,958	8,10,794	22,836	8,10,794
88	गिरिडीह	डीसीआरजी	1117xxxx	जxxश प्रxxद मxxतो	6,12,612	6,24,624	12,012	6,24,624
89	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	कैxxति राxx	8,44,998	8,69,484	24,486	8,69,484
90	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	लाxx राxx	8,07,428	8,30,825	23,397	8,30,825
91	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115 xxxx	महेxxरी xxx	7,87,958	8,10,794	22,836	8,10,794
92	गिरिडीह	डीसीआरजी	जीxxइxx24xxx	नxxह राxx	4,83,599	5,02,673	19,074	5,02,673
93	गिरिडीह	डीसीआरजी	1122xxxx	शिxx कुxxर देx	16,05,995	16,42,773	36,778	16,42,773
94	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	सुxxश सिंxx	6,44,424	6,63,100	18,676	6,63,100
95	गिरिडीह	डीसीआरजी	1115xxxx	तुxxसी नाxxxxण चौxxरी	8,07,428	8,30,825	23,397	8,30,825
96	गिरिडीह	डीसीआरजी	1114xxxx	युxxल मxxतो	7,01,927	7,38,870	36,943	7,38,870
97	गिरिडीह	सीभीपी	1113xxxx	चेxx लाx मंxxल	197	2,33,234	2,33,037	2,33,234
98	गिरिडीह	सीभीपी	जीxxइxx27xxx	देxxल राx	16,323	4,58,405	4,42,082	4,58,405
99	गिरिडीह	सीभीपी	1113xxxx	मुxxली मिxx	10,423	4,24,580	4,14,157	4,24,580
100	गिरिडीह	सीभीपी	1116xxxx	शैxxन्दा कुxxर सिंxx	14,82,491	15,16,414	33,923	15,16,414
101	गढ़वा	डीसीआरजी	जीxxडीxx47xx	राx चंxx प्रxxद	71,610	1,00,947	29,337	1,00,947
102	गढ़वा	डीसीआरजी	1214xxxx	सुxxxxन सिंxx	77,292	1,55,584	78,292	1,55,584
103	गढ़वा	सीभीपी	जीxxआरxx4xx	दिxxथ तिxxरी	6,096	4,22,614	4,16,518	4,22,614
104	घाटशिला	डीसीआरजी	1115xxxx	अxxत कुxxर राxx	7,27,502	7,48,589	21,087	7,48,589
105	घाटशिला	सीभीपी	1113xxxx	पxxxxति प्रxxन	11,603	2,21,828	2,10,225	2,21,828
106	हजारीबाग	डीसीआरजी	1118xxxx	इxxत	3,93,690	9,40,913	5,47,223	9,40,913
107	हजारीबाग	डीसीआरजी	1114xxxx	राxxxx साx	6,12,625	6,34,075	21,450	6,34,075
108	हजारीबाग	सीभीपी	1112xxxx	बेxxन पाxxय	6,687	3,98,818	3,92,131	3,98,818
109	हजारीबाग	सीभीपी	एचxxइxx24xxx	चंxxला देxx	4,130	3,74,826	3,70,696	3,74,826
110	हजारीबाग	सीभीपी	एचxxडीxx53xx	गxxश राx कुxxहा	64,015	3,05,997	2,41,982	3,05,997
111	हजारीबाग	सीभीपी	1112xxxx	गोxxल जी	1,34,414	2,26,056	91,642	2,26,056
112	हजारीबाग	सीभीपी	एचxxएफxx12xx	जxxxxथ उxxxxय	1,24,877	2,46,803	1,21,926	2,46,803
113	हजारीबाग	सीभीपी	1112xxxx	जुxxल सोxxन	1,64,527	2,65,682	1,01,155	2,65,682
114	हजारीबाग	सीभीपी	एचxxइxx24xxx	एमx साxxर xxली अंxxरी	10,029	5,41,984	5,31,955	5,41,984
115	जामताड़ा	डीसीआरजी	1117xxxx	अxxत कुxxर xx	5,37,004	5,52,552	15,548	5,52,552
116	जामताड़ा	डीसीआरजी	1116xxxx	सxxबे सोxxन	4,24,125	5,86,625	1,62,500	5,86,625
117	जामताड़ा	डीसीआरजी	1115xxxx	शंxx राx चxxxxती	8,42,259	8,66,679	24,420	8,66,679
118	जामताड़ा	डीसीआरजी	1114xxxx	सूxx मोxxन xx	8,67,227	9,12,870	45,643	9,12,870
119	जामताड़ा	सीभीपी	जेxxइxx22xxx	xxरव कुxxर चौxxरी	12,094	4,96,163	4,84,069	4,96,163
120	जामताड़ा	सीभीपी	जेxxइxx21xxx	मिxxर कुxxर पाx	12,586	5,22,318	5,09,732	5,22,318
121	जामताड़ा	सीभीपी	जेxxइxx25xxx	शेxx अxxफ अx	5,506	3,64,797	3,59,291	3,64,797
122	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1117xxxx	मxxल हxx	3,93,690	9,29,115	5,35,425	9,29,115
123	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1114xxxx	संxxय कुxxर मिxx	9,39,527	9,88,975	49,448	9,88,975
124	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1118xxxx	शिx कैxxश पांxxय	3,67,223	8,77,658	5,10,435	8,77,658
125	जमशेदपुर	सीभीपी	जेxxइxx25xxx	चंxxxxर प्रxxद याxxव	6,293	3,75,810	3,69,517	3,75,810
126	जमशेदपुर	सीभीपी	जेxxएफxx34xx	गंxxxxर पंxx	3,147	2,11,405	2,08,258	2,11,405

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	आईएफएमएस के अनुसार भुगतनेय डीसीआरजी/सीभीपी	भुगतान की गई राशि	परिकलित अधिक भुगतान	पुनरीक्षित डीसीआरजी/सीभीपी की प्रविष्टि आईएफएमएस में नहीं
127	जमशेदपुर	सीभीपी	जेxxइxx22xxx	इxxर चंxx मxxतो	63,913	2,88,298	2,24,385	2,88,298
128	जमशेदपुर	सीभीपी	1113xxxxx	सुxxल कुxxर प्रxxद	16,195	4,35,200	4,19,005	4,35,200
129	जमशेदपुर	सीभीपी	1112xxxxx	ताxxदा सेxxति	32,448	4,78,661	4,46,213	4,78,661
130	जमशेदपुर	सीभीपी	1112xxxxx	उxxश प्रxxद	27,335	4,09,438	3,82,103	4,09,438
131	खूंटी	सीभीपी	1118xxxxx	पxxस भूxxआ	13,37,261	13,75,321	38,060	13,75,321
132	खूंटी	सीभीपी	1113xxxxx	राx उxxत प्रxxद सिxx	3,86,036	4,80,781	94,745	4,80,781
133	कोडरमा	डीसीआरजी	1419xxxxx	बिxxन्दा कुxxर	12,68,624	14,10,752	1,42,128	14,10,752
134	कोडरमा	डीसीआरजी	1118xxxxx	बिxxन्दा प्रxxद	14,06,790	14,33,586	26,796	14,33,586
135	कोडरमा	डीसीआरजी	1122xxxxx	दुxx साxx	13,05,546	13,11,050	5,504	13,11,050
136	कोडरमा	डीसीआरजी	1114xxxxx	दूxxका रxxदाxx	7,40,174	7,79,130	38,956	7,79,130
137	कोडरमा	डीसीआरजी	1116xxxxx	जxxरxxन प्रxxति	9,16,625	11,10,780	1,94,155	11,10,780
138	कोडरमा	सीभीपी	1117xxxxx	बिxxवर प्रxxद याxxव	9,56,731	15,49,649	5,92,918	15,49,649
139	लोहरदग्गा	डीसीआरजी	1115xxxxx	गोxxन मुxxजी	6,64,323	6,83,579	19,256	6,83,579
140	लोहरदग्गा	डीसीआरजी	1114xxxxx	राxxजी प्रxxति	1,23,310	1,29,800	6,490	1,29,800
141	लोहरदग्गा	डीसीआरजी	1115xxxxx	टेxxसा कुxxर	7,57,218	7,79,163	21,945	7,79,163
142	लोहरदग्गा	सीभीपी	1116xxxxx	अxxर चंxx राx	3,49,851	5,55,286	2,05,435	5,55,286
143	लोहरदग्गा	सीभीपी	1116xxxxx	आxxद कुxxर सिंxx	4,13,764	6,67,754	2,53,990	6,67,754
144	लोहरदग्गा	सीभीपी	1120xxxxx	बीxxई उxxव	10,85,541	13,07,545	2,22,004	13,07,545
145	लोहरदग्गा	सीभीपी	1116xxxxx	बीxx लाxx	4,35,003	10,98,134	6,63,131	10,98,134
146	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	बिxxन देxx	7,11,895	11,41,524	4,29,629	11,41,524
147	लोहरदग्गा	सीभीपी	1116xxxxx	बिxxम उxxव	3,67,746	5,94,572	2,26,826	5,94,572
148	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	मxxमा कुxxरी	4,48,179	11,40,575	6,92,396	11,40,575
149	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	एमx हाxxम	5,08,356	13,24,749	8,16,393	13,24,749
150	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	मुxx देxx	6,86,330	11,07,030	4,20,700	11,07,030
151	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	प्रेxxद उxxव	10,53,977	14,70,926	4,16,949	14,70,926
152	लोहरदग्गा	सीभीपी	1117xxxxx	राxxरxx मिंxx	4,40,509	11,35,150	6,94,641	11,35,150
153	लातेहार	सीभीपी	1116xxxxx	लाx जी मxxतो	4,43,656	7,09,928	2,66,272	7,09,928
154	महेशपुर	डीसीआरजी	1116xxxxx	शिxx बंxx घोxx	5,42,875	7,19,120	1,76,245	7,19,120
155	पाकुड़	डीसीआरजी	1121xxxxx	अxxथ मxxतो	12,72,960	13,92,640	1,19,680	13,92,640
156	पाकुड़	डीसीआरजी	1115xxxxx	अxxत कुxxर सिंxx	7,69,857	7,92,165	22,308	7,92,165
157	पाकुड़	डीसीआरजी	1118xxxxx	गोxxल प्रxxद सिंxx	9,51,300	9,69,420	18,120	9,69,420
158	पाकुड़	डीसीआरजी	1119xxxxx	एमx शxxन शैxx	8,74,484	9,00,405	25,921	9,00,405
159	पाकुड़	डीसीआरजी	1118xxxxx	एमx शxxज अxxद	9,51,300	9,69,420	18,120	9,69,420
160	पाकुड़	सीभीपी	1119xxxxx	एमx शxxन शैxx	12,60,565	12,97,930	37,365	12,97,930
161	पलामू	डीसीआरजी	1118xxxxx	सxxन्दा तिxxरी	16,97,800	20,00,000	3,02,200	20,00,000
162	पलामू	डीसीआरजी	1121xxxxx	उx शंxxर पाxxय	15,21,234	16,64,256	1,43,022	16,64,256
163	पलामू	सीभीपी	पीxxएचxx40xx	मिxxश प्रxxद सिंxx	3,87,609	6,30,479	2,42,870	6,30,479
164	पलामू	सीभीपी	पीxxएफxx40xx	सूxxज प्रxxद राx	9,243	2,38,740	2,29,497	2,38,740
165	रामगढ़	डीसीआरजी	1113xxxxx	अxxयु कुxxर सिxx	6,99,732	7,38,606	38,874	7,38,606
166	रांची	डीसीआरजी	1118xxxxx	अxxथ कुxxर सिंxx	11,86,898	12,09,083	22,185	12,09,083
167	रांची	डीसीआरजी	1117xxxxx	ब्रxxश पाxxक	4,97,475	10,00,000	5,02,525	10,00,000
168	रांची	डीसीआरजी	1214xxxxx	हxxरी प्रxxद सिंxx	77,805	2,33,415	1,55,610	2,33,415
169	रांची	डीसीआरजी	1119xxxxx	एमx अxxन अxxद	9,05,632	9,46,062	40,430	9,46,062
170	रांची	डीसीआरजी	1112xxxxx	पीxxर पाxx कुxxर	5,37,818	6,71,267	1,33,449	6,71,267

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	आइएफएमएस के अनुसार भुगतये डीसीआरजी/ सीभीपी	भुगतान की गई राशि	परिकलित अधिक भुगतान	पुनरीकित डीसीआरजी/ सीभीपी की प्रविष्टि आइएफएमएस में नहीं
171	रांची	डीसीआरजी	1116xxxxx	साxxxxका विxxxxस	6,78,457	6,97,039	18,582	6,97,039
172	रांची	डीसीआरजी	1112xxxxx	शाxxxxदा बेxxxxम	7,14,318	7,24,532	10,214	7,24,532
173	रांची	सीभीपी	1117xxxxx	अxxxxक प्रxxxxद साx	18,91,634	30,79,633	11,87,999	30,79,633
174	रांची	सीभीपी	1113xxxxx	बाxxxxव कxxxxप	-10,620	6,98,719	7,09,339	6,98,719
175	रांची	सीभीपी	1112xxxxx	बुxxxx नाxxxx उxxxxव	1,17,895	2,18,878	1,00,983	2,18,878
176	रांची	सीभीपी	आरxxxxएचxxxx40xx	गxxxxxxर सिxxxx पxxxxर	3,18,976	6,99,112	3,80,136	6,99,112
177	रांची	सीभीपी	1115xxxxx	कxxxxमू सxxxxर	5,35,101	5,35,143	42	5,35,143
178	रांची	सीभीपी	1114xxxxx	कृxxxx मुxxxxरी लx	6,73,547	7,15,828	42,281	7,15,828
179	रांची	सीभीपी	1116xxxxx	सxxxxदा नंxx सिxxxx	18,34,046	29,56,846	11,22,800	29,56,846
180	रांची	सीभीपी	1117xxxxx	यxxxxना प्रxxxxद सिxxxx	11,75,217	19,05,597	7,30,380	19,05,597
181	साहेबगंज	सीभीपी	1117xxxxx	उxxxxय कुxxxxर भxxxxत	6,91,639	10,85,541	3,93,902	10,85,541
182	सिमडेगा	डीसीआरजी	1118xxxxx	दिxxxxया गुxxxxब तिxxxx	9,98,775	10,00,000	1,225	10,00,000
183	सिमडेगा	डीसीआरजी	1116xxxxx	मैxxxxमा टेxx	8,61,465	8,89,647	28,182	8,89,647
184	सिमडेगा	सीभीपी	1117xxxxx	बिxxxxर सिxxxx	7,04,225	11,52,404	4,48,179	11,52,404
185	सिमडेगा	सीभीपी	1117xxxxx	मैxxxxली कुxxxxर	7,04,422	11,18,973	4,14,551	11,18,973
186	सिमडेगा	सीभीपी	1116xxxxx	मxxxx लxxxxरा	7,26,054	11,87,802	4,61,748	11,87,802
187	सिंहभूम	डीसीआरजी	1115xxxxx	भxxxxन गोxx	7,98,704	9,06,864	1,08,160	9,06,864
188	सिंहभूम	डीसीआरजी	1122xxxxx	एमx इxxxxज नxxxxम	9,23,769	18,47,538	9,23,769	18,47,538
189	सिंहभूम	डीसीआरजी	1419xxxxx	ओxxxxन हो और चंxxxxन बोxxxxगा	4,31,022	8,62,044	4,31,022	8,62,044
190	सिंहभूम	डीसीआरजी	1118xxxxx	प्रxxxxन गxxxxई	9,74,556	9,92,772	18,216	9,92,772
191	सिंहभूम	डीसीआरजी	1115xxxxx	रxxxx हेxxxx	7,98,704	9,06,864	1,08,160	9,06,864
192	सिंहभूम	डीसीआरजी	1118xxxxx	विxxxxय नाxxxxन साxx	6,82,605	6,95,607	13,002	6,95,607
193	सरायकेला	डीसीआरजी	1220xxxxx	बxxxx लxxxxक पुत्र- स्व. कxxxxला नाxxxxक	3,18,240	6,36,480	3,18,240	6,36,480
194	सरायकेला	डीसीआरजी	1416xxxxx	राxx पxx देxx पत्नी- राxxxx सिxx	18,600	2,55,750	2,37,150	2,55,750
195	तेनुघाट	डीसीआरजी	1118xxxxx	प्रxxxxद कुxxxxर मिxx	12,49,133	12,72,926	23,793	12,72,926
196	तेनुघाट	डीसीआरजी	1120xxxxx	शिxx चxxxxन राxx	13,51,350	13,97,550	46,200	13,97,550
197	तेनुघाट	सीभीपी	बीxxआरxx4xx	राxxन्द्रा अंxxरी	20,059	3,98,818	3,78,759	3,98,818
198	तेनुघाट	सीभीपी	1116xxxxx	सुxxxxन्द्रा प्रxxxxद	9,46,702	13,37,261	3,90,559	13,37,261

(स्रोत: आइएफएमएस डेटाबेस)

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.2.1(vi) में संदर्भित; पृष्ठ 44)

कोषागारों द्वारा विपत्र श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	भुगतय डीसीआरजी	भुगतय सीभीपी	भुगतान की गई पेंशन/ से. उपदान/परि.पेंशन	कुल भुगतान	परिकलित अधिक भुगतान	अधिक भुगतान का कारण
1	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	आxxx चxxx मxxxतो	8,56,482	4,53,685		13,10,167	4,53,685	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
2	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	जॉxx दाxxxxल	7,78,718	4,23,794		12,02,512	4,23,794	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
3	बोकारो	डीसीआरजी	1118xxxxx	जxxxxश प्रxxxद माxxxxझी	6,06,375	6,88,296		12,94,671	6,88,296	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
4	बोकारो	डीसीआरजी	1120xxxxx	माxxxxव चxx दाxx	11,31,273	11,52,404		22,83,677	11,52,404	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
5	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	शीxxxxला कुxxरी	15,33,213	6,90,459		16,90,459	1,57,246	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
6	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	सुxxxxन xxर्ति	5,91,773	3,13,470		9,05,243	3,13,470	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
7	बोकारो	डीसीआरजी	1116xxxxx	जxxxxश प्रxxxद	9,24,120	4,55,455		12,37,105	3,12,985	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
8	बोकारो	डीसीआरजी	1120xxxxx	अxxxxय रxxन कुxxxxर	14,32,200	12,97,930		25,72,060	11,39,860	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
9	बोकारो	सीभीपी	1120xxxxx	अxxxक कुxxxxर कxx	13,91,891	14,17,890		28,09,781	13,91,891	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
10	बोकारो	सीभीपी	1114xxxxx	जxxxxरी सिंxxx घxxxxर	98,410	2,31,464		3,29,874	98,410	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
11	देवघर	सीभीपी	1120xxxxx	जxxxxलू मxxर्धा	5,79,150	4,86,724	9,128	10,75,002	9,128	पेंशन एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
12	धनबाद	सीभीपी	1115xxxxx	लंxxxxर सिंxxx चौxxxxरी	7,88,832	4,29,300		12,18,132	7,88,832	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
13	डोerडा	डीसीआरजी	1117xxxxx	जाxxxxन्द कुxxxxर	11,44,440	13,37,261		24,81,701	13,37,261	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
14	डोerडा	सीभीपी	1115xxxxx	गंxxxxर भxxxxत	10,00,000	7,00,390		17,00,390	2,99,610	डीसीआरजी, सीभीपी के रूप में वर्गीकृत (इसके विपरीत)
15	गोड्डा	डीसीआरजी	1116xxxxx	हxxxxव तिxxxxरी	8,58,924	4,67,451		13,26,375	4,67,451	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
16	गोड्डा	डीसीआरजी	1118xxxxx	हांxxxxदा कांxxxxर	9,66,735	10,97,340		20,64,075	10,97,340	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
17	गिरिडीह	डीसीआरजी	1117xxxxx	फूxxxxती देxx पल्नी- नुxx लाxxx	9,29,396	11,52,404		20,81,800	11,52,404	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
18	गढ़वा	डीसीआरजी	1214xxxxx	बxxxxत कुxxxxर चौxxx	1,07,730		2,15,460		1,08,730	पेंशन एवं डीसीआरजी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
19	हजारीबाग	डीसीआरजी	एचxxडीxx33xx	बxxxxत नाxxxxण पxxxxडे	61,380	-	68,200	69,200	6,820	पेंशन, डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
20	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1114xxxxx	हxxxx प्रxxxद सिंxxx	11,471	2,29,416		2,40,887	2,29,416	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	भुगतय डीसीआरजी	भुगतय सीभीपी	भुगतान की गई पेंशन/ से. उपदान/परि.पेंशन	कुल भुगतान	परिकलित अधिक भुगतान	अधिक भुगतान का कारण
21	जमशेदपुर	डीसीआरजी	जेxxइxx23xxx	निxxxx सिxxx	4,46,721	4,58,995		9,05,716	4,58,995	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
22	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1113xxxxx	पीxन श्रीxxxxव	6,80,906	2,93,505		9,74,411	2,93,505	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
23	जमशेदपुर	डीसीआरजी	1115xxxxx	दxxxxत हेxxxxम	9,29,594	4,57,619		12,52,408	3,22,814	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
24	खूंटी	डीसीआरजी	1116xxxxx	अxxxx कुxxx सिxxxx	8,74,467	4,75,908		13,50,375	4,75,908	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
25	खूंटी	डीसीआरजी	1419xxxxx	प्याxxxx टोxxxx पत्नी- अxxxxवा टोxxxx	84,168	-	12,82,586	13,66,754	12,82,586	पेंशन एवं डीसीआरजी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
26	खूंटी	डीसीआरजी	1117xxxxx	बिxxxx धाxxx	1,10,227		11,52,404	12,62,631	11,52,404	डीसीआरजी एवं पेंशन दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
27	खूंटी	डीसीआरजी	1416xxxxx	बिxxxxनी होxx देxx होxxx	2,82,768		1,60,311	4,43,079	1,60,311	डीसीआरजी एवं परि-पेंशन दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
28	खूंटी	डीसीआरजी	1115xxxxx	जेxxxx हेxxxxम	1,19,574		51325	1,70,899	51,325	डीसीआरजी एवं पेंशन दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
29	खूंटी	डीसीआरजी	1114xxxxx	भxxxxन दxxxxल काxxxxडी	7,34,250	5,79,545		13,13,795	5,79,545	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
30	खूंटी	डीसीआरजी	1116xxxxx	शांxxx राxx रxxxxस	6,60,174	4,04,915		10,65,089	4,04,915	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
31	खूंटी	सीभीपी	1116xxxxx	अxxxx कुxxx सिxxxx	8,74,467	4,75,908		13,50,375	8,74,467	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
32	खूंटी	सीभीपी	1115xxxxx	बxxxxलें भेंxxxxरा		4,22,220	1,15,830	5,38,050	1,15,830	पेंशन, सीभीपी के रूप में वर्गीकृत (इसके विपरीत)
33	खूंटी	सीभीपी	1116xxxxx	सैxxxxल टूxxx	69,143	4,31,660		5,00,803	69,143	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
34	कोडरमा	सीभीपी	1118xxxxx	सxxxxयू प्रxxxxद यxxxxव	12,00,540	13,37,261		25,37,801	12,00,540	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
35	लोहरदग्गा	सीभीपी	1115xxxxx	मxxxxस डुंxxx xxग	7,21,875	4,01,546	27,773	11,51,194	27,773	सीभीपी एवं पेंशन दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
36	लातेहार	डीसीआरजी	1122xxxxx	सुxxxxला xxवी	6,12,425	6,68,630		12,81,055	56,205	डीसीआरजी, सीभीपी के रूप में वर्गीकृत (इसके विपरीत)
37	लातेहार	सीभीपी	1115xxxxx	इxxxxल हुxxxxन	10,00,000	7,49,259		17,49,259	2,50,741	डीसीआरजी, सीभीपी के रूप में वर्गीकृत (इसके विपरीत)
38	लातेहार	सीभीपी	1121xxxxx	तxxxxक हुxxxxन	7,99,578	10,54,076		18,53,654	7,99,578	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
39	लातेहार	सीभीपी	1115xxxxx	विxxx लxxxxन भxxxxत	1,000	4,43,263		4,44,263	1,000	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
40	मधुपुर	सीभीपी	1118xxxxx	सxxxx नंxxx रे	10,04,570	11,18,973		21,23,543	10,04,570	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
41	महेशपुर	सीभीपी	1122xxxxx	ब्रxxxx कुxxx सिxxxx	15,03,480	10,02,946		25,06,426	15,03,480	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
42	पलामू	डीसीआरजी	1120xxxxx	बृxxx बिxxxxरी सिxxx	7,83,900	10,54,076		18,37,976	10,54,076	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
43	पलामू	डीसीआरजी	1120xxxxx	मोxxxxन लाxx	20,00,000	29,43,940		49,43,940	29,43,940	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत

क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	भुगतय डीसीआरजी	भुगतय सीभीपी	भुगतान की गई पेंशन/ से. उपदान/परि.पेंशन	कुल भुगतान	परिकलित अधिक भुगतान	अधिक भुगतान का कारण
44	पलामू	डीसीआरजी	1119xxxxx	रxxxxxxथ पाxxxक	8,88,635	11,87,802		11,87,802	2,99,167	सीभीपी, डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
45	पलामू	डीसीआरजी	1119xxxxx	सxxxxxxती सिंxxx	3,68,550	10,22,611		13,91,161	10,22,611	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
46	पलामू	सीभीपी	1116xxxxx	नxxxxल xxxम	1,05,326	4,70,204		5,75,530	1,05,326	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
47	रामगढ़	डीसीआरजी	1122xxxxx	मxxxxव प्रxxxद	20,00,000	34,78,788		54,78,788	34,78,788	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
48	रांची	डीसीआरजी	1115xxxxx	अxxxxत कुxxxxर	9,95,000	11,79,936	1,25,234	23,00,170	1,25,234	डीसीआरजी एवं पेंशन दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
49	रांची	डीसीआरजी	1117xxxxx	बाxxx लाxxxxल शxxx	9,31,694	12,60,565		21,92,259	12,60,565	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
50	रांची	डीसीआरजी	1116xxxxx	बीxx कुंxxxर सिंxxx	8,71,845		368392	12,40,237	3,68,392	डीसीआरजी एवं पेंशन दोनों डीसीआरजी
51	रांची	डीसीआरजी	1415xxxxx	मंxxx देxxx पत्नी- सोxxxxद सिंxxx	86,050	-	7,96,143	8,82,193	7,96,143	डीसीआरजी, पेंशन के रूप में वर्गीकृत (इसके विपरीत)
52	रांची	डीसीआरजी	1113xxxxx	सुxxx उxxxव	67,397	-	2,97,747	2,74,004	2,06,607	पेंशन व वसूली, डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
53	रांची	डीसीआरजी	1117xxxxx	सxxxx कुxxxx नंxxx	7,93,095	4,48,179		12,41,274	4,48,179	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
54	रांची	सीभीपी	1116xxxxx	गुxxxxम सxxxर	10,00,000	5,48,210	1,59,395	17,07,605	1,59,395	सीभीपी एवं पेंशन दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
55	रांची	सीभीपी	1115xxxxx	हxxxxन प्रxxxxन	1,000	3,22,942	2,89,698	6,13,640	2,89,698	डीसीआरजी, सीभीपी एवं पेंशन सभी सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
56	रांची	सीभीपी	1117xxxxx	जxxxxन शxxxx	10,00,000	12,50,329	5,59,377	28,09,706	5,59,377	सीभीपी एवं पेंशन दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
57	रांची	सीभीपी	1114xxxxx	कxxxxला कांxxx सिंxxx	10,00,000	9,40,464	9,08,421	28,48,885	9,08,421	सीभीपी एवं पेंशन दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
58	रांची	सीभीपी	1116xxxxx	विxxxxय भूxxx प्रxxxद	7,34,063	4,42,476		11,76,539	7,34,063	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
59	साहेबगंज	डीसीआरजी	1115xxxxx	गंxxx साxxxxर शxxx	4,46,408	2,57,029		7,03,437	2,57,029	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत
60	साहेबगंज	सीभीपी	1116xxxxx	सुxxxx नाxxx चाxxxर	61,273	4,24,580		4,85,853	61,273	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
61	सिंहभूम	सीभीपी	1120xxxxx	वाxxxट तिxxx	8,23,847	4,53,882		12,77,729	8,23,847	डीसीआरजी एवं सीभीपी दोनों सीभीपी के रूप में वर्गीकृत
62	सरायकेला	डीसीआरजी	1420xxxxx	बीxxx देxxxx पत्नी- पxxxx सिंxxx सxxxxर	6,02,784	-	1,73,342	7,76,126	1,73,342	डीसीआरजी एवं पेंशन दोनों डीसीआरजी के रूप में वर्गीकृत

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)

## परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.2.1(vii) में संदर्भित; पृष्ठ 45)

कोषागारों द्वारा त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या दर्ज करने के कारण, आईएफएमएस में पेंशनभोगियों को डीसीआरजी/सीभीपी का अधिक भुगतान दिखाई दिया

(राशि ₹ में)

पेंशनभोगियों को भुगतान सही किए गए, परन्तु आईएफएमएस में अधिक भुगतान दिखाई दिया								दिखाई दे रहे अधिक भुगतान वास्तव में किसी अन्य पेंशनभोगी को किए गए थे, परन्तु उनका त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या दर्ज किया गया था					
क्र.सं.	कोषागार	प्रकार	पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	भुगतेय राशि	दिखाई गई भुगतान की राशि	परिकलित अधिक भुगतान	कोषागार	कोषागार द्वारा त्रुटिपूर्ण पीपीओ संख्या की प्रविष्टि	वास्तविक पीपीओ संख्या	पेंशनभोगी का नाम	भुगतान की गई राशि	
1	डोरंडा	डीसीआरजी	1116xxxxx	कxxxxल ओxxxव	4,95,248	6,66,099	1,70,851	डोरंडा	1116xxxxx	1116xxx##	फ्राxxxस टोxxनो	1,70,851	
2	रांची	डीसीआरजी	1117xxxxx	सुxxxxद प्रxxxद	7,02,540	15,96,510	8,93,970	गोड्डा	1117xxxxx	1117xx##x	नxxxxम प्रxxxद	8,93,970	
3	सिंहभूम	डीसीआरजी	1118xxxxx	सिxxउ पाxxxया	11,43,450	11,44,450	1,000	पलामू	1118xxxxx	1118x#xxx	प्रेxxx चxxx मोxxx	1,000	
4	गढ़वा	सीभीपी	1115xxxxx	मो. राxxxxxxन	5,68,139	8,38,344	2,70,205	गढ़वा	1115xxxxx	1115xx##x	राxx पुxxर सिxxह	2,70,205	
5	गुमला	सीभीपी	1116xxxxx	नाxxxxण ओxxxव	4,33,135	8,95,867	4,62,732	दुमका	1116xxxxx	1116xxxx#	मेxx मुxxमु	4,62,732	
6	गिरिडीह	सीभीपी	1116xxxxx	गुxxx हाxxरा	4,84,167	10,10,615	5,26,448	रांची	1116xxxxx	1116x#xxx	जxxxx प्रxxx राxx	5,26,448	
7	रांची	सीभीपी	1117xxxxx	सुxxxxद प्रxxxद	5,11,699	9,85,247	4,73,548	गोड्डा	1117xxxxx	1117xx##x	नxxxxम प्रxxxद	4,73,548	
<b>कुल</b>					<b>43,38,378</b>	<b>71,37,132</b>	<b>27,98,754</b>	<b>कुल</b>					<b>27,98,754</b>

(स्रोत: आईएफएमएस डेटाबेस)



**संक्षेपाक्षर**



## संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	विस्तृत रूप
लेखा एवं हक	लेखा एवं हकदारी
एसी विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
बीसीपी	व्यापार निरंतरता योजना
बीई	बजट अनुमान
सीएएटी	कंप्यूटर सहायतित लेखापरीक्षा तकनीक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीओबीटी	बजटीय लेनदेन पर व्यापक परिव्यय
सीओ	नियंत्रण अधिकारी
सीपीओ	रूपांतरण भुगतान आदेश
सीपीएसएमएस	केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजनाएं
सीभीपी	पेंशन का रूपांतरित मूल्य
डीसी विपत्र	विस्तृत आकस्मिक विपत्र
डीसीआरजी	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान
डीडीओ	आहरण और संवितरण अधिकारी
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डेयटी	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओई	व्यय विभाग
डीआरपी	आपदा रिकवरी योजना
डीटीओ	जिला परिवहन पदाधिकारी
ईसी	अधिकार-प्राप्त समिति
इ-ग्रास	इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली
एफडी	वित्त विभाग
जीबीएसएस	सरकारी व्यवसाय सॉफ्टवेयर समाधान
झा.स.	झारखण्ड सरकार
जीपीओ	उपदान भुगतान आदेश
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
आईडीसी	अंतर-विभागीय समिति
आइडिया	इन्टरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस
आइएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जैप-आईटी	झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी
जेसीएफ	झारखण्ड आकस्मिकता निधि
जेटीसी	झारखण्ड कोषागार नियमावली
एम व इ	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
मेयटी	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमपी	मिशन मोड परियोजना

संक्षेपाक्षर	विस्तृत रूप
एनडीआरसी	निकट आपदा रिकवरी केंद्र
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड
ओएसपी	अन्य उप-योजना
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीडीसी	प्राथमिक डेटा केंद्र
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएलटी	परियोजना नेतृत्व दल
पीएमजी	परियोजना प्रबंधन समूह
पीएमयू	परियोजना अनुश्रवण इकाई
पीपीओ	पेंशन भुगतान आदेश
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरइ	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
एसबीआई-सीएमपी	भारतीय स्टेट बैंक- नकद प्रबंधन उत्पाद
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप-योजना
एसडीसी	राज्य डेटा केंद्र
एसडीडी	प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़
एसआईओ	राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एसआरएस	सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
टीआईएस	कोषागार सूचना प्रणाली
टीओ	कोषागार पदाधिकारी
टीएसपी	जनजातीय उप-योजना
टीभी	कोषागार वाउचर
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यूआरएस	उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश
वामिस	निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली
डब्ल्यूबी	विश्व बैंक

**शब्दावली**



## शब्दावली

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
व्यापार निरंतरता योजना	व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) किसी भी रिकवरी रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, जो किसी आपदा के मामले में एक संगठित, सुरक्षित और समय पर रिकवरी सुनिश्चित करता है।
पेंशन/उपदान/ रूपांतरण भुगतान आदेश	पेंशन लाभों की गणना, अर्हक सेवा और औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाती है और भुगतान के लिए प्राधिकरण, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश (जीपीओ) और रूपांतरण भुगतान आदेश (सीपीओ) के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली	केंद्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस), लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार की योजना स्कीमों के अंतिम लाभार्थी तक निधि संवितरण का पता लगाने के लिए एक उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करना और वास्तविक समय आधार पर कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर निधि के उपयोग प्रतिवेदित करना है।
डेटा शब्दकोश	डेटा शब्दकोश एक डेटा मॉडल में डेटा विषय अथवा वस्तुओं के विवरण का एक संग्रह है, जिससे लोगों को यह समझने में लाभ हो सके कि डेटाबेस संरचना में एक डेटा वस्तु कहां फिट बैठता है, इसमें क्या मूल्य हो सकते हैं और मूल रूप से डेटा आइटम का वास्तविक दुनिया के संदर्भ में, क्या अर्थ है।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसकी कुल सेवा के आधार पर किया गया एकमुश्त भुगतान है।
आपदा रिकवरी योजना	आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आपदा रिकवरी योजना (डीआरपी) को डिज़ाइन किया जाता है।
एक्साडेटा	ऑरेकल विशेषज्ञों (ओईएम) द्वारा विन्यस्त एक सॉफ्टवेयर समाधान, जिसमें सीधे ओईएम से एकल बिंदु समर्थन होता है। इसके अलावा, उच्च उपलब्धता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसकी लागत पारंपरिक तरीके से सर्वरों को विन्यस्त करने से कम है।
सरकारी व्यवसाय सॉफ्टवेयर समाधान	जीबीएसएस, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ धन का निपटान करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है।
माल एवं सेवा कर नेटवर्क	एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्येक वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करता है और करदाताओं को पंजीकरण से लेकर रिटर्न फ़ाइल करने तक की सभी सेवाएं प्रदान करता है तथा सभी कर विवरणों का संधारण और जीएसटी पोर्टल की संपूर्ण आईटी प्रणाली का प्रबंधन करता है।
अंतर-विभागीय समिति	वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा एनआईसी, झारखण्ड राज्य इकाई के सदस्यों से गठित।
झारखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त एजेंसी, जैप-आईटी, झारखण्ड सरकार की आईटी एवं ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है।
निकट आपदा रिकवरी केंद्र	व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता हेतु किसी बाधा/आपदा की स्थिति में प्रणाली के सर्वरों और एप्लीकेशनों को होस्ट कर संचालित करने के लिए किसी नजदीकी स्थान पर स्थापित एक डेटा केंद्र।

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की स्थापना 1976 में केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से हुई और यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेयटी), भारत सरकार के तहत काम करता है।
राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार लिमिटेड	एनएसडीएल एक वित्तीय इकाई है, जिसे सभी प्रतिभूतियों को मूर्त अथवा गैर-भौतिक प्रमाण पत्र के रूप में रखने हेतु स्थापित किया गया है। डीमैट खातों के संधारण, विशेष रूप से स्टॉक एवं बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों के लिए; एनएसडीएल बैंक के रूप में कार्य करता है।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	सीजीए के कार्यालय द्वारा रेखांकित, विकसित, स्वामित्व और कार्यान्वित, पीएफएमएस एक मजबूत वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। यह भुगतान और राजकोष नियंत्रण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), निधि प्रवाह तंत्र का अनुश्रवण, प्राप्तियों (कर तथा गैर-कर) के लेखांकन, लेखाओं के संकलन और राजकोषीय प्रतिवेदन तैयार करने और सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है। यह राज्यों, बैंकों तथा अन्य बाह्य प्रणालियों के वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ इंटरफेस स्थापित करता है।
परियोजना नेतृत्व दल	आईएफएमएस की एक वरिष्ठ प्रबंधन दल, जिसमें मुख्य सचिव, प्रधान वित्त सचिव, प्रधान आईटी सचिव, विकास आयुक्त, योजना सचिव और एनआईसी के राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी शामिल होते हैं।
परियोजना प्रबंधन समूह	पीएमजी की तीन इकाइयां हैं, यथा- आईटी दल, परिवर्तन दल और परियोजना प्रबंधन दल।
परियोजना अनुश्रवण इकाई	वित्त विभाग के अंतर्गत राज्य में कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एनआईसी की निगरानी में आउटसोर्स किये गए उच्च-स्तरीय डेवलपर्स को शामिल कर एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया (अक्टूबर 2009)।
साई-पेंशन	पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के भुगतान के लिए प्राधिकार निर्गत करने की प्रक्रिया हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड के कार्यालय का पेंशन पोर्टल।
राज्य डेटा केंद्र	झारखण्ड राज्य डेटा केंद्र, खुले असुरक्षित सार्वजनिक डोमेन और संवेदनशील सरकारी वातावरण के बीच मध्यस्थ और अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह राज्य के विभिन्न विभागों को अपनी सेवाओं/एप्लीकेशनों को एक सामान्य अवसंरचना पर होस्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे एकीकरण और कुशल प्रबंधन में आसानी होती है।
प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़	प्रणाली डिजाइन दस्तावेज़ (एसडीडी) सॉफ्टवेयर विकास का एक प्राथमिक दस्तावेज़ है जो सॉफ्टवेयर समाधान की बनावट का वर्णन करता है।
सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश	सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं का पूर्ण विनिर्देश और विवरण है जिसे सॉफ्टवेयर प्रणाली के सफल विकास के लिए पूरा करना आवश्यक है। एसआरएस एक प्रारूप प्रतिवेदन है, जो सॉफ्टवेयर के प्रतिनिधित्व रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को यह समीक्षा करने में सक्षम बनाता है कि सॉफ्टवेयर प्रणाली उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।
स्रोत पर कर की कटौती	सरकार के पास जमा करने हेतु भुगतानकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को भुगतान करते समय कटौती किए गए कर का एक निश्चित प्रतिशत।

पारिभाषिक शब्द	अर्थ
उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण	उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूपटी) सॉफ्टवेयर विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां इच्छित उपयोगकर्ता या ग्राहक वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सॉफ्टवेयर का परीक्षण करते हैं। यूपटी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है और प्रकाशन के लिए तैयार है।
उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश	उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यूआरएस) प्रणाली से उपयोगकर्ता की व्यावसायिक आवश्यकताओं का वर्णन करता है। यूआरएस, प्रणाली के निर्माण से पहले तैयार किया जाता है।
निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली	निर्माण लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (वामिस) निर्माण तथा वन विभाग हेतु एक लेखांकन सॉफ्टवेयर है, जो किसी प्रमंडल में तकनीकी अनुभाग द्वारा की गई सभी गतिविधियों का व्याख्यान करता है, ताकि विभिन्न कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण इसकी शुरुआत से की जा सके।





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand>

